[2020] 13 एस. सी. आर 1

शत्रुघन बाबन मेशराम

वी.

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील सं। 763-764 2016 का)

02 नवंबर, 2020

[उदय उमेश ललित, इंदु मल्होत्रा और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.376 (1), (2) (f), (i), (m), s.376-A और s। 302 - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एस. 6 - ढाई साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या पीड़ित के शरीर पर काटने के साथ बलात्कार किया गया था इतनी तीव्रता की कि योनि और गुदा छिद्रों का विलय हो रहा था पीड़ित का-पीड़ित को पीडब्लू-6-डॉक्टर के पास ले जाया गया ध्यान दिया लेकिन वह पहले से ही मर चुकी थी-ट्रायल कोर्ट ने पाया अपीलार्थी-अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने वाली परिस्थितियाँ - ट्रायल कोर्ट ने माना कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम था, जो एक वारंट था। मृत्युदंड का अधिरोपण-इस प्रकार, विचारण न्यायालय अपने आदेश द्वारा अपीलार्थियों को दो मामलों में मृत्युदंड दिया गया, अर्थात यू / एस. 302 आई. पी. सी. और यू / s.376-आई. पी. सी. का ए; दो मामलों के तहत आजीवन कारावास, अर्थात। आई. पी. सी. की s.376 (1) (2) (एफ), (आई) और (एम) और यू / पॉक्सो अधिनियम की धारा 6-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: अभियोजन पक्ष के अनुसार, विचाराधीन दिन पर लगभग 7 बजे: 30 अपराह्न कब जो पीड़ित का मामा था, उसे ले गया, यह हिस्सा है पी. डब्ल्यू.-2 की गवाही के माध्यम से निर्णायक रूप से स्थापित, दादा-जैसा कि पीडब्लूएस 1 और 2 द्वारा अपदस्थ किया गया था, अपीलकर्ता को घटनास्थल पर पीड़ित के बगल में पाया गया था-पीड़ित के पास अलग-अलग मामले थे। चोटें जिसके बाद उसे चिकित्सा के लिए ले जाया गया-इसके तुरंत बाद घटना अपीलार्थी की भी चिकित्सकीय जांच की गई और चोटें भी आईं उसके गुप्तांगों पर पाया गया-समय के संदर्भ में निकटता और रिपोर्टिंग में शीघ्रता महत्वपूर्ण कारक और साक्षय हैं। वह पक्ष पूरी तरह से भरोसेमंद है-का अनुमानित समय रिपोर्ट में दी गई अपीलार्थी की चोट मामले के अनुरूप है। अभियोजन पक्ष की-घटना स्थल पर पीड़ित की पैंट अच्छी तरह से स्थापित है-रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के संदर्भ में, अपीलार्थी के पतलून पर पाया गया खून पीड़ित का था यह तथ्य भी पूरी तरह से स्थापित है-और यह एक बात है रिकॉर्ड करें कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और चिकित्सा राय के अनुसार, पीड़ित पर बलपूर्वक यौन हमला किया गया था और उसकी मृत्यु चोट के कारण हुई थी जो योनि और गुदा क्षेत्र पर कई घावों की प्रकृति थी; और योनि और गुदा छिद्रों का विलय-ये सभी परिस्थितियाँ किसी भी संदेह से परे साबित होती हैं और अपने आप में एक निर्णायक और सुसंगत शृंखला का गठन करती हैं। अपीलार्थी के अपराध को छोड़कर सभी अन्य परिकल्पनाएँ - द. इस प्रकार अपीलार्थी दंडनीय अपराध करने का दोषी है। एस

की उप-धारा (2) के खंड (एफ), (आई) और (एम) के तहत। 376 आई. पी. सी. के; और एस. के खंड (जे) और (एम) के तहत भी। 5 आर/डब्ल्यू एस। 6 पॉक्सो अधिनियम, (जैसा कि यह 2019 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित किए जाने से पहले था)-जब से चिकित्सकीय राय के अनुसार, मृत्यु यौन हमले के कारण हुई थी, अपीलार्थी दंडनीय अपराध करने का भी दोषी है। 376 आई. पी. सी. का ए.

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 299 , 300 और एस। 302 – बलात्कार और एक नाबालिग बच्चे की हत्या-एक ढाई साल की लड़की यौन हमले के अधीन-उसकी मृत्यु उस हमले के दौरान प्राप्त चोटों के कारण हुई थी-क्या अपीलार्थी की ओर से ऐसा कार्य एस. एस. के मापदंडों के भीतर आता है। 299 और आई. पी. सी. की धारा 300 और क्या वह हत्या के समान गैर इरादतन हत्या करने का दोषी है-आयोजितः वर्तमान मामले में पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को इस परिणाम का पता होना चाहिए कि ढाई साल के बच्चे पर उसके यौन हमले से मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट हो सकती है जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो। इस प्रकार तात्कालिक विषय खंड के मापदंडों के भीतर आता है। - चौथा एस। 300 आई. पी. सी. और इस मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी के खिलाफ दिया जाना चाहिए-इसलिए अपीलार्थी गैर इरादतन हत्या के अपराध को अंजाम देने का दोषी है। सजा/सजा-नाबालिग लड़की का बलात्कार और हत्या-ए

ढाई साल की लड़की का उसके मामा द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था-उसकी मृत्यु कई चोटों के कारण हुई थी इस तरह के हमले के दौरान प्राप्त हुआ-निचली अदालत ने पाया कि परिस्थितिजन्य साक्षय ने आरोपी के अपराध को स्थापित किया-शतृघ्न बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य

ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश से अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई

दो गणनाएँ, अर्थात यू / आई. पी. सी. का s.302 और यू / s.376-आई. पी. सी. का ए; दो मामलों के तहत आजीवन कारावास, अर्थात। आई. पी. सी. और यू/एस. के s.376 (1) (2) (एफ), (आई) और (एम)। 6 पॉक्सो अधिनियम की मौत की सजा थी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः सिर्फ इसलिए कि

तत्काल मामला परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित है और मृत्युदंड को कम करने का कोई कारण नहीं है-इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए

यह देखें कि क्या परिस्थितिजन्य साक्षय अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में निर्दोष चरित्र का है या दोषसिद्धि की ओर ले जाता है।

असाधारण मामला और यह भी कि क्या अभिलेख पर साक्षय ऐसा है

दृढ़ और आश्वस्त करते हुए कि मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प बंद कर दिया गया है-तत्काल मामले में, रिकॉर्ड पर साबित परिस्थितियां स्पष्ट, सुसंगत और निर्णायक प्रकृति की हैं और

अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने में निर्दोष चरित्र

– अभिलेख पर साक्षय एक असाधारण मामले को भी दर्शाता है जहां ढाई साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था-हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि मौत से कम सजा का विकल्प

दंड को पूरी तरह से रोक दिया गया है-अपीलार्थी के पक्ष में एक निश्चित संकेत यह है कि उसने जानबूझकर कोई चोट नहीं पहुंचाई है।

दोषसिद्धि खंड चौथे यू/एस की सहायता से दर्ज की जाती है। 300 आई. पी. सी. के अनुसार, यह बहुत दुर्लभ है कि मौत की सजा दी जाती है-विभिन्न मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जहाँ पीड़ितों की आयु 16 वर्ष से कम थी

उम्र और उन पर यौन हमले के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, दी गई अधिकतम सजा आजीवन कारावास थी यह पहलू बहुत है

इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी अपराध का दोषी है

दंडनीय यू/एस। 302 आई. पी. सी., क्योंकि कोई अपेक्षित इरादा नहीं था जो मामले को एस के पहले तीन खंडों में से किसी के तहत लाएगा। 300 आईपीसी, द

वर्तमान मामले में अपराध मृत्युदंड के योग्य नहीं है।

अपीलार्थी को दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। s.302 आई. पी. सी.-दूसरी गिनती जिस पर मौत की सजा सुनाई गई है

कुछ दिन पहले ही क़ानून की किताब में लाया गया था अपराध करने पर, अपीलार्थी मृत्यु का पात्र नहीं है।

उक्त अपराध के लिए दंड-हालाँकि, अपराध के लिए यू/एस के तहत उचित सजा। 376 आई. पी. सी. को 25 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास होना चाहिए।

यू/एस द्वारा दंडनीय अपराधों के लिए नीचे दिए गए न्यायालय। 376 (1) , (2) (आई. पी. सी. के च), (i) और (एम), और यू / पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 की पुष्टि की गई है।

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 235 (2) - दंड संहिता, 1860

– s.376 (1), (2) (f), (i), (m), s.376-A और s। 302 - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एस. 6-नाबालिग का बलात्कार और हत्या

आई. पी. सी.; दो मामलों के तहत आजीवन कारावास, अर्थात। एस. 376 (1) (2) (आई. पी. सी. और यू/एस. के च), (i) और (एम)। 6 पॉक्सो अधिनियम-उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि की गई थी-इससे पहले

सर्वोच्च न्यायालय, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि मौत की सजा उसी दिन दी गई थी जब दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया था।

स्पष्ट रूप से, एस का गैर-अनुपालन था। 235 (2) संहिता के अनुसार, उस गणना का उल्लंघन मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने पर विचार करने के लिए पर्याप्त था-अभिनिर्धारित किया गया: केवल एस के उल्लंघन के कारण। 235 (2) संहिता, मौत की सजा

आजीवन कारावास में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए-अपीलार्थी को डगडू v में निर्धारित सिद्धांत के आलोक में सभी प्रासंगिक सामग्रियों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य।

दंड संहिता, 1860 - s.376 (1) (2) और s। 376ए-आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2013-आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,

2013 – एक नाबालिग लड़की का बलात्कार और हत्या-ट्रायल कोर्ट, इसके द्वारा आदेश ने अपीलार्थी को दो मामलों में मौत की सजा सुनाई, अर्थात।

यू / आई. पी. सी. का s.302 और यू / s.376-आई. पी. सी. का ए; दो मामलों के तहत आजीवन कारावास, अर्थात यू / आई. पी. सी. और यू/एस. के s.376 (1) (2) (एफ), (आई) और (एम)। 6 पॉक्सो अधिनियम-आपराधिक कानून (संशोधन)

अध्यादेश, 2013 (भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी)

03.02.2013) , यू / s.376 (2) "के रूप में निर्धारित दंड को एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो इससे कम नहीं होगा।

दस साल लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है "-एस द्वारा निर्धारित सजा। 376 (2) संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित, पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि आजीवन कारावास का अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा।

क्या तत्काल मामले में आजीवन कारावास की सजा का अधिरोपण

यू/के तहत अपराध s.376 (2) का अर्थ "उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास" हो सकता है-चाहे वह पूर्व-पद हो।

वास्तविक प्रिस्क्रिप्शन संविधान के अनुच्छेद 20 के उप अनुच्छेद (1) के प्रावधानों के अनुरूप होगा -

तत्काल शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य

मामले में, अपराध 11.02.2013 को किया गया था जब अध्यादेश के प्रावधान लागू थे-हालाँकि, संशोधन अधिनियम को 03.02.2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था-क्योंकि यह अध्यादेश था जो अध्यादेश, खंड (f), (h) और (1) के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा था। 376 (2) आकर्षित होगा-जहाँ तक Art.20 (1) के साथ पूर्व-पोस्ट फैक्टो प्रिस्क्रिप्शन की स्थिरता का संबंध है-आजीवन कारावास की सजा को लागू करने से कार्यपालिका की अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए छूट और परिवर्तन देने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं पड़ता है।

बेशक एस। 433 संहिता का ए-लेकिन, एक वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन कि "इसका मतलब उस व्यक्ति का शेष जीवन होगा" निश्चित रूप से कार्यपालिका को ऐसी किसी भी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगा और उस हद तक संबंधित प्रावधान निश्चित रूप से एक उच्चतर प्रावधान निर्धारित करता है।

दंड पूर्व-कार्योत्तर-इस प्रक्रिया में, संविधान के Art.20 (1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण को अस्वीकार कर दिया जाएगा-इसलिए, यह घोषणा करना आवश्यक है कि दंड वर्तमान मामले में आई. पी. सी. की धारा s.376 (2) इस शर्त के साथ नहीं आ सकती है कि आजीवन कारावास का अर्थ उस व्यक्ति का शेष जीवन होगा।

दंड संहिता, 1860 - s.299 और s। 300 – के बीच परस्पर क्रिया

-

चर्चा की।

"अवशिष्ट संदेह" के शब्द और वाक्यांश सिद्धांत

-

चर्चा की।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. निचली अदालत ने आठ परिस्थितियों को पाया

अपीलार्थी-अभियुक्त का अपराध स्थापित करना। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विचाराधीन दिन पर लगभग 7 बजे: 30 जब पीड़ित अपने दादा के साथ थी, इस बहाने कि पीड़ित के पिता ने अपीलार्थी को पीड़ित को लाने के लिए कहा था, अपीलार्थी, जो पीड़ित का मामा था, उसे ले गया। साक्षय का यह हिस्सा दादा पी. डब्ल्यू. 2 की गवाही के माध्यम से निर्णायक रूप से स्थापित किया गया है। इस संस्करण का उल्लेख घटना के कुछ घंटों के भीतर दर्ज की गई एफ. आई. आर. में और संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पी. डब्ल्यू. 2 के बयान में मिलता है। उक्त संस्करण की सत्यता पर संदेह करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। यह सच है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ अन्य गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी, लेकिन पीडब्लू 2 की गवाही की ताकत किसी भी मायने में कम नहीं होती है और न ही यह कहा जा सकता है कि उसकी गवाही अपना वजन कम करती है क्योंकि गवाह [2020] 13 एस. सी. आर. के दादा थे।

पीड़ित। इस गवाह के माध्यम से आने वाला संस्करण ठोस, सुसंगत है और एफ़. आई. आर. की त्वरित रिपोर्टिंग में भी शामिल है। इसलिए, इस न्यायालय को यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि निचली अदालत द्वारा उल्लिखित पहली परिस्थिति निर्णायक रूप से स्थापित है। [पैरा 18.1] [48-एफ-एच; 49-ए-बी]

2. जैसा कि पीडब्लू 1 और 2 द्वारा बयान दिया गया है, अपीलार्थी को पीड़ित के बगल में आंगनवाड़ी के परिसर में पाया गया था। पीड़ित को कई चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे चिकित्सकीय उपचार के लिए ले जाया गया। घटना के तुरंत बाद, अपीलार्थी की चिकित्सकीय जांच भी की गई और रिपोर्ट एक्सबीटी की गई। 46 उसके शरीर पर चोट लगी थी। भले ही पीडब्लू9 मुकर गया था और कुछ अन्य गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी, यह तथ्य कि पीड़ित हमेशा अपीलार्थी की हिरासत में थी जब तक कि वह अपीलार्थी के साथ मौके पर नहीं पाई गई थी, काफी स्पष्ट है। समय के संदर्भ में निकटता और रिपोर्टिंग में शीघ्रता महत्वपूर्ण कारक हैं और उस ओर से साक्षय पूरी तरह से विश्वसनीय है। इस प्रकार, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, दूसरी और तीसरी परिस्थितियाँ भी पूरी तरह से

स्थापित किया गया। [पैरा 18.2] [49-सी-डी]

3. गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अपीलार्थी को पी. डब्ल्यू. 7-डॉ. के सामने चिकित्सा जांच के लिए पेश किया गया। , जिसने अपीलार्थी के निजी अंगों पर चोट पाई। उक्त चोट का अनुमानित समय

राय में दिया गया Exh। 46 अभियोजन के मामले के अनुरूप है। अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण, यहाँ तक कि कोई सुझाव भी नहीं आया कि उसके शरीर पर चोट कैसे हो सकती है जैसा कि रिपोर्ट Exh.46 में देखा गया है। इस प्रकार, चौथी परिस्थिति भी पूरी तरह से स्थापित है। [पैरा 18.3] [49-ई-एफ]

4. पांचवीं परिस्थिति पर विचार करते हुए, यह कहा जाना चाहिए कि अभिलेख के अनुसार, चप्पल का होना साबित नहीं हुआ था

अपीलार्थी और घटना स्थल पर पाए गए मांस के टुकड़े भी मनुष्य के नहीं साबित हुए। उस हद तक, पांचवीं परिस्थिति बिल्कुल भी साबित नहीं हुई थी। हालाँकि, यह तथ्य कि पीड़ित का पैंट घटना स्थल पर पाया गया था, रिकॉर्ड पर अच्छी तरह से स्थापित है, और पांचवीं परिस्थिति को केवल पीड़ित के पैंट की बरामदगी के संबंध में साबित किया जाना चाहिए। [पैरा 18.4] [49-जी-एच; 50-ए]

5. अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि 6 वीं परिस्थिति में उल्लिखित कपड़ों पर पाए गए वीर्य के दाग थे

चिकित्सकीय रूप से यह साबित हुआ कि यह अपीलार्थी का है या उससे जुड़ा हो सकता है। इसलिए छठी परिस्थिति को अपीलार्थी के खिलाफ इंगित करने के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

[पैरा 18.5] [50-बी] शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य

6. रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट विस्तार के संदर्भ में। 54 , अपीलार्थी के पतलून पर पाया गया खून पीड़ित का था।

यह तथ्य पूरी तरह से स्थापित है। चिकित्सा जांच और अपीलार्थी के कपड़ों की जब्ती सहित जाँच में कदमों के त्वरित क्रम को देखते हुए, इस न्यायालय को कोई कमजोरी नहीं मिलती है। अतः यह न्यायालय स्वीकार करता है कि 7 वां स्थिति पूरी तरह से स्थापित है। [पैरा 18.6] [50-बी-सी; 50 जी]

7. यह रिकॉर्ड की बात है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मेडिकल राय के अनुसार, उस पर जबरन यौन हमला किया गया था।

पीड़ित और उसकी मृत्यु चोट No.17 के कारण हुई थी जो योनि और गुदा क्षेत्र पर कई घावों की प्रकृति में थी; और योनि और गुदा छिद्रों का विलय। इसलिए 8 वीं परिस्थिति को पूरी तरह से साबित करने के लिए लिया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि उक्त परिस्थिति घटना स्थल पर पाए गए मांस के टुकड़ों का संदर्भ देती है। [पैरा 18.7] [50-एच; 51-ए-बी]

8. क्या अभिलेख पर स्थापित परिस्थितियाँ संतुष्ट करती हैं

शरद में इस न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित आवश्यकताएँ

बर्डहिचंद सारदा विचार का विषय है।

स्थापित परिस्थितियाँ दर्शाती हैं:

पीड़ित अपीलार्थी की अभिरक्षा में था,

(अ)

जो समय उसे उसके दादा से लिया गया था जब तक कि वह आंगनवाड़ी के परिसर में पड़ी पाई गई; जहाँ अपीलार्थी भी उसके बगल में पड़ा हुआ पाया गया था।

(ख)

पीड़ित, जो स्वस्थ और दिलकश थी जब वह थी

अपीलार्थी द्वारा ली गई, उसके शरीर पर कई चोटें थीं जब वह अपीलार्थी के बगल में पाई गई थी।

((ग)

पीड़ित के शरीर पर लगी चोटों से पता चलता है कि वह

दुर्व्यवहार और यौन शोषण किया गया था।

((घ)

यौन हमला इतना जबरदस्त था कि पीड़ित, ए

ढाई साल की लड़की को अन्य चोटों के अलावा, चोट No.17 यानी कई घाव हुए। योनि और गुदा क्षेत्र योनि और गुदा छिद्र का विलय करते हुए, मार्जिन अनियमित, रक्त घुसपैठ, लाल रंग का होता है।

(ई)

चोट No.17, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इतनी गंभीर थी कि

योनि और गुदा छिद्रों का विलय हो रहा था।

पीड़ित की मृत्यु चोट संख्या 17 के कारण हुई।

(च)

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के निजी अंगों पर चोट लगी थी

(जी)

उस अवधि के अनुरूप जब पीड़ित अपनी हिरासत में था।

(ज)

अपीलार्थी को सक्षम पाया गया था

यौन संबंध।

अपीलार्थी के पतलून पर खून के धब्बे थे,

(आई)

जिनके डी. एन. ए. प्रोफाइल रक्त से मेल खाते हैं।

पीड़ित का।

क्रमिक संख्या (ए) से (आई) तक की ये परिस्थितियाँ किसी भी संदेह से परे साबित होती हैं और अपने आप में

प्रत्येक अन्य परिकल्पना को छोड़कर निर्णायक और सुसंगत श्रृंखला अपीलार्थी के अपराध को छोड़कर। [पैरा 19] [51-बी-एच; 52-ए]

9. इस प्रकार अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 376 की उप-धारा (2) के खंड (एफ), (आई) और (एम) के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 के खंड (जे) और (एम) के तहत भी (जैसा कि 2019 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित किए जाने से पहले था)। चूँकि चिकित्सकीय राय के अनुसार, मृत्यु चोट संख्या 17 के कारण हुई थी, इसलिए अपीलार्थी धारा 376 ए के तहत दंडनीय अपराध करने का भी दोषी है।

आईपीसी. [पैरा 22] [52-एफ-जी]

10. पीड़ित को जो चोटें आईं, वे सीधे तौर पर उस पर किए गए यौन हमले के परिणामस्वरूप थीं। लेकिन चिकित्सकीय

साक्षय यह नहीं बताता है कि इससे पहले या बाद में यौन उत्पीड़न, किसी भी अन्य चोट को पीड़ित के जीवन को बुझाने के इरादे से जानबूझकर किया गया था। चोट संख्या 17, जो मृत्यु का कारण थी, पीड़िता को उसके साथ यौन उत्पीड़न के दौरान हुई थी। इसलिए जो प्रश्न उठते हैं, वे यह हैं कि क्या अपीलार्थी का ऐसा कार्य आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 के मानदंडों के भीतर आता है और क्या वह गैर इरादतन हत्या करने का दोषी है। [पैरा 23] [52-जी-एच; 53 ए-बी]

11. वर्तमान मामले में पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए, आरोपी को इसका परिणाम पता होना चाहिए कि उसका यौन संबंध

ढाई साल के बच्चे पर हमले से मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट लग सकती है जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना हो। तत्काल बात इस प्रकार है आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे खंड के मापदंडों के भीतर आता है और इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत में उठाए गए प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी के खिलाफ दिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य

इसलिए वह गैर इरादतन हत्या के अपराध को अंजाम देने का दोषी है। [पैरा 28] [66-डी-एफ]

12. जहाँ तक सजा का संबंध है, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने संक्षेप में कहा: (क) ऐसा नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्षय के मामलों में मृत्युदंड अधिरोपित करने की अनुमति नहीं है; और (ख) यदि परिस्थितिजन्य साक्षय अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में एक निर्विवाद चरित्र का है और एक असाधारण मामले की ओर ले जाता है या साक्षय पर्याप्त रूप से न्यायिक

दिमाग को आश्वस्त करता है कि मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प पूर्ववत है, तो मृत्युदंड लगाया जा सकता है। [पैरा 41] [97-ई-जी]

13. यदि वर्तमान मामले पर इस प्रकार विचार किया जाता है, तो चर्चा को व्यापक रूप से निम्नलिखित दो शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए: -((अ) क्या

वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्षय अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने में निर्विवाद चरित्र का है या एक असाधारण मामले की ओर ले जाता है; (बी) क्या रिकॉर्ड पर साक्षय इतना मजबूत और आश्वस्त करने वाला है कि मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प बंद कर दिया गया है। [पैरा 53] [126-जी-एच; 127-ए-बी] 14. अभिलेख पर सिद्ध परिस्थितियों और विशेष रूप से पहले वर्णित पहलुओं के साथ-साथ निर्धारित कानून को देखते हुए

इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में, अभिलेख पर स्थित परिस्थितियाँ अपीलार्थी की निर्दोषता की किसी भी परिकल्पना को खारिज करती हैं। द.

परिस्थितियाँ स्पष्ट, सुसंगत और निर्णायक प्रकृति की होती हैं और अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने में निर्विवाद चरित्र की होती हैं। अभिलेख पर साक्षय एक असाधारण मामले को भी दर्शाता है जहाँ ढाई साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था। हमला पीड़ित के शरीर पर काटने के साथ किया गया था। बलात्कार इतनी तीव्रता का था कि पीड़ित की योनि और गुदा छिद्रों का विलय हो रहा था। पीड़ित की उम्र, यह तथ्य कि अपीलार्थी पीड़ित का मामा था और हमले की तीव्रता वर्तमान मामले को एक असाधारण मामला बनाती है। [पैरा 53] [127-बी-डी]

15. हालांकि, अगर मामले पर दूसरे शीर्ष के खिलाफ विचार किया जाता है, तो हम नहीं पाते हैं कि सजा का विकल्प इससे कम है।

मृत्युदंड को पूरी तरह से रोक दिया गया है। यह सच है कि यौन हमला बहुत गंभीर था और अपीलार्थी के आचरण को विकृत और बर्बर कहा जा सकता है। हालाँकि, अपीलार्थी के पक्ष में एक निश्चित संकेत यह तथ्य है कि उसने पीड़ित के जीवन को बुझाने के इरादे से जानबूझकर कोई चोट नहीं पहुंचाई।

हालाँकि सभी चोटें उनके कारण लगी हैं और यह चोट आई. डी. 1 थी जो मृत्यु का कारण थी, आई. पी. सी. की धारा 30 के तहत उनकी दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 300 के पहले तीन खंडों में से किसी के तहत नहीं है। जिन मामलों में आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत चौथे खंड की सहायता से दोषसिद्धि दर्ज की जाती है, यह बहुत दुर्लभ है कि मृत्युदंड दिया जाता है। मामलों में क्रमिक संख्या में। 10 , 11 , 16 , 24 , 40 , 45 और चार्ट के 64 को इसके ऊपर पैराग्राफ 30 में सारणीबद्ध किया गया है, जहां पीड़ित 16 साल से कम उम्र के थे और उन पर यौन हमले के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, दी

गई अधिकतम सजा आजीवन कारावास थी। यह पहलू इस बात पर विचार करते समय महत्वपूर्ण है कि क्या मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प बंद कर दिया गया है या नहीं। [पैरा 53] [127-डी-जी]

आई. पी. सी. की धारा 300 के पहले तीन खंडों में से किसी के तहत मामले को लाने के लिए कोई आवश्यक इरादा नहीं था। वर्तमान मामला मृत्युदंड के योग्य नहीं है। [पैरा 54] [127-जीएच; 128ए]

आई. डी. 1 पर अपराध किया गया था और इस तरह के अपराध से कुछ दिन पहले, अध्यादेश द्वारा आई. पी. सी. में धारा 376ए डाली गई थी। जैसा कि इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है, संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई धारा 376ए को दिया गया कार्योत्तर प्रभाव किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) के साथ असंगत नहीं होगा। इस प्रकार अपीलार्थी निश्चित रूप से आई. पी. सी. की धारा 376ए के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि क्या मौत की सजा से कम की सजा को खारिज किया जाता है या नहीं। आई. पी. सी. की धारा 376ए के तहत मामलों से निपटने के दौरान आई. पी. सी. की धारा302 के खिलाफ, अदालतों द्वारा दिए जाने वाले दंड के रूप में विचार करने के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। उन ही पहलुओं के आधार पर जो इस न्यायालय के साथ वजन करते थे, जबकि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उचित सजा पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आई. पी. सी. की धारा 376ए को अपराध करने से कुछ दिन पहले क़ानून की पुस्तक में लाया गया था, अपीलार्थी उक्त अपराध के लिए मौत की सजा का हकदार नहीं है। साथ ही, अपराध की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए, यह देखा जाना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 376ए के तहत अपराध के लिए उचित सजा होनी चाहिए।

25 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास।

[पैरा 55] [128-ए ई] शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एस. सी. आर. 88; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या और एक अन्य (1976) 4 एस. सी. सी. 382 [1977] 1 एस. सी. आर. 601; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। राम प्रसाद [1968] 2 एस. सी. आर. 522; संतोष पुत्र शंकर पवार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 641 [2015] 4 एस. सी. आर. 962; सूरज जगन्नाथ जाधव बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2020) 2 एससीसी 693: [2019] 15 एस. सी. आर. 84; उड़ीसा राज्य बनाम। दिबाकर नाइक और अन्य (2002) 5 एस. सी. सी. 323: [2002] 3 एस. सी. आर. 307; राज्य, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम। सुनील एंड अदर (2001) 1 एस. सी. सी. 652: [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 144; अमृत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2006) 12 एससीसी 79: [2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 889; दत्तात्रेय अंबो रोकाडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2019) 13 स्केल 187; डगडू बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 3 एससीसी 68: [1977] 3 एससीआर 636; बी। ए. उमेश बनाम महापंजीयक, कर्नाटक उच्च न्यायालय (2017) 4 एससीसी 124:

[2016] 5 एस. सी. आर. 438; वसंत संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2017) 6 एससीसी 631: [2017] 3 एससीआर 850; मनोज सूर्यवंशी बनाम। की स्थिति

छत्तीसगढ़ (2020) 4 एससीसी 451; हनुमंत बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [1952] एससीआर 1091; वादिवेलु थेवर

वी. मद्रास राज्य [1957] एस. सी. आर. 981; जुम्मन खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 752: [1990] 3 पूरक। एससीआर 398; अमृतलाल सोमेश्वर जोशी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1994) 6 एससीसी 186: [1994] 2 पूरक। एस. सी. आर. 510; शिवाजी उर्फ दाद्या शंकर अलहत बनाम। महाराष्ट्र राज्य; (2008) 15 एससीसी 269: [2008] 13 एस. सी. आर. 81; वसंत संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2015) 1 एस. सी. सी. 253; मनोहरन बनाम। राज्य (2019) 7 एस. सी. सी. 716; आलोक नाथ दत्ता बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2007) 12 एससीसी 230: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 662; स्वामी श्रद्धानंद (2) v. कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767: [2008] 11 एस. सी. आर. 93; मोहन और अन्य। वी. तमिलनाडु राज्य (1998) 5 एससीसी 336: [1998] 3 एस. सी. आर. 317; नंद किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2019) 16 एस. सी. सी. 278; हरियाणा राज्य बनाम कृष्ण एंड अदर (2017) 8 एस. सी. सी. 204: [2017] 7 एससीआर 251; मो. मन्नान वी. बिहार राज्य (2019) 16 [2020] 13 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. सी. 584 [2019] 8 एस. सी. आर. 266; दिलीप बांकर बनाम। एम. पी. एम. ए. एन. यू./एस. सी./1125/2019 की स्थिति; रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ बनाम। गुजरात राज्य (2009) 5 एस. सी. सी. 740; धनंजय चटर्जी बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य (1994) 2 एस. सी. सी. 220: [1994] 1 एस. सी. आर. 37; अशोक देबबर्मा @अचक देबबर्मा बनाम। त्रिपुरा राज्य (2014) 4 एससीसी 747: [2014] 4 एस. सी. आर. 287; सुदाम बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 एससीसी 388 [2019] 14 एससीआर 943; संतोष

कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498: [2009] 9 एससीआर 90; कालू खान बनाम। राजस्थान राज्य (2015) 16 एससीसी 492; रविशंकर उर्फ बाबा विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(2019) 9 एससीसी 689: [2019] 14 एस. सी. आर. 285-निर्भर।

अलाउद्दीन मियां बनाम। बिहार राज्य (1989) 3 एससीसी 5: [1989] 2 एससीआर 498; मल्कियत सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य (1991) 4 एससीसी 341: [1991] 2 एस. सी. आर. 256; अजय पंडित बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 8 एससीसी 43: [2012] 10 एस. सी. आर. 70;

बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम। असम राज्य (2007) 11 एस. सी. सी. 467: [2007] 1 एस. सी. आर. 916; सेबेस्टियन @चेविथियान बनाम। केरल राज्य (2010) 1 एस. सी. सी. 58; पूर्ण चंद्र कुसल बनाम। उड़ीसा राज्य (2011) 15 एस. सी. सी. 352; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। टी. प्रसन्ना कुमार (2003)

1 एसीआर 627 (एससी); मोहम्मद। चमन वी। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2001) 2 एस. सी. सी. 28; रमेश हरिजन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

प्रदेश (2012) 5 एससीसी 777: [2012] 6 एससीआर 688; राम देव प्रसाद बनाम। बिहार राज्य (2013) 7 एससीसी 725: [2013] 6 एस. सी. आर. 108; रमेश बनाम। पुलिस निरीक्षक (2014) 9 एस. सी. सी. 392 [2014] 7 एस. सी. आर. 956 के माध्यम से राज्य। आरिफ उर्फ अशफाक बनाम। पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2014) 9 एस. सी. सी. 737: [2014] 11 एससीआर 1009; सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 190: [1977] 1 एससीआर 229; कामता तिवारी बनाम। एम. पी. राज्य (1996) 6 एस. सी. सी. 250: [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 507; मोलाई और एक अन्य बनाम। एम. पी. राज्य (1999) 9 एस. सी. सी. 581: [1999] 4 पूरक। एससीआर 104; नील कुमार बनाम। हरियाणा राज्य (2012) 5 एससीसी 766: [2012] 5 एससीआर 696; सुशील शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2014) 4 एस. सी. सी. 317: [2013] 16 एस. सी. आर. 616; महेश धनाजी शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2014)

शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य

4 एससीसी 292: [2014] 3 एससीआर 406; राजेश कुमार बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से राज्य (2011) 13 एस. सी. सी.

706 ; मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (2013) 3 एससीसी

294 [2013] 3 एस. सी. आर. 90; रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ (2) v. गुजरात राज्य (2011) 2 एससीसी 764: [2011] 1 एस. सी. आर. 829; अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 107:

[2012] 1 एससीआर 1009 सुनील बनाम। एम. पी. राज्य (2017) 4 एस. सी. सी. 393; सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2014) 1 एस. सी. सी. 129 [2013] 9 एस. सी. आर. 295; सुरेंद्र पाल शिवबालक पाल बनाम। गुजरात राज्य (2005) 3 एससीसी 127: [2004] 4 पूरक। एस. सी. आर. 464; महेश धनाजी शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2014) 4 एससीसी 292: [2014] 3

एससीआर 406, संतोष कुमार सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2014)

12 एससीसी 650 [2014] 7 एससीआर 928; श्याम सिंह @

भीम बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2017) 11 एस. सी. सी. 265; मुकेश और एक अन्य बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य

(2017) 6 एससीसी 1: [2017] 6 एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

कैलिफोर्निया बनाम। ब्राउन 93 एल एड 2 डी 934: 479 यूएस 538

(1987) ; फ्रैंकलिन वी। लिनाघ 101 एल एड 2 डी155: 487 यूएस 164 (1988); हेरेरा बनाम। कोलिन्स (1993) एस. सी. सी. ऑनलाइन यू. एस. एस. सी. 10; ओरेगन बनाम गुजेक 546 यू. एस. 517 (2006); अब्दुल कबीर बनाम। क्वार्टरमैन 550 यू. एस. 233 (2007); राज्य बनाम। मैकिन्नी 74 एस. डब्ल्यू. 3 डी 291-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1989] 2 एससीआर 498

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.2

[1991] 2 एससीआर 256

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.2

[2012] 10 एससीआर 70

पैरा 17.2

संदर्भित किया गया है

[2007] 1 एससीआर 916

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.2

(2010) 1 एससीसी 58

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.2

(2011) 15 एस. सी. सी. 352

पैरा 17.2

संदर्भित किया गया है

(2015) 16 एससीसी 492

उस पर भरोसा करें

पैरा 17.2

[2014] 4 एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पैरा 17.2

उस पर भरोसा करें

[2019] 14 एससीआर 943

पैरा 17.2

[2019] 14 एससीआर 285

उस पर भरोसा करें

पैरा 17.2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[

(2011) 13 एस. सी. सी. 706

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 3 एससीआर 90

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2011] 1 एससीआर 829

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2012] 1 एससीआर 1009

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2017) 4 एस. सी. सी. 393

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 9 एससीआर 295

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2004] 4 पूरक। एससीआर 464

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2014] 3 एससीआर 406

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2014] 7 एससीआर 928

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2017) 11 एससीसी 265

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2016] 5 एससीआर 438

उस पर भरोसा करें

पैरा

(2015) 1 एस. सी. सी. 253

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2017] 3 एससीआर 850

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2017] 6 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1977] 1 एससीआर 601

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[1968] 2 एससीआर 522

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2015] 4 एससीआर 962

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2019] 15 एससीआर 84

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2017] 7 एससीआर 251

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2002] 3 एससीआर 307

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2000] 5 पूरक। एससीआर 144

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[2006] 8 पूरक। एससीआर 889

उस पर भरोसा करें

पैरा

(2003) 1 एसीआर 627 (एससी)

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

(2001) 2 एससीसी 28

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2012] 6 एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 6 एससीआर 108

संदर्भित किया गया है

पैरा2

[2014] 7 एससीआर 956

संदर्भित किया गया है

पैरा:

1

बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र

उस पर भरोसा करें

पैरा 26.6

ए.

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

बी.

उस पर भरोसा करें

पैरा 34

उस पर भरोसा करें

पैरा 35

उस पर भरोसा करें

पैरा 35 पैरा 36 (i)

उस पर भरोसा करें

सी.

पैरा 36 (ii)

उस पर भरोसा करें

पैरा 36 (iii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 36 (iv)

संदर्भित किया गया है

पैरा 36 (वी)

उस पर भरोसा करें

डी.

पैरा 36 (vii)

उस पर भरोसा करें

पैरा 37 (i)

उस पर भरोसा करें उस पर भरोसा करें

पैरा 37 (iii) पैरा 37 (iv)

उस पर भरोसा करें

ई.

पैरा 37 (iv)

उस पर भरोसा करें

पैरा 37 (vi)

संदर्भित किया गया है

पैरा 37 (vii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 37 (viii)

संदर्भित किया गया है

एफ.

पैरा 37 (x)

उस पर भरोसा करें

उस पर भरोसा करें

पैरा 37 (xi)

उस पर भरोसा करें

पैरा 38

उस पर भरोसा करें

पैरा 37

जी.

सीई न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील उच्च न्यायालय का दिनांकित 12.10.2015 आदेश

आपराधिक अपील No.321 में यूआर बेंच

2015 के मामले संख्या 1 पर।

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुशील कुमार दुबे, अनुज अग्रवाल,

पुनीत पाठक, हिमांशु अग्रवाल, अंशु राज सिंह, बालाजी श्रीनिवासन, सुशील करंजकर, राहुल एस. चिटनिस, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपील आपराधिक अपील में उच्च न्यायालय 1 द्वारा पारित सामान्य निर्णय और दिनांक 12.10.2015 आदेश को चुनौती देती हैं। 2015 का सं. 321 और 2015 का आपराधिक पुष्टि मामला सं. 1 2013 के विशेष मामले (पॉक्सो अधिनियम 3) में निचली अदालत 2 द्वारा पारित सं. आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए और अपीलार्थी को दो मामलों यानी भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी., संक्षेप में) की धारा 303 के तहत और आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हुए।

2. वर्तमान मामले में पीड़ित ढाई साल की लड़की थी।

आयु और प्रथम सूचना रिपोर्ट 09.25 शाम को दर्ज की गई थी।

11.02.2013 उसके पिता द्वारा परव पुलिस स्टेशन, यवतमाल के साथ निम्नानुसार:

" पुलिस स्टेशन में आकर, मैं एक मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराता हूं कि मैं एक साल से अपने परिवार के साथ जटाला में रह रहा हूं। मेरे पास दो हैं

बेटी और एक बेटा। पीड़ित, जिसकी उम्र 2 साल है, मेरी बेटी संख्या-2 है। मैं अपने ससुर के पड़ोस में रहता हूँ।

आज का दिन 11.02.13, क्योंकि वहाँ महाप्रसाद का एक कार्यक्रम था

गाँव के दत्तात्रेय मंदिर में मैं शाम करीब 7 बजे खाना खाने गया था। खाना खाने के बाद शाम करीब 7:30 बजे घर लौटा। उस समय मैंने अपनी बेटी मिस XXX4 को घर पर नहीं देखा। इसलिए, मैंने अपने ससुर से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है। उस पर उन्होंने मुझसे कहा, "जताला निवासी 21 वर्षीय शत्रुघ्न बबन मेशराम ने यह कहते हुए आपकी बेटी को मुझसे छीन लिया है कि वह आपके पास पहुंचेंगे।" लेकिन शत्रुघ्न मेरी बेटी को मेरे पास नहीं लाए। इसलिए मैंने गाँव में अपनी बेटी की तलाश की। मैंने अपनी बेटी XXX1 और शत्रुघ्न मेशराम को आंगनवाड़ी की नई, निर्माणाधीन इमारत में लेटे हुए देखा। मेरी बेटी के व्यक्ति पर कोई पैंट नहीं था। वह बगल में पड़ा हुआ था।

' बॉम्बे में उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ, नागपुर। 2 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यवतमाल 3 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012। 4 पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं किया जा रहा है शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

उसका चेहरा काटा गया था और गुप्तांग सूजे हुए थे। मैं अपनी बेटी के साथ बाहर आया। इसी बीच 50 वर्षीय बबन संभाजी मेशराम भी वहाँ आए। वे शत्रुघ्न को अपने घर ले गए। मैं अपने ससुर और विट्ठल घोड़ाम के साथ अपनी बेटी को गाँव से ऑटो में कुर्ली से डॉ. जाफर सिद्दीकी के पास ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। इसलिए हम घर लौट आए।

शत्रुघ्न मेशराम मेरी बेटी को आंगनवाड़ी की इमारत में ले गए, अकेले में उसके साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार किया, उसे काट दिया

मुँह और होंठों पर और उसकी हत्या कर दी।

3. जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया है, पीड़ित को पीडब्लू6 डॉ. मोहम्मद के पास ले जाया गया था। चिकित्सा के लिए जाफर सिद्दीकी लेकिन वह पहले से ही मर चुकी थी और उसके शरीर पर काटने के निशान थे। अपराध के पंजीकरण के बाद, जांच (Exh.15) आयोजित की गई थी जिसमें दर्ज किया गया था, "- दोनों गालों पर काले और नीले रंग के (चोट) के निशान दिखाई देते हैं और एक चोट है बाएँ गाल पर दिखाई देता है। इसी तरह दोनों होंठ काटे जाते हैं। 2 सेंटीमीटर की चोट। एक्स 3 सेमी। एक्स 1 सेमी। ठोड़ी पर दिखाई देता है। इसने यह भी दर्ज किया कि जबरन यौन हमले के संकेतों के अलावा पीड़ित की छाती और पेट पर काटने के निशान थे।

4. अपराध दर्ज होने के तुरंत बाद, पीडब्लू 13 एपीआई पंकज वंजारी (पुलिस थाना प्रभारी) ने Exh.23 के माध्यम से अपीलार्थी की गिरफ्तारी की।

और मौके पर पंचनामा आयोजित किया। घटनास्थल पर पीड़ित की पूरी पैंट, मांस के टुकड़े और एक वयस्क पुरुष की चप्पल मिली।

5.अपीलार्थी को चिकित्सा जांच के लिए पीडब्लू 7 डॉ. उल्हास दिगंबर लिंगावर के पास ले जाया गया, जिन्होंने पाया कि:

" ग्लान्स लिंग की नोक पर घर्षण की चोट थी। चोट का आकार 5 मिमी x 3 मिमी था। वह चोट 24 घंटे के भीतर लगी थी।

आरोपी को यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया गया।

जाँच अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में गवाह ने कहा

एक्सएच 46 ने अपनी राय में कहा था:

" (1) हां, 24 घंटे के भीतर संभोग का संकेत। , था।

उपस्थित हैं।

(2)

हां, प्रमाण पत्र में उल्लिखित चोट संभव हो सकती है, जिसके कारण यौन संबंध "।

6. पीड़ित के शरीर का पोस्टमॉर्टम 12.02.2013 पर पांच चिकित्सा पेशेवरों के एक बोर्ड और रिपोर्ट द्वारा किया गया था।

(एक्सएच। 53) ने कहाः

" योनि और गुदा छिद्र के विलय के साथ पेरिनियल टियर का साक्षय, कॉलम संख्या 17 और 17 के तहत उल्लिखित है 21. सुखाया हुआ खून और मल

जननांग और पेरिनियल क्षेत्र पर "।

पीड़ित व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं: -

" 1 .

आकार के दाहिने युग्मनज क्षेत्र पर कई घर्षण

0. 0 से. मी. x 0.0 से. मी. तक। 0. 3 से. मी. x 0.20 से. मी., लाल।

बाईं ऊपरी आंख पर घर्षण-0.50 सेमी x 0.50 सेमी आकार का ढक्कन,

2 .

लाल।

4 से. मी. x 4 से. मी. आकार के दाहिने गाल पर घर्षण, लाल।

3 .

8. 5 से. मी. x 7 से. मी. आकार के बाएं गाल पर घर्षण, लाल।

4 .

ऊपरी और निचले दोनों होंठों के गायब होने के साक्षय

5 .

साफ कट मार्जिन के साथ प्रयोगशाला वसा बिना बिना पेरीऑरल रूप से देखी जाती है

रक्त का प्रवेश (प्रकृति में पोस्टमॉर्टम)।

6 .

ऊतक गायब होने के साथ मांसपेशियों की गहराई, मार्जिन अनियमित और रक्त घुसपैठ, लाल। आकार के क्षेत्र में दाहिने निप्पल के ऊपर और उसके आसपास काटने का निशान

7 .

5 से. मी. x 5 से. मी., परकोटे, लाल।

8 .

आकार के क्षेत्र में बाएं निप्पल के ऊपर और उसके आसपास काटने का निशान

3 से. मी. x 3 से. मी., परकोटे, लाल।

पेट के ऊपर काटने का निशान, नाभि के स्तर पर 1 सेमी सही

9 .

4 से. मी. x 3.5 से. मी. के आकार के क्षेत्र में, परिवेष्टित मार्जिन,

लाल।

10 .

नाभि, आकार 3 से. मी. x 3 से. मी. के क्षेत्र में, संरेखित, लाल रंग का होता है। मध्य रेखा में सार्वजनिक क्षेत्र पर काटने का निशान, 9 सेमी नीचे

11 .

नाभि, 4 से. मी. x 3.5 से. मी. के आकार के क्षेत्र में, परिच्छेदित, लाल रंग का होता है।

दाहिने कंधे के पार्श्व पक्ष पर एक क्षेत्र पर काटने का निशान

12 .

5 से. मी. x 3 से. मी. के आकार के, किनारों को संदूषित, लाल।

13 .

दाहिने नितंब पर काटने का निशान, आकार 3 सेमी x 3 के क्षेत्र पर

से. मी., परकोटे, लाल।

शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र का ताटे [उदय उमेश ललित, जे.]

दाहिने नितंब पर काटने का निशान, आकार 3 सेमी x 3 के क्षेत्र पर

14 .

से. मी., संदूषित, लाल, चोट से अलग No.13

1. 5 सेमी तक।

15 .

दाहिने नितंब पर काटने का निशान, आकार 3 सेमी x के क्षेत्र पर 2.5 सेमी, संदूषित मार्जिन, चोट से अलग लाल रंग का

No.14 1 सेमी से।

16 .

बाएँ नितम्ब पर काटने का निशान, आकार 3.7 सेमी x के क्षेत्र पर

3 से. मी., परकोटे, लाल।

17 .

योनि और गुदा क्षेत्र के विलय पर कई घाव

योनि और गुदा छिद्र (3,6 और 9 बजे की स्थिति में पेरिनियल टियर), मार्जिन अनियमित, रक्त घुसपैठ, लाल। बाएं घुटने के जोड़ क्षेत्र पर घर्षण, पूर्व की ओर,

18 .

आकार 1 सेमी x 0.5 सेमी, लाल।

ध्यान दें: 1. चोट संख्या 1,2,3,4 और 18 कठोर और खुरदरे होने के कारण होती हैं।

सतह।

2 . चोट संख्या 5 तेज धार वाली वस्तु के कारण होती है।

3 . चोट संख्या 6 दाँतों द्वारा निब्बलिंग (निब्बलिंग) के कारण होती है।

काटें)।

4. चोट संख्या 7 से 16 मानव काटने के कारण होती हैं। 5. चोट No.17 जबरदस्ती यौन हमले के कारण होती है।

"आंतरिक चोटें" शीर्षक के तहत संबंधित

कॉलम No.21 में वेशन थे:

" के विलय के साथ पीछे की योनि की दीवार में आँसू का प्रमाण

अल और गुदा नहर (पेरिनियल टियर)। सतह खुरदरी, किनारे अनियमित, घुसपैठ और लाल, कॉलम संख्या के तहत चोट No.17 के अनुरूप, n को फैलाना और फाड़ना (छिद्रित)। 17 . ”

चोटों के प्रभाव और मृत्यु के कारण पर, रिपोर्ट

:

" (क) क्या पूर्व-मृत्यु

मृतकों पर मिले घाव:

शरीर में पर्याप्त था

प्रकृति का सामान्य पाठ्यक्रम मृत्यु का कारण बनता है।

हाँ [2020] 13 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख)

यदि हाँ, तो कौन सी चोटें

चोट No.17 नीचे

व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त थे

सामान्य क्रम में

स्तम्भ No.17 इसके साथ संबंधित आंतरिक

मृत्यु के कारण की प्रकृति।

उल्लिखित चोटें

कौन सी चोटें

((ग)

सामूहिक रूप से पर्याप्त हैं

कॉलम No.21 के तहत

अपने परिणामों के साथ।

सामान्य पाठ्यक्रम

प्रकृति मृत्यु का कारण बनती है।

मृत्यु के कारण के बारे में राय:

" सदमा और रक्तस्रावी रोग

पेरिनियल टियर के बाद कई चोटों के साथ "।

7. पीड़ित के साथ-साथ अपीलार्थी के कपड़े हम

रासायनिक विश्लेषण और रिपोर्ट (Exh.69) के लिए निम्नानुसार था:

" पारसेलों का विवरण

छह सीलबंद पार्सल, मुहरें बरकरार हैं और भेजी गई प्रति के अनुसार।

पारसेल में निहित लेखों का विवरण

कागज में लिपटी जर्सी-अल

1 .

पूर्ण पंत कागज में लिपटे हुए लेबल-बी1

2 . 3 .

पूर्ण शर्ट कागज में लिपटे हुए लेबल-बी2

निकर लेबल वाले कागज में लिपटे हुए-बी3

4 .

5. पूर्ण पंत (छोटा) लेबल वाले कागज में लपेटा गया-सी1

6. पृथ्वी कागज में लिपटे हुए लेबल-सी2

विश्लेषण के परिणाम।

प्रदर्शनी

नंबर. 1 पर 0.1 से 4 तक के कुछ खून के धब्बे हैं।

|

ऊपरी भाग पर व्यास में। प्रदर्शनी 2 में मध्यम संख्या में रक्त के धब्बे हैं।

|

प्रदर्शनी संख्या 5 में मध्यम संख्या में रक्त के धब्बे, रंगियाँ हैं मध्य और निचले बरामदे पर व्यास में 0.1 से 2 सेमी तक

प्रदर्शन संख्या 3,4 और 6 पर कोई रक्त नहीं पाया गया है। प्रदर्शनी संख्या 1,23,4 और 5 पर कोई वीर्य नहीं पाया गया है।

प्रदर्शनी संख्या 1,2 और 5 पर पाया गया रक्त मानव है।

1 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

7.1 पीड़ित के शरीर से लिए गए स्वाब, कपड़े और रक्त के नमूनों सहित संबंधित सामग्री को डी. एन. ए. के अधीन किया गया था। विश्लेषण और रिपोर्ट (Exh.54) में कहा गया है:

" रायः 1) रक्त से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल पूर्व पर पाए गए। 1 मृतक की जर्सी, पूर्व। 2 अभियुक्त का पूरा पँट, पूर्व। 5 बी. एन.-677/13, पूर्व में मृतक का पूर्ण पंत। 2 योनि स्वाब, उदा। 3 योनि स्मीयर स्लाइड, उदा। 4 सर्वाइकल स्वैब, एक्स। 5 सर्वाइकल स्मीयर स्लाइड, एक्स। 6 गुदा। स्वाब, एक्स। 7 गुदा स्मीयर स्लाइड, उदा। 8 त्वचा और ऊतक, उदा। 12 बीएन-678/13 में काटने की जगह से स्वाब समान हैं और महिला मूल के एक ही स्रोत से हैं और पूर्व में मौजूद मातृ और पैतृक युग्मविकल्पों के साथ मेल खाते हैं। 9 बी. एन.-678 में मृतक का रक्त

13. "

8. अपीलार्थी पर विशेष मामले में निचली अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया था

(दंडनीय अपराध करने के लिए 2013 का पॉक्सो अधिनियम) No.11

आई. पी. सी. की धारा 376 (1) (2) (एफ) (एम), 376 ए, 302 और धारा 6 के तहत

पॉक्सो अधिनियम। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की और अपने मामले के समर्थन में प्रासंगिक सामग्री पेश की।

8.1 पीडब्लू1, पीड़ित के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया और पीडब्लू6 डॉ. मोहम्मद द्वारा पीड़ित की जांच के बारे में भी बताया। जाफर। पीडब्लू2, पीड़ित के दादा ने बताया कि कैसे अपीलार्थी पीड़ित को अपने साथ ले गया था। यह कहा गया था:

" उसने मुझे बताया कि पीड़ित का पिता काम से आया था और उसने उसे पीड़ित को लाने के लिए कहा। मैंने उसे बताया कि पीड़ित के पिता अभी आने वाले हैं और उनसे कहा कि वह पीड़ित को अपने साथ न ले जाए। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और पीड़ित को ले गया। इसके बाद मैं और मेरी पत्नी शिकायतकर्ता के घर गए और उससे पूछा कि क्या पीड़ित को आरोपी उसके पास लाया था और उसने मुझे बताया कि पीड़ित को उसके पास नहीं लाया गया था। इसलिए मैंने, शिकायतकर्ता और श्रवण ने पीड़ित की तलाश की। हम पानी की टंकी की ओर बढ़े। पूछताछ में विकास मसराम ने बताया कि उसने आरोपी को पीड़िता के साथ आंगनवाड़ी की ओर जाते देखा। इसलिए हम आंगनवाड़ी की ओर चले गए। उस समय आंगनवाड़ी का निर्माण अधूरा था और हमने देखा कि पीड़ित और आरोपी दोनों

आंगनवाड़ी परिसर में पड़े थे। पीड़ित का जिन का पैंट एक तरफ लेटा हुआ था और टी-शर्ट उसके पर्स पर थी।

हमने देखा कि वह [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसके होंठों, बच्चों, छाती और कूल्हों पर काटने के घाव थे।

उसके निजी हिस्से से खून बह रहा था।

8.2 पीडब्लू6 डॉ. मो. जाफर ने बताया कि जब पीड़ित को लाया गया था

उससे पहले, वह पहले से ही मर चुकी थी और उसने अपने शरीर पर घाव और काटने पाए थे। पीडब्लू7 डॉ. उल्हास दिगंबर लिंगावर ने अपीलार्थी की चिकित्सीय जांच और राय Exh.46 के बारे में गवाही दी। 8.3 पीडब्लू10 डॉ. सचिन जनबाजी गाडगे, सहायक प्रोफेसर, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज,

यवतमाल ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को साबित किया और चोट के बारे में बताया

सं. 5 निम्नानुसार है: - " 7. चोट संख्या 5 तेज धार वाले दांतों के कारण हो सकती है। बाहरी जांच या पैल्पेशन पर कोई फ्रैक्चर नहीं। सभी चोटें पोस्टमार्टम से पहले की हैं और

ताज़ा। कॉलम संख्या 17 (पोस्टमॉर्टम) के तहत चोट संख्या 5 को छोड़कर।"

चोट की प्रकृति No.17 और पोस्ट के बाद उठाए गए कदम

मृत्यु का संकेत इस प्रकार दिया गया था:

" 12. कॉलम No.17 के तहत चोट No.17 अपने परिणामों के साथ कॉलम No.21 के तहत उल्लिखित अपनी संबंधित आंतरिक चोट के साथ प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।

तदनुसार, विसरा को संरक्षित किया गया था। वीर्य विश्लेषण के लिए योनि, ग्रीवा और गुदा के स्वाब रखे जाते हैं। लार का पता लगाने और तुलना करने के लिए काटने की जगह और नियंत्रण स्थल से स्वाब रखे जाते हैं। डी. एन. ए. विश्लेषण और तुलना के लिए खून से लथपथ जालीदार टुकड़ा रखा गया। त्वचा और ऊतक को डी. एन. ए. विश्लेषण के लिए रखा जाता है। तुलना के लिए बाल रखे जाते हैं, यदि कोई हो। रक्त समूह के लिए रखा गया रक्त से लथपथ जालीदार टुकड़ा। विदेशी रक्त समूह का पता लगाने के लिए नाखून की कतरनें रखी जाती हैं। त्वचा और ऊतकों को ऊतकीय परीक्षण के लिए रखा जाता है।

13. उपर्युक्त सामग्री पैक, सीलबंद, लेबल और हाथ से

उसके हस्ताक्षर। विज्ञापन Ex.52 पर है। 14. मृत्यु के कारण के बारे में मेरी राय कई चोटों के साथ पेरिनियल टियर के बाद सदमे और रक्तस्राव है।

वहाँ शक्तिशाली शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम था। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

बच्चे पर यौन हमला। चोट No.17 लिंग के बलपूर्वक घुसने के कारण हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर ऊपर बताए गए डॉक्टरों के हस्ताक्षर के साथ मेरे हस्ताक्षर हैं।

सामग्री सही है। यह Ex.53 "पर है।

जिरह में, गवाह ने स्वीकार किया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि चोट संख्या 5 के कारण हुआ था नुकीले दाँत। प्रतिपरीक्षा का प्रासंगिक भाग इस प्रकार था:

" यह सच है कि कॉलम नं. 17 नोट नं. 2 चोट के संबंध में सं। 5 यह उल्लेख नहीं किया गया है कि चोट तेज धार वाले दांतों के कारण होती है। गवाह स्वयंसेवकों ने कहा कि हमने नमूना डी. एन. ए. परीक्षण के लिए भेजा था। यह सच है कि मैंने पी. एम. रिपोर्ट में विशेष रूप से यह राय नहीं दी थी कि कॉलम नं. 17 यह तेज धार वाले दांतों के कारण हुआ था। यह सच नहीं है कि दांतों के काटने से होने वाली चोट क्लीन कट मार्जिन पैदा नहीं कर सकती है।

एक किराने की दुकान के मालिक चंद्रकांत नारायण बीजापवार थे।

पीडब्लू9 के रूप में जांच की गई। उन्होंने कहा कि आईडी1 पर शाम करीब 7 बजे आरोपी उनकी दुकान पर आया था और उसने पारले बिस्कुट और लक्ष्मीनारायण चिवाड़ा खरीदे थे, लेकिन उसे याद नहीं था कि उस समय आरोपी के साथ कौन था। इसलिए गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया।

जाँच अधिकारी ए. पी. आई. पंकज वंजारी से पी. डब्ल्यू. 13 के रूप में पूछताछ की गई और जाँच के दौरान उठाए गए कदमों के बारे में गवाही दी गई। वह.

पदच्युत किया:

" 20-2-2013 पर मैंने J.M.F.C. घटंजी को दादा और विकास मसराम के Cr.P.C की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए पत्र भेजा था। पत्र पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह Exh.81 पर है।

तदनुसार मुझे एक्सएच प्राप्त हुआ। 17. "

संहिता की धारा 164 के तहत पीड़ित के दादा का बयान 17 प्रदर्शित करें। हालांकि, रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है कि क्या

विकास मेशराम से धारा 164 के तहत पूछताछ की गई, और यदि नहीं, तो इस तरह की जांच न करने का कारण। इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में, उसे दिए गए एक सुझाव का जवाब नीचे दिया गया था: " पीडब्लू. 1 ने कहा था कि लोग आरोपी को मुट्ठी और लात से पीटते हैं। उनके कथन में इसका उल्लेख किया गया है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विकास मेशराम से मुकदमे में गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी।

इसी तरह, अपीलार्थी के पिता, बबन संभाजी मेशराम (संदर्भित)

एफ. आई. आर. में); और श्रवण और मेशराम (पी. डब्ल्यू. 2 के बयान में संदर्भित) से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई थी।

9. धारा 313 के तहत अपीलार्थी की परीक्षा में

कोड, जब पीडब्लू 7 डॉ. उल्हास दिगंबर लिंगावर का सबूत उनके सामने रखा गया, तो अपीलार्थी ने कहा कि सबूत गलत था। इसी तरह की उनकी प्रतिक्रिया थी, जब सबूत मिला कि पीड़ित का खून मिला था

उसकी पूरी पैंट पर उसे डाल दिया गया था। प्रश्न No.61 के लिए उनका स्पष्टीकरण था:

क्या आप बताना चाहते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाह क्यों हैं?

" प्र. 61:

क्या आप अपने खिलाफ गवाही दे रहे हैं?

जब मैं मृत लड़की के घर गया था, तो वह

उत्तर। :

माता-पिता ने मानव बलि देने के बारे में बात की थी

मृतक के छिपे हुए खजाने का पता लगाने के लिए और इसे सुनने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूंगी लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की थी और गलत तरीके से गवाही दी थी।

10. विचारण न्यायालय ने पाया कि निम्नलिखित परिस्थितियाँ

अपीलार्थी के अपराध को स्थापित किया।

“ (i) पहली परिस्थिति यह है कि अभियुक्त ले गया

पी. डब्ल्यू. 2 की गोद से मृत पीड़ित बच्चा, ससुर

शिकायतकर्ता अर्थात पीड़ित के पिता का यह कहकर कि

मृतक के पिता ने उसे मृतक को लाने के लिए कहा

उसका शिकार होना।

((ख)

दूसरी स्थिति यह है कि मृतक पीड़ित बच्चा

जब से उसने आरोपी को लिया था, तब से वह उसकी हिरासत में था

वह पी. डब्ल्यू. 2 से दूर है।

(iii)

तीसरी स्थिति यह है कि मृतक पीड़ित बच्चा अलग-थलग जगह पर पड़ा हुआ पाया गया जहाँ का निर्माण

आंगनवाड़ी भवन चल रहा था और आरोपी था

मृतक पीड़ित के पास उसी स्थान पर पड़ा हुआ भी पाया गया

बच्चा।

शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

((iv) चौथी परिस्थिति यह है कि रिपोर्ट एक्सएच के अनुसार। 44 पी. डब्ल्यू. 7 डॉ. लिंगावर द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आरोपी की जांच में लिंग की नोक पर घर्षण की चोट पाई गई और उसने कहा कि 24 घंटे के भीतर संभोग का संकेत मौजूद था और यह संभोग के कारण था।

(v)

पाँचवीं स्थिति यह है कि मृतक पीड़ित का पैंटी

Exh.20 के अनुसार घटना स्थल से बच्चा, आरोपी की चप्पल की जोड़ी, मांस के टुकड़े जब्त किए गए।

(vi) छठी परिस्थिति यह है कि पैंट, शर्ट और निक्कर

अभियुक्त के वीर्य के धब्बों के साथ जब्त किया गया था

जब्ती पंचनामा Exh.26।

(vii) सातवीं परिस्थिति यह है कि सी. ए. रिपोर्ट के अनुसार।

54 अभियुक्त के पूरे जाँघ पर मौजूद रक्त मृतक पीड़ित बच्चे का पाया गया और यह मृतक पीड़ित के रक्त के साथ सही मिलान दिखाता है।

(viii) आठवीं परिस्थिति यह है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार

Exh.53 और पीड़ित बच्चे के मृत शरीर पर शव परीक्षण करने वाले डॉ. गाडगे की राय, चोट No.17 लिंग के जबरन घुसने के कारण हुई थी क्योंकि मृतक पीड़ित बच्चे पर जबरन यौन हमला किया गया था और पीड़ित बच्चे की मृत्यु पेरिनियल टियर और कई चोटों के कारण हुई थी और चोटें दांतों द्वारा निब्बलिंग के कारण हुई थीं और मृत पीड़ित बच्चे के शरीर के कुछ हिस्सों पर काटने के निशान पाए गए थे। यहां तक कि घटना स्थल पर मांस के टुकड़े भी पाए गए थे जो दर्शाता है अपराध करने में क्रूरता "।

10.1 अपीलार्थी को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराना जिनके साथ वह

सुनवाई अदालत ने अपने दिनांकित 14.8.2015 के फैसले में कहा:

" 40. भारतीय दंड संहिता की धारा 376-ए के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (2) (एफ) (आई) (एम) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी को दोषी घोषित करने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत

दंड संहिता, और बच्चों के संरक्षण की धारा 6 के तहत

यौन अपराध अधिनियम, मैं आरोपी को सुनने के लिए विराम लेता हूं

वाक्य का बिंदु "।

10.2 इसके बाद, उसी दिन, निचली अदालत ने दर्ज किया:

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 42. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि मृतक पीड़ित दो साल की असहाय बच्ची थी और आरोपी उससे संबंधित है। आरोपी ने पीड़ित बच्चे को उसके दादा से दूर ले जाने के बाद बलात्कार और हत्या कर दी थी और डॉ. गाडगे द्वारा पी. एम. रिपोर्ट में वर्णित चोटों के अनुसार, आरोपी ने अमानवीय कृत्य किया था क्योंकि पीड़ित बच्चे की मौत हो चुकी थी। पेरिनियल टियर की चोट और काटने के निशान और यहां तक कि होंठों की चोटों को हटा दिया गया था और चोट के अनुसार No.17 पेरिनियल टियर की चोट मृतक पीड़ित पर जबरदस्ती यौन हमले के कारण हुई थी।

अभियुक्त द्वारा बच्चा। इसलिए, वहाँ उग्र हो रहे हैं परिस्थितियाँ और अपराध अच्छी तरह से नियोजित थे। यह आगे है

प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के सुधार की कोई संभावना नहीं है। विद्वान लोक अभियोजक ने आगे कहा है कि यह मामला मौत की सजा देने के लिए 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले' की श्रेणी में आता है। अपने निवेदन के समर्थन में उन्होंने 2015 में रिपोर्ट किए गए वसंत संपत डुपारे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है। एल. जे. 7746, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है

कि,

" चार साल की लड़की की भोलापन और भेद्यता, जो दुर्भावनापूर्ण रूप से डिज़ाइन किए गए के बारे में कोई विचार नहीं रख सकती थी

इस प्रकृति की जैविक इच्छाएँ, उस चाचा के साथ गईं जिन्होंने उसके जीवन की चिंगारी को बुझा दिया। अपीलार्थी का बर्बर कार्य दूर से एक छोटे नाबालिग बच्चे के बहुमूल्य जीवन के लिए कोई चिंता नहीं दिखाता है जिसने वास्तव में जीवन नहीं देखा था। अपीलार्थी के आचरण की आपराधिकता न केवल अपमानजनक और अपमानजनक है,

लेकिन समाज पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय में भी माना गया है

कि, " अपीलार्थी के समाज के लोगों से परिचित होने के कारण एक असहाय और रक्षाहीन बच्चे का बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। यह न केवल व्यक्तिगत विश्वास के साथ विश्वासघात है, बल्कि सामाजिक विश्वास का विनाश और विनाश है। यह अपनी विशालता में विकृति है। यह सामूहिक रूप से

अत्यधिक घृणा और आक्रोश को अपरिवर्तनीय रूप से आमंत्रित करता है। यह समाज के लिए एक गान है

संतुलन। यह दुर्लभतम मामले की कसौटी पर खरा उतरता है और इसलिए मौत की सजा की पुष्टि की जाती है।

क्र. एलजे 774:

(2015) 1 एस. सी. सी. 253 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

फैसले के अनुसार अभियोजन पक्ष के मामले में ऊपर उल्लेख किया गया है जिसमें मृत्यु हुई है सजा भी परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर दी गई थी

और इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में माना जाता था।

44. तथ्यों और परिस्थितियों और साक्षय को ध्यान में रखते हुए

अभिलेख पर, मैं द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूँ विद्वान लोक अभियोजक क्योंकि फैसले के तथ्यों में उद्धृत किया गया है

विद्वान द्वारा सुप्रा [वक्कर और एक अन्य बनाम यू. पी. 7 का राज्य]

बचाव पक्ष के वकील, दो आरोपी थे और यह संभव नहीं था

प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विवेचना करना और किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना। यहाँ वर्तमान मामले में केवल एक आरोपी जिसने असहाय लोगों का बलात्कार और हत्या की और

दो साल का मासूम बच्चा, इसलिए, शासन कर रहा है [वसंत दुपारे]

45. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बलात्कार करने में क्रूरता मृतक पीड़ित दो साल का बच्चा और जीवन छीन रहा है

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है मृत्युदंड अधिरोपित करना।

46. मृतक पीड़ित महिला की उम्र केवल दो साल थी

निर्दोष और असहाय बच्चा। तथ्यों का ध्यान रखना और

अपराध की परिस्थितियों और प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए, आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त सजा प्रतीत होती है।

और मेरी राय है कि यह वह मामला है जो इसमें आता है

दुर्लभतम या दुर्लभतम मामलों की श्रेणी जिसमें मृत्यु अधिरोपित करने की आवश्यकता होती है

भारतीय दंड संहिता की धारा 376-ए के तहत दंडनीय अपराध और भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा दंड संहिता "।

10.3 इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा उसी दिन पारित किया

अपीलार्थी को दो मामलों में मृत्युदंड दिया गया है, अर्थात

आई. पी. सी. की धारा 376-ए के तहत और आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत;

आई. पी. सी. की धारा 376 (1) (2) (एफ), (आई) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास। मृत्युदंड

उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन।

11. मृत्युदंड की पुष्टि से संबंधित मामला और

अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध तात्कालिक अपील पर विचार किया गया

1) 3 एस. सी. सी. 305 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक साथ और वर्तमान में अपील के तहत अपने निर्णय और आदेश द्वारा, निचली अदालत द्वारा पारित आदेश और सजा की पुष्टि की गई थी

अदालत। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

ढाई साल की उम्र में। पीड़ित का जबरन यौन शोषण किया गया था। चिकित्सीय साक्षय से पता चलता है कि मृत्यु बलपूर्वक संभोग के कारण हुई है। हमारी राय में, वर्तमान मामले में "उत्तेजक परिस्थितियों" के खंड (ए) को भी शामिल किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई हत्या पिछली योजना के बाद की गई है और इसमें अत्यधिक क्रूरता शामिल है। वर्तमान मामले में, एक बच्चे को दादा की हिरासत से ले लिया गया और उसके प्रतिरोध के बावजूद, एक बच्चे को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हमारी राय में, अपीलार्थी/अभियुक्त का कार्य "उत्तेजक" के खंड (ए) और (बी) में आता है। परिस्थितियाँ "। हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि

बचन सिंह बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्दिष्ट परिस्थितियों को कम करना। पंजाब राज्य (ऊपर उद्धृत)। हमारी राय में, एकमात्र शमनकारी परिस्थिति जिस पर

अपीलार्थी/अभियुक्त खंड (2) का लाभ चाहता है अर्थात अभियुक्त एक युवा लड़का है। भले ही कम उम्र की होने की उक्त शमनकारी परिस्थिति अपीलार्थी/अभियुक्त के लिए उत्तेजक और शमनकारी कारकों को संतुलित करते हुए उपलब्ध है, लेकिन हमारी राय है कि उक्त शमनकारी परिस्थिति से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलेगी।

अपीलार्थी/अभियुक्त।

41. वर्तमान मामले में भी आरोपी पीड़ित बच्चे का मामा है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में

30) 2 एस. सी. सी. 684 33) 3 एस. सी. सी. 470 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे और एक अन्य वी। की स्थिति महाराष्ट्र 1 (ऊपर उद्धृत), जिसमें पीड़ित मृतक जो एक निजी कंपनी में सेवारत थी और सुरक्षा गार्ड के हाथों बलात्कार और हत्या के अधीन थी और इस निवेदन पर विचार करने पर मौत की सजा सुनाई गई थी कि अपीलार्थी /

अभियुक्त कम आयु का व्यक्ति है, यह पाया गया कि

अधिकांश मामलों में अनुकंपा के आधार मौजूद हैं और मृत्युदंड देने में हस्तक्षेप के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि यह सिद्धांत कि जब अपराध वीभत्स होता है और एक सुनियोजित और शैतानी तरीके से किया गया था, तो आरोपी की उम्र एक प्रासंगिक कारक नहीं हो सकती है।

" 15. हमारी राय में, किसी दिए गए मामले में सजा का पैमाना अपराध के अत्याचार पर निर्भर होना चाहिए; अपराधी का आचरण और पीड़ित की रक्षाहीन और असुरक्षित स्थिति। उचित सजा का अधिरोपण वह तरीका है जिसमें न्यायालय न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देते हैं।

अपराधी।

न्याय की मांग है कि अदालतों को उचित सजा देनी चाहिए

अपराध ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित करें। अदालतों को उचित सजा देने पर विचार करते समय न केवल अपराधी के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि अपराध के पीड़ित और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी को भी कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जघन्य अपराध की प्रकृति और आरोपी व्यक्तियों द्वारा इसे ठंडे और सुनियोजित तरीके से किया गया था।

42. वसंत संपत डुपारे बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय। महाराष्ट्र राज्य (ऊपर उद्धृत), जिसमें पीड़ित चार साल की लड़की थी और अपीलकर्ता/आरोपी, एक पड़ोसी ने पीड़िता को चॉकलेट देने का लालच दिया, उसके साथ बलात्कार किया और पत्थरों से उसकी हत्या कर दी। शीर्ष अदालत ने चिकित्सा साक्ष्य की पृष्ठभूमि में, अर्थात् पीड़िता को जबरन यौन संभोग के अधीन किया गया था, मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था और लड़की के पिता द्वारा तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वास दिलाना, इस प्रकार देखा गया:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 60. हाथ में मामले में, जैसा कि हम पाते हैं, न केवल बलात्कार था

यह बर्बर तरीके से किया गया था, लेकिन हत्या भी बर्बर तरीके से की गई थी। एक नाबालिग लड़की का बलात्कार और कुछ नहीं बल्कि अंधेरे में उसकी गरिमा का एक राक्षसी दफन है। यह एक बालिका के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ अपराध है और जिस तरह से ऐसा किया गया है, उससे इस तरह का अपराध और बढ़ जाता है। अपराध की प्रकृति और जिस तरह से इसे किया गया है, वह इसकी असामान्यता के बारे में बताता है। अपराध दुष्टता, पतन और असामान्यता की बात करता है। यह शैतानी और बर्बर है। यह अपराध अमानवीय तरीके से किया गया था। निस्संदेह, ये बिगड़ती परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करते हैं।

61. हम पूरी तरह से सचेत हैं कि कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कम करने वाली परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए अपीलार्थी का विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा

कि अपीलार्थी अपने पचास के मध्य में है और उसके सुधार की संभावना है। यह ध्यान दिया जाए कि अपराध करने के समय अपीलार्थी की आयु लगभग सैंतालीस वर्ष थी। जैसा कि है।

ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी की ओर से कोई पश्चाताप नहीं हुआ है। ऐसे मामले हैं जब इस अदालत ने मौत को कम कर दिया है

आजीवन कारावास की सजा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियुक्त ने पश्चाताप व्यक्त किया है या अपराध पूर्व नियोजित नहीं था। लेकिन चरण दर चरण प्रकट होने पर प्राप्त करने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स दिखाएगा कि

पूर्वकल्पना, प्रवृत्ति और अत्याचारी इच्छा। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन हम पाते हैं कि वह एक हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ कई मामले लंबित थे। केवल यही पर्याप्त नहीं हो सकता है। नाबालिग लड़की के साथ उसके द्वारा दिखाई गई भयावह क्रूरता बेहद चौंकाने वाली है और जब उसकी उम्र को ध्यान में रखा जाता है तो यह बढ़ जाती है। यह किसी भी मानसिक तनाव या भावनात्मक अशांति के तहत नहीं किया गया था और यह समझना मुश्किल है कि वह इस तरह के कृत्य नहीं करेगा और उसे सुधार या पुनर्वास किया जाएगा। जैसा कि परिस्थितियाँ चित्रात्मक रूप से दर्शाती हैं, वह समाज के लिए एक खतरा बना रहेगा, क्योंकि एक रक्षाहीन बच्चा उसका शिकार बन गया है। हमारी सुविचारित राय में, कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं।

62. जैसा कि हम समझते हैं, यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आने योग्य है। शत्रुघन बाबन मेशराम v से यह अकल्पनीय है।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

समाज का दृष्टिकोण यह है कि लगभग दो अंक और सात वर्ष की आयु का एक विवाहित पुरुष चार वर्ष की नाबालिग मासूम बच्ची को अपनी वासना का शिकार बनाता है और जानबूझकर उसकी मौत का कारण बनता है। अपीलार्थी के समाज के लोगों से परिचित होने के कारण एक असहाय और रक्षाहीन बच्चे का बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। यह न केवल व्यक्तिगत विश्वास के साथ विश्वासघात है, बल्कि सामाजिक विश्वास का विनाश और विनाश है। यह अपनी विशालता में विकृति है।

यह अपरिवर्तनीय रूप से अत्यधिक घृणा और आक्रोश को आमंत्रित करता है सामूहिक रूप से। यह सामाजिक संतुलन के लिए अभिशाप है। हमारे विचार में, यह दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले की कसौटी पर खरा उतरता है और हम बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा मानते हैं।

इस दृष्टिकोण के साथ, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा और मौत की सजा की पुष्टि की।

12. जैसा कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

प्रत्येक दो मामलों में, आई. पी. सी. और पॉक्सो अधिनियम के संबंधित प्रावधानों में जो वैधानिक परिवर्तन हुए हैं, वे संक्षेप में हो सकते हैं -

टेड टू:

A. 03.02.2013 से पहले, धारा 375,376 के प्रासंगिक भाग

76 आई. पी. सी. का ए निम्नानुसार था:

" 375. बलात्कार। - एक पुरुष को "बलात्कार" करने के लिए कहा जाता है, जो इसके बाद के मामले को छोड़कर, एक महिला के साथ यौन संबंध रखता है।

छह अनुवर्ती में से किसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों में

सबसे पहले। उसकी इच्छा के विरुद्ध। सेकंडी। उसकी सहमति के बिना।

चौथा। पाँचवाँ।

छठा। - उसकी सहमति के साथ या उसके बिना, जब वह सोलह साल से कम उम्र की हो

आयु के वर्ष।

स्पष्टीकरण। " 376. बलात्कार के लिए दंड-(1) जो कोई भी, मामलों को छोड़कर

उप-धारा (2) द्वारा उपबंधित, बलात्कार करने वाले को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो [2020] 13 एस. सी. आर. नहीं होगा।

वह सात वर्ष से कम का हो सकता है, लेकिन जो आजीवन या दस वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जब तक कि बलात्कार की गई महिला उसकी अपनी पत्नी न हो और बारह वर्ष से कम उम्र की न हो, ऐसे मामलों में उसे दंड दिया जाएगा -

किसी भी विवरण के लिए कारावास जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माने या दोनों के साथ:

बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है।

(2) जो भी हो,

(अ)

(ख)

((ग) ((घ)

.....

(ई)

.....

(च) बारह वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार करता है; या

(जी)

... .

कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो आजीवन हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा: बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, कारावास की सजा दे सकता है -

या तो दस साल से कम की अवधि के लिए विवरण।

स्पष्टीकरण 1. स्पष्टीकरण 2.

स्पष्टीकरण 3.

" 376ए. अलगाव के दौरान एक आदमी द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। जो कोई अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रखता है, जो अलग होने की डिक्री के तहत या उसकी सहमति के बिना किसी भी प्रथा या उपयोग के तहत उससे अलग रह रहा है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक अवधि के लिए बढ़ सकता है। दो साल तक और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा "शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

B. आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, (2013 का सं. 3), जिसे इसके बाद अध्यादेश के रूप में संदर्भित किया गया था, को भारत के राष्ट्रपति द्वारा रद्द कर दिया गया था। अध्यादेश की धारा 8 आई. पी. सी. की धारा 375,376 और 376 ए को प्रतिस्थापित करती है; प्रतिस्थापित प्रावधानों का प्रासंगिक पाठ है:

(क) अपने लिंग को किसी भी हद तक किसी अन्य व्यक्ति की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या उस व्यक्ति को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या (ख)

.....

(सी)। (डी)..

(ई) व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है या व्यक्ति को उसकी योनि, लिंग, गुदा या स्तन को छूता है।

वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति,

सिवाय इसके कि जहां इस तरह का प्रवेश या स्पर्श निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के तहत आने वाली परिस्थितियों में उचित स्वच्छ या चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाता है:

पहला-दूसरे व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ। दूसरा। - दूसरे के बिना

व्यक्ति की सहमति। तीसरी बात। - .....

चौथा। - .....

पाँचवाँ। - .....

छठा। - दूसरे व्यक्ति की सहमति के साथ या उसके बिना, जब

दूसरा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का है।

स्पष्टीकरण 2. स्पष्टीकरण 3. अपवाद। .....

376. (1) जो कोई भी, उप-धारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों को छोड़कर, यौन उत्पीड़न करता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो [2020] 13 एस. सी. एफ. नहीं होगा।

सात वर्ष से कम लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) जो भी हो,

(अ)

((ख).. (iii)..

(ख)

((ग)

((घ)

(ई)

एक रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, या एक व्यक्ति होने के नाते

(च)

हमला करने वाले व्यक्ति के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति

ऐसे व्यक्ति पर यौन हमला करता है; या

(जी)

किसी व्यक्ति पर यौन हमला करता है जब ऐसा व्यक्ति

(ज)

अठारह वर्ष की आयु से कम; या

(जे) (के)

यौन हमला करते समय गंभीर शारीरिक हानि होती है

(1)

या किसी व्यक्ति के जीवन को अपंग या विकृत या खतरे में डालता है;

(एम)

कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास का विस्तार कर सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। स्पष्टीकरण 1. - .....

स्पष्टीकरण 2. - ... .

376 ए. जो कोई भी, धारा 376 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) के तहत और शत्रुघन बाबा मेशराम बनाम के तहत दंडनीय अपराध करता है।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

ऐसा कार्य करने से ऐसी चोट लगती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या व्यक्ति लगातार वनस्पति अवस्था में रहता है, एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित जो नहीं होगा

बीस वर्ष से कम हो सकता है, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन, या मृत्यु।

ग) आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का No.13), जिसे बाद में संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, को निम्नलिखित मंजूरी मिली:निवासी और 02.04.2013 पर प्रकाशित किया गया था लेकिन 03.02.2013 से पूर्वव्यापी टी दिया गया था। संशोधन अधिनियम

की धारा 9 ने अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 375,376 और 376ए को निम्नानुसार लागू कियाः

" 375. एक आदमी को "बलात्कार" करने के लिए कहा जाता है यदि वह

अपने लिंग में, किसी भी हद तक, योनि, मुँह में प्रवेश करता है,

(अ)

किसी महिला का मूत्रमार्ग या गुदा या उसे उसके साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करना या कोई अन्य व्यक्ति; या

(ख)

((ग)

((घ)

निम्नलिखित सात में से किसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों में

वर्णनः -

सबसे पहले। - उसकी इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा। - उसकी सहमति के बिना।

तीसरी बात। - .....

चौथा। - ..... पाँचवाँ।

छठा। - उसकी सहमति के साथ या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम हो

आयु के वर्ष।

स्पष्टीकरण 1. स्पष्टीकरण 2.

अपवाद 1. अपवाद 2.

376. (1) जो कोई भी, उप-धारा (2) में उपबंधित मामलों को छोड़कर, बलात्कार करता है, उसे किसी भी विवरण के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और

जुर्माना भी लगाया जा सकता है। (2) जो भी हो,

(अ)

(ख)

.....

((ग)

(ई) (च)

एक रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, या एक में एक व्यक्ति होने के नाते

महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति, ऐसी महिला पर बलात्कार करती है; या

(जी) (ज)

.....

सोलह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार करता है

((i)

आयु; या

(जे) (के)

.....

(1 1)

(एम)

बलात्कार करते समय गंभीर शारीरिक क्षति या अपंगता होती है।

या किसी महिला के जीवन को विकृत या खतरे में डालता है; या

(एन) कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण। - ..... 376 ए. जो कोई भी, उप-धारा शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम के तहत दंडनीय अपराध करता है।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित,

जे.]

(1) या धारा 376 की उप-धारा (2) और ऐसे कार्य के दौरान ऐसी चोट पहुँचती है जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है या महिला की निरंतर वनस्पति अवस्था हो जाती है, एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो

बीस वर्ष से कम नहीं, लेकिन जो विस्तारित हो सकता है

आजीवन कारावास, जिसका अर्थ होगा कारावास

उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन, या मृत्यु के साथ। अध्यादेश को निरस्त करते समय, संशोधन की धारा 30

निम्नानुसार तिथियाँ:

" 30. (1) आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2013 है -

एतद्द्वारा निरस्त किया गया। (2) इस तरह के निरसन के बावजूद, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 के तहत की गई कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्रवाई, जैसा कि उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया है, उन अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

D. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम 22) एच धारा के हटाए गए खंड (i) से प्रभावी हुआ।2) आई. पी. सी. और धारा 376 (2) के साथ-साथ धारा 376 ए. बी. के बाद उप-धारा (3) को निम्नानुसार जोड़ा गया:

" 376 .....

(3) जो कोई भी सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे बीस वर्ष से कम की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जिसका विस्तार हो सकता है आजीवन कारावास, जिसका अर्थ होगा कारावास

उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन का शेष भाग, और इसके लिए भी उत्तरदायी होगा

ठीक है:

" 376 ए. बी.-बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड-जो कोई भी बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने या मृत्यु के साथः

" 9

.....

.....

.....

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चूंकि तत्काल मामले में अपराध बहुत पहले किया गया था

-. 2018 , हमें अधिनियम 22 के प्रभाव पर विचार करने के लिए नहीं कहा जाता है लेकिन प्रावधानों को पूर्णता के लिए नोट किया जाता है।

ई. पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6, उस समय जब

सीई तत्काल मामले में किया गया था, बशर्ते कि: -

" 5 : उग्र भेदक यौन हमला अ)

ख)

.....

(ग)

(घ)

ई)

च)

जी)

.....

ज)

... .

(i)

जो कोई भी किसी बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है,

जे)

जो (i) बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम करता है या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (बी) के तहत परिभाषित बच्चे को मानसिक रूप से बीमार कर देता है या किसी भी प्रकार की हानि का कारण बनता है ताकि बच्चा अस्थायी रूप से नियमित कार्यों को करने में असमर्थ हो जाए या

स्थायी रूप से;

((ii) कन्या के मामले में, बच्चे को गर्भवती बनाता है।

यौन हमले के परिणामस्वरूप;

(iii) बच्चे को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या किसी अन्य जानलेवा बीमारी या संक्रमण से पीड़ित करता है जो या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम करके या मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है।

नियमित कार्यों को करने के लिए बीमार;

के) 1)

शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित,

जे.]

एम)

जो कोई भी किसी बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है

बारह वर्ष से कम; या

एन)

ओ)

पी)

जी) आर)

एस)

टी) यू)

जो कोई भी, गंभीर भेदक यौन हमला करता है, उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल से कम नहीं लेकिन जो कारावास तक बढ़ सकता है

आजीवन के लिए और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के आधार पर

अंत) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम 25) जो 2019 से प्रभावी हुआ। 2019 , उपखंड (iv) को धारा 5 के खंड (जे) में इस प्रकार जोड़ा गया था

" ((iv) बच्चे की मृत्यु का कारण बनता है; या

इसके अलावा, धारा 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था: " 6. बढ़े हुए भेदक यौन हमले के लिए सजा।

(1) जो कोई भी गंभीर भेदक यौन हमला करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो बीस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने या मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत और उचित होगा और पीड़ित को ऐसे पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

आई. पी. सी. के उपर्युक्त प्रावधानों पर विचार किया जाता है

कलाकृतियाँ, अर्थात,

02.04.2013 के बाद प्राप्त होने वाली स्थिति: निम्नलिखित विशेषताएँ उभरते हैं: -

धारा 375 के तहत अपराध, जैसा कि स्पष्ट है

((i)

कम्पार्टमेंट (ए) में प्रासंगिक प्रावधान की परिभाषा,

एक महिला के खिलाफ किया जा सकता है। स्थिति को बदलने और डिब्बे (बी) में लिंग तटस्थ बनाने की मांग की गई थी। हालांकि, पहले की स्थिति

अब प्रावधानों के परिणामस्वरूप बहाल किया गया है

डिब्बे (सी)

((ख)

03.02.2013 के तहत एक अपराध के लिए सजा से पहले धारा 376 (1) सात वर्ष से कम नहीं हो सकती है लेकिन अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है और धारा 376 (2) के तहत अपराध के लिए न्यूनतम सजा दस वर्ष से कम नहीं हो सकती है जबकि अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है।

धारा 376 ए उन मामलों से निपटती है जहाँ एक आदमी

सहमति के बिना यौन संबंध बनाना

कुछ स्थितियों में उसकी पत्नी।

(111) अध्यादेश के परिणामस्वरूप, धारा 376 (1) और 376 (2) के तहत अपराधों के लिए सजा को उसी तरह बरकरार रखा गया था। लेकिन एक नया

धारा 376 ए के रूप में प्रावधान था

इसके अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति धारा 376 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध करता है, तो चोट जो पीड़ित की मृत्यु का कारण बनती है,

दोषियों को कड़ी सजा दी जा सकती है।

एक अवधि के लिए कारावास "जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जिसका विस्तार हो सकता है

आजीवन कारावास, जिसका अर्थ होगा

उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन या शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम के साथ।

मृत्यु "। इस प्रकार, पहली बार, मृत्युदंड अधिरोपित किया जा सकता है यदि उप-धारा (1) के तहत अपराध करने के दौरान घातक चोट लगी हो या

(2) धारा 376।

((iv) यद्यपि संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को बहाल किया गया

पीड़ित की तुलना में मूल गैर-लिंग-तटस्थ स्थिति में, इसने धारा 376 की उप-धारा (2) में कुछ बदलाव किए। अब, अपराध के लिए सजा

कम से कम दस साल के लिए कठोर कारावास हो सकता है जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। इस प्रकार, यह वैधानिक रूप से स्पष्ट किया गया था कि आजीवन कारावास का अर्थ उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक होगा।

(v) इसी तरह, संशोधन अधिनियम के आधार पर, धारा 376 ए के तहत अपराध के लिए सजा 20 साल से कम नहीं हो सकती है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है जिसका अर्थ होगा

उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, या मृत्यु के साथ।

14. तत्काल मामले में, अपराध 11.02.2013 पर किया गया था।

जब अध्यादेश के प्रावधान लागू थे। हालाँकि, संशोधन अधिनियम को 03.02.2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने के बाद, सवाल उठता है कि क्या धारा 376 (2) के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा का अर्थ "उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास" हो सकता है।

वर्तमान मामले में, चूंकि पीड़ित की उम्र लगभग ढाई साल थी

घटना के समय आयु की सीमा और चूंकि यह अध्यादेश था जो इस क्षेत्र को धारण कर रहा था, इसलिए अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार, धारा 376 (2) के खंड (एफ), (एच) और (1) आकर्षित होंगे। संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 376 (2) के तुलनीय प्रावधान क्रमशः खंड (च), (i) और (एम) होंगे। अध्यादेश द्वारा अंत:स्थापित खंड (च), (ज) और (1) के तहत मूल दंडात्मक प्रावधानों के रूप में

और संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए खंड (एफ), (आई) और (एम) हैं -

समान रूप से, उस गिनती में कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं की गई है। लेकिन वाक्य

संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 376 (2) द्वारा विहित, [2020] 13 एस. सी. आर. है।

अब, पहली बार प्रावधान किया गया है कि आजीवन कारावास का अर्थ "उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा"। यह

प्रावधान पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ आता है और ऐसी स्थिति में जब अपराध किए जाने के समय ऐसा प्रिस्क्रिप्शन क़ानून पर उपलब्ध नहीं था, तो सवाल उठता है कि क्या ऐसा पूर्व-कार्योत्तर प्रिस्क्रिप्शन है।

अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) के प्रावधानों के अनुरूप होगा। संविधान से।

15. आजीवन कारावास की सजा को सरल बनाने से कोई मतलब नहीं बनता है।

संहिता की धारा 433ए के अधीन रहते हुए अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका की छूट और संचरण प्रदान करने की शक्ति पर प्रतिबंध। लेकिन, एक वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन कि "इसका मतलब उस व्यक्ति का शेष जीवन होगा" निश्चित रूप से कार्यपालिका को ऐसी किसी भी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगा और उस हद तक संबंधित प्रावधान निश्चित रूप से एक उच्च दंड पूर्व-कार्योत्तर निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया में, संविधान के अनुच्छेद 20 (1) द्वारा प्रदत्त संरक्षण

नकार कर खड़े हो जाओ। इसलिए, हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि वर्तमान मामले में आई. पी. सी. की धारा 376 (2) के तहत सजा इस शर्त के साथ नहीं आ सकती है कि आजीवन कारावास का मतलब उस व्यक्ति का शेष जीवन होगा। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में इसी तरह का निर्देश, जो 2019 में संशोधन के माध्यम से आया था, लागू नहीं होगा और पॉक्सो के तहत अपराध के लिए सजा के लिए शासी प्रावधान लागू होगा। अधिनियम को पूर्व-संशोधन स्थिति के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है।

16. हालाँकि, जहाँ तक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित आई. पी. सी. की धारा 376ए द्वारा कवर की गई स्थिति का संबंध है,

अध्यादेश द्वारा संशोधित धारा 376ए द्वारा समान स्थिति से निपटा गया था और संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 376ए में सजा का निर्धारण अध्यादेश द्वारा संशोधित धारा 376ए द्वारा निर्धारित सजा के समान है। जहां तक पीड़ित का संबंध है, अध्यादेश द्वारा संशोधित धारा 376ए लैंगिक रूप से तटस्थ होने के कारण, स्वाभाविक रूप से ऐसे मामलों को शामिल किया गया है जहां पीड़ित एक महिला थी। इस प्रकार, जिस दिन से अध्यादेश जारी किया गया था, उस दिन से संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 376ए को दिया गया कार्योत्तर प्रभाव, किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होगा।

17. मामले में शामिल कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद, हम अब विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों की ओर मुड़ते हैं।

17.1 सुश्री सोनिया माथुर, अपीलार्थी की विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रस्तुत किया गया:

- शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

क) अपीलार्थी के विरुद्ध आठ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा कुछ तथ्यों की उपेक्षा की गई, अर्थात्:

(i) पीड़ित के दोनों होंठों ने साफ कट मार्जिन दिखाया जो संकेत करता है

कि चोटें एक हथियार से लगी थीं, न कि मानव काटने से। इसके अलावा, ओडोन्टोलॉजी रिपोर्ट इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी कि चोटें मानव काटने से हो सकती हैं और

अपीलार्थी। (ii) योनि, ग्रीवा और गुदा के स्वाब को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन इनमें से कोई भी जांच से जुड़ा नहीं हो सका।

अपीलार्थी।

निर्दोषता की ओर इशारा करने वाले ये महत्वपूर्ण पहलू

लैंट की पूरी तरह से उपेक्षा की गई।

ख) अपीलार्थी के विरुद्ध पाई गई प्रत्येक परिस्थिति,

निम्नानुसार व्यवहार किया गया:

(i) पीडब्लू 1 और 2 इस पहली परिस्थिति को साबित करने के लिए स्वतंत्र गवाह नहीं थे कि पीड़ित को अपीलार्थी द्वारा ले जाया गया था। पीडब्लू 1 और 2 के बयानों में विसंगतियां थीं। दूसरी ओर श्रवण, विट्ठल घोड़म और विकास मेशराम जैसे गवाहों से बिल्कुल भी पूछताछ नहीं की गई। यहां तक कि पीडब्लू2 की पत्नी जिसकी उपस्थिति का उल्लेख पीडब्लू2 के बयान में किया गया था

संहिता की धारा 164 की जांच नहीं की गई थी।

((ii) यह तथ्य कि जब से पीड़ित को पीडब्लू 2 से दूर ले जाया गया था, तब से वह हमेशा अपीलार्थी की अभिरक्षा में थी, साबित नहीं हुआ। इस परिस्थिति को स्थापित करने के लिए पीडब्लू9 की जांच की गई लेकिन अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया गया। इसके अलावा, विकास मेशराम, जिसने कथित तौर पर पीड़ित को अपीलार्थी के साथ देखा था, से भी पूछताछ नहीं की गई।

(iii) जिस स्थान पर पीड़ित पड़ा हुआ पाया गया वह एक अलग जगह नहीं थी, बल्कि गाँव के बीच में घरों से घिरा हुआ था। पीडब्लू 1 और 2 के संस्करण की पुष्टि करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। श्रवण, विट्ठल घोड़म और विकास मेशराम जैसे स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ

नहीं की गई। जी. डी. प्रविष्टि 40/13 (जिसे एफ. आई. आर. में संदर्भित किया गया था) के रूप में प्रारंभिक सूचना में उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी पीड़ित को जंगल में ले गया था।

और उसे मार डाला।

((iv) गिरफ्तारी के समय अपीलार्थी की जाँच की गई थी, लेकिन उस ओर से चिकित्सीय साक्षय को अभिलेख पर नहीं रखा गया था।

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने चिकित्सा साक्षय पर भरोसा करने का फैसला किया

पीडब्लू 7 डॉ. लिंगावर की राय के माध्यम से।

(v) स्पॉट पंचनामा 8 बजे किया गया था: 30 अगले दिन अर्थात अपीलार्थी की गिरफ्तारी के आठ घंटे से अधिक समय बाद। घटनास्थल पर पाई गई चप्पलों को किसी भी जांच के लिए नहीं भेजा गया था, न ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत दिया गया था कि वे अपीलार्थी के थे। हालांकि,

घटनास्थल से जब्त किए गए मांस के टुकड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि मांस एक इंसान और पीड़ित का था।

(vi) एफ. एस. एल. रिपोर्ट में जांच के लिए भेजी गई किसी भी वस्तु और अदालतों द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर कोई वीर्य नहीं मिला। जहाँ तक छठी परिस्थिति गलत थी।

(vii) 7 वीं परिस्थिति में निर्दिष्ट कपड़ों की अभिरक्षा की श्रृंखला में विसंगतियां थीं। गिरफ्तारी के समय अपीलार्थी के कपड़ों पर कोई खून नहीं देखा गया था। पी. डब्ल्यू. 13, जाँच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उन्हें अपीलार्थी के पास "कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली"। यहां तक कि जब पी. डब्ल्यू. 7 डॉ. उल्हास दिगंबर लिंगावर द्वारा अपीलार्थी की जांच की गई, तब भी कोई रक्त नहीं पाया गया। जब्ती की रिपोर्ट में भी रक्त की उपस्थिति का खुलासा नहीं किया गया था

अपीलार्थी के कपड़ों पर धब्बे। अपीलार्थी के पतलून 12.02.2013 से 14.02.2013 तक पुलिस हिरासत में थे और कोई मालखाना रिकॉर्ड या गवाह पेश नहीं किए गए थे।

इसलिए, यह अत्यधिक संभावना नहीं होगी कि "मध्यम संख्या में

खून के धब्बे ज्यादातर सामने वाले हिस्से पर 0.01 से 2 सेंटीमीटर तक होते हैं।

एफ. एस. एल. रिपोर्ट में पाया गया हो सकता है कि पहले छूट गया हो।

चरण। इसलिए साक्षय निर्भरता के योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा, पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी की मांग की गई थी और फिर भी इसके अभाव में कोई वीडियो-ग्राफ रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था।

जिन पर डीएनए जांच के लिए भेजी गई सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सका

पर।

(viii) अभिलेख निश्चित रूप से इंगित करता है कि पीड़ित यौन था

हमला किया गया लेकिन आठवीं परिस्थिति ने खुद से स्थापित नहीं किया

कि अपीलार्थी अपराध का लेखक था।

ग) अभिलेख पर तथ्य निर्णायक रूप से अपराधी के अपराध को स्थापित नहीं करते हैं। चूँकि मामला परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित था, इसलिए शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, मामला बिल्कुल भी स्थापित नहीं हुआ था।

17.2 सजा के सवाल पर सुश्री माथुर,

अर्जित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया: -

उसी पर मौत की सजा सुनाई गई है

आई)

जिस दिन दोषसिद्धि आदेश घोषित किया गया था, उस दिन संहिता की धारा 235 (2) का अनुपालन नहीं किया गया था और जैसा कि निर्धारित किया गया था

इस न्यायालय द्वारा अलाउद्दीन मियां बनाम. बिहार राज्य ", मल्कियत सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य 1 2 और अजय पंडित वी. महाराष्ट्र राज्य ", उस गिनती का उल्लंघन मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने पर विचार करने के लिए पर्याप्त था।

तत्काल मामला परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित है,

II)

जैसा कि इस न्यायालय ने विष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम में अभिनिर्धारित किया था। असम राज्य 1 4, सेबेस्टियन @चेविथियान बनाम। केरल राज्य ", पूर्ण चंद्र कुसल बनाम। उड़ीसा राज्य और कालू खान

बनाम। राजस्थान राज्य ", कोई मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उचित सजा आजीवन कारावास हो सकती है।

III) अशोक देबबर्मा मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करना।

@ अचक देबबर्मा बनाम। त्रिपुरा राज्य ", सुदाम बनाम। राज्य

महाराष्ट्र के "और रविशंकर उर्फ बाबा

विश्वकर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2 0, यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही अभिलेख पर परिस्थितियाँ अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त थीं, वहाँ साक्षय में अंतराल थे और "अवशिष्ट संदेह" का लाभ अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

IV) राजेश कुमार में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में

वी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से राज्य "1,

1 (1989) 3 एस. सी. सी. 5 पैरा 10

7 (2015) 16 एस. सी. सी. 492 पैरा 16,23 और 31 3 (2014) 4 एससीसी 747

(2019) 9 एस. सी. सी. 388

डी पी (2019) 9 एस. सी. सी. 689

1 (2011) 13 एस. सी. सी. 706 पैरा 72 से 74 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के सुधार की संभावना को खारिज करने का भार अभियोजन पक्ष पर था और जैसा कि मोहिंदर सिंह बनाम में अभिनिर्धारित किया गया था। पंजाब राज्य 2 2, सुधार की संभावना का बहिष्कार केवल साक्षय के आधार पर किया जा सकता है अभियोजन पक्ष।

वी)

अपीलार्थी ने स्नातक तैयारी पूरी की

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन से कार्यक्रम (बी. पी. पी.)

विश्वविद्यालय 2017 में जेल में रहते हुए और वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है।

कला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम।

VI) अपीलार्थी की आयु उस समय लगभग 21 वर्ष थी जब

घटना और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बचन सिंह बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। पंजाब राज्य 3, रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ (2) बनाम। गुजरात राज्य 2 3, अमित बनाम। U.P.[2]4 और सुनील बनाम की स्थिति। M.P.25 की स्थिति, घटना के समय अपीलार्थी की कम उम्र

यह उसके पक्ष में एक कारक है।

VII) अपीलार्थी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से पता चलता है कि वह एक मजदूर था और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित था।

फिर से उनके पक्ष में एक कारक होगा जैसा कि इस न्यायालय ने माना है।

सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2.

VIII) अपीलार्थी का परिवार उसके संपर्क में होने के कारण, पुनर्वास की प्रबल संभावना है जैसा कि इस न्यायालय ने मोहिंदर सिंह बनाम में कहा है। पंजाब राज्य 2 2.

IX) इसके अलावा, क्योंकि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुरेंद्र पाल शिवबालक पाल बनाम में फैसला सुनाया गया है। राज्य

गुजरात ", महेश धनाजी शिंदे बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र। 28 , संतोष कुमार सिंह बनाम। M.P.2[9] 29 और श्याम सिंह @Bhima v की स्थिति। मध्य प्रदेश राज्य 30, अपीलार्थी के पक्ष में उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

2 (2013) 3 एस. सी. सी. 294, पैरा 22,23

3 (2011) 2 एस. सी. सी. 764 पैरा 8 और 10

* (2012) 4 एससीसी 107 पैरा 22 5 (2017) 4 एससीसी 393 पैरा 12

6 (2014) 1 एससीसी 129 पैरा 20

7 (2005) 3 एससीसी 127 पैरा 138 (2014) 4 एस. सी. सी. 292 पैरा 38 और 39

9 (2014) 12 एससीसी 650 पैरा 30

ओ (2017) 11 एस. सी. सी. 265 पैरा 6 और 8 शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम।

17.3 राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील करंजकर ने कहा कि उपरोक्त सभी आठ परिस्थितियाँ व्यक्तिगत रूप से किसी भी संदेह से परे स्थापित की गई थीं और उन्होंने सामूहिक रूप से अपीलार्थी के अपराध को छोड़कर हर अन्य परिकल्पना को खारिज करने के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत श्रृंखला बनाई। यह प्रस्तुत किया गया था कि जैसा कि इस न्यायालय ने बी. ए. उमेश बनाम में अभिनिर्धारित किया था। महापंजीयक, कर्नाटक उच्च न्यायालय 3 1 और उसके बाद

केवल यह तथ्य कि मृत्युदंड उसी दिन सुनाया गया था जब दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, अपने आप में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा; और यह कि अपीलार्थी के पास सजा के मुद्दे पर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर था जिसका अवसर लिया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि परिस्थितियों को किसी भी संदेह की छाया से परे स्थापित किया गया है और किसी भी "अवशिष्ट संदेह" के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी प्रस्तुति में, ये कारक कि तत्काल मामले में अपराध वीभत्स और शैतानी था, जहां ढाई साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था और जिस तरह से यह किया गया था, वह अपने आप में भारी और अपीलार्थी के खिलाफ संतुलन को झुकाने के लिए पर्याप्त था और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा वसंत संपत डुपारे बनाम में निर्धारित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य 6, उससे उत्पन्न होने वाली समीक्षा में (वसंत संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य 3 2), और मुकेश और एक अन्य बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य 3 3, अत्यधिक भ्रष्टता और जिस बर्बर तरीके से अपराध किया गया था, वह स्पष्ट रूप से किसी भी शमन से अधिक होगा।

अपीलार्थी की ओर से पेश की गई परिस्थिति।

अभिलेख पर सामग्री; और क्या अभिलेख पर स्थित परिस्थितियाँ प्रत्येक अन्य परिकल्पना को खारिज करने के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत श्रृंखला बनाती हैं अपीलार्थी का अपराध। शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट है।

महाराष्ट्र 3 4,

" 153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामले से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

अभियुक्त को पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकता है:

31 (2017) 4 एससीसी 124 32 (2017) 6 एससीसी 631 33 (2017) 6 एससीसी 1 34 (1984) 4 एससीसी 116 [2020] 13 एस. सी. आर.

(1)

जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकलता है

खींचने के लिए पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि

संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" हो सकती हैं

स्थापित किया गया। "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच केवल एक व्याकरणिक ही नहीं बल्कि एक कानूनी अंतर भी है।

इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम में निर्णय दिया था। की स्थिति

महाराष्ट्र 3 5 जहाँ अवलोकन किए गए थे:

" निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को होना चाहिए और न कि केवल अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी हो सकता है और

'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है।

और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करता है।

(2)

इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल इसके अनुरूप होने चाहिए अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और

(3)

प्रवृत्ति, उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए सिवाय इसके कि

(4)

जिसे साबित किया जाना है, और सबूतों की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि ऐसा न हो

(5)

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई भी उचित आधार छोड़ दें और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में अधिनियम के पास होना चाहिए

अभियुक्त द्वारा किया गया था।

तब से इन सिद्धांतों का लगातार पालन किया जा रहा है।

18.1 अभियोजन पक्ष के अनुसार, विचाराधीन दिन पर लगभग 7 बजे: 30 पी. एम. जब पीड़ित अपने दादा के साथ थी, इस बहाने पर कि

पीड़ित के पिता ने अपीलार्थी को पीड़ित को लाने के लिए कहा था, अपीलार्थी, जो पीड़ित का मामा था, उसे ले गया। साक्षय का यह हिस्सा दादा पी. डब्ल्यू. 2 की गवाही के माध्यम से निर्णायक रूप से स्थापित किया गया है। इस संस्करण का उल्लेख घटना के कुछ घंटों के भीतर दर्ज की गई एफ. आई. आर. में और संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज पी. डब्ल्यू. 2 के बयान में मिलता है। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है

(1973) 2 एस. सी. सी. 793 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

उक्त संस्करण की सत्यता पर संदेह है। यह सच है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ अन्य गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी, लेकिन पीडब्लू 2 की गवाही की ताकत किसी भी मायने में कम नहीं होती है और न ही यह कहा जा सकता है कि उसकी गवाही अपना वजन कम करती है क्योंकि गवाह पीड़ित का दादा था। इस गवाह के माध्यम से आने वाला संस्करण ठोस, सुसंगत है और एफ़. आई. आर. की त्वरित रिपोर्टिंग में भी शामिल है। इसलिए, हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि निचली अदालत द्वारा उल्लिखित पहली परिस्थिति निर्णायक रूप से स्थापित है।

18.2 जैसा कि पीडब्लू 1 और 2 द्वारा बयान दिया गया है, अपीलार्थी को पीड़ित के बगल में आंगनवाड़ी के परिसर में पाया गया था। द.

पीड़ित को कई चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे चिकित्सकीय उपचार के लिए ले जाया गया। घटना के तुरंत बाद, अपीलार्थी को भी चिकित्सकीय रूप से भर्ती किया गया था

जाँच की गई और एक्सबीटी की रिपोर्ट करें। 46 उसके शरीर पर चोट लगी थी। भले ही पीडब्लू9 मुकर गया था और कुछ अन्य गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी, यह तथ्य कि पीड़ित हमेशा अपीलार्थी की हिरासत में थी जब तक कि वह अपीलार्थी के साथ मौके पर नहीं पाई गई थी, काफी स्पष्ट है। समय के संदर्भ में निकटता और रिपोर्टिंग में शीघ्रता महत्वपूर्ण कारक हैं और उस ओर से साक्षय पूरी तरह से विश्वसनीय है। इस प्रकार, हमारे विचार में,

दूसरी और तीसरी परिस्थितियाँ भी पूरी तरह से स्थापित हैं।

18.3 गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अपीलार्थी को पी. डब्ल्यू. 7 डॉ. उल्हास दिगंबर लिंगावर के सामने चिकित्सा जांच के लिए पेश किया गया, जिन्होंने पाया कि अपीलार्थी के निजी अंगों पर चोट। राय Exh.46 में दी गई उक्त चोट का अनुमानित समय अभियोजन के मामले के अनुरूप है। हालाँकि निवेदन यह है कि अपीलार्थी की एक अन्य चिकित्सा पेशेवर द्वारा भी जाँच की गई थी और उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में

नहीं रखा गया था। संहिता की धारा 53 ए के संदर्भ में अपीलार्थी की चिकित्सा जांच का संदर्भ किसी अन्य चिकित्सा के लिए नहीं था

पेशेवर लेकिन पीडब्लू 7 डॉ. लिंगावर के लिए। अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण, यहाँ तक कि कोई सुझाव भी नहीं आया कि उसके शरीर पर चोट कैसे हो सकती है जैसा कि रिपोर्ट Exh.46 में देखा गया है। इस प्रकार, चौथी परिस्थिति भी पूरी तरह से स्थापित है। 18.4 पांचवीं परिस्थिति पर विचार करते हुए, यह कहा जाना चाहिए कि अभिलेख के अनुसार, चप्पल का होना साबित नहीं हुआ था

अपीलार्थी और घटना स्थल पर पाए गए मांस के टुकड़े भी मनुष्य के नहीं साबित हुए। उस हद तक, पांचवीं परिस्थिति बिल्कुल भी साबित नहीं हुई थी। हालाँकि, यह तथ्य कि पीड़ित का पैंट घटना स्थल पर पाया गया था, रिकॉर्ड पर अच्छी तरह से स्थापित है, और 5 वीं [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18.5 यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि 6 वीं परिस्थिति में संदर्भित कपड़ों पर पाए गए वीर्य के दाग चिकित्सकीय रूप से साबित हुए थे। अपीलार्थी का होना या उससे जुड़ा होना। इसलिए छठी परिस्थिति को अपीलार्थी के खिलाफ इंगित करने के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

18.6 रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट Ext.54 के संदर्भ में, अपीलार्थी की पतलून पर पाया गया रक्त पीड़ित का था। यह तथ्य पूरी तरह से स्थापित है। हालाँकि, निवेदन इस प्रकार है:

पी. डब्ल्यू. 13 जांचकर्ता को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

(अ)

गिरफ्तारी के समय अपीलार्थी के साथ अधिकारी; और

(ख)

चिकित्सा के समय अपीलार्थी की पतलून जाँच;

((ग)

कोई मालखाना रिपोर्ट या सबूत रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया था।

यह बताने के लिए कि लेख उचित अभिरक्षा में रहे और

सीलबंद स्थिति।

जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर को यह कहने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है कि जाँच के समय उसके पतलून पर खून के कोई धब्बे नहीं थे। गिरफ्तारी। चिकित्सीय राय इस बात पर विचार करने के लिए प्राप्त की गई थी कि क्या अपीलार्थी के गुप्तांगों पर कोई चोट लगी थी और क्या वह संभोग करने में सक्षम था। अभिलेख पर तथ्य बताते हैं कि

लेखों को जल्द से जल्द एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था।

अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व विचारण न्यायालय में एक स्थायी वकील ने किया था। यह सिद्धांत कि अपीलार्थी के पतलून पर रक्त के धब्बे बाद में लगाए गए थे, क्रूस में भी विकसित नहीं किया गया था

संबंधित गवाहों का परीक्षण।

चिकित्सा जांच और अपीलार्थी के कपड़ों की जब्ती सहित जांच में कदमों के त्वरित क्रम को देखते हुए, हम ऐसा करते हैं

कोई दुर्बलता न पाएँ। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि 7 वीं परिस्थिति पूरी तरह से स्थापित है।

18.7 यह रिकॉर्ड की बात है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और चिकित्सा राय के अनुसार, पीड़िता और उसके शत्रुघन बाबा मेशराम बनाम पर जबरन यौन हमला किया गया था।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

चोट संख्या 17 के कारण हुआ था जो योनि और गुदा क्षेत्र पर कई एशन की प्रकृति में था; और योनि का विलय और

रिफाइसेस।

इसलिए 8 वीं परिस्थिति को पूरी तरह से साबित करने के लिए लिया जाना चाहिए।

टी उस हद तक कि कहा गया परिस्थिति टुकड़ों का संदर्भ देती है

एस घटना स्थल पर पाया गया।

19. क्या अभिलेख पर स्थापित परिस्थितियाँ संतुष्ट करती हैं

शरद में इस न्यायालय के फैसले में उल्लिखित टिप्पणियां

विचार के लिए अगला प्रश्न इचंद सारदा 3 4 है।

स्थापित परिस्थितियाँ दर्शाती हैं: अ)

पीड़ित अपीलार्थी की अभिरक्षा में था,

उसे उसके दादा से ले जाया गया जब तक कि वह आंगनवाड़ी के परिसर में पड़ी पाई गई; जहाँ अपीलार्थी भी उसके बगल में पड़ा हुआ पाया गया।

ख)

पीड़ित, जो जब उसे ले जाया गया तो वह शांत और दिलकश थी

अपीलार्थी द्वारा, उसके शरीर पर कई चोटें थीं जब

वह अपीलार्थी के बगल में पाई गई।

पीड़ित के शरीर पर लगी चोटों से पता चलता है कि वह

(ग)

दुर्व्यवहार और यौन शोषण। यौन हमला इतना जबरदस्त था कि पीड़ित, दो

(घ)

और-डेढ़ साल की लड़की को अन्य चोटों के साथ,

चोट No.17।

चोट No.17, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इतनी गंभीर थी कि वहाँ

ई)

योनि और गुदा छिद्रों का विलय था।

च)

पीड़ित की मृत्यु चोट No.17 के कारण हुई। अपीलार्थी के निजी अंगों पर चोट लगी थी

जी)

उस अवधि के अनुरूप जब पीड़ित अपनी स्थिति में था अभिरक्षा।

ज)

अपीलार्थी को यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया गया

संभोग।

(i)

अपीलार्थी के पतलून पर खून के धब्बे थे, डीएनए

जिनके प्रोफाइल, रक्त के साथ मेल खाते हैं

पीड़ित।

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रम संख्या ए) से लेकर आई) तक की ये परिस्थितियाँ किसी भी संदेह से परे साबित होती हैं और अपने आप में एक निर्णायक और निर्णायक स्थिति का गठन करती हैं। अपीलार्थी के अपराध को छोड़कर हर अन्य परिकल्पना को छोड़कर सुसंगत श्रृंखला।

20. इस स्तर पर हमें कुछ बातों पर विचार न करने के बारे में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री माथुर के निवेदन पर विचार करना चाहिए।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उन चोटों को मानव काटने का परिणाम माना जा सकता है। लेकिन पीड़ित के शरीर पर अन्य चोटें निश्चित रूप से मानव काटने से थीं और इस तरह से स्पष्टता का अभाव था होंठों पर चोटों के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले को किसी भी तरह से संदिग्ध नहीं बनाता है।

पुनः, अपीलार्थी के साथ योनि, ग्रीवा और गुदा के स्वैब के जुड़ाव की अनुपस्थिति किसी भी तरह से इसकी ताकत को कम नहीं करती है।

अपीलार्थी के विरुद्ध साक्षय।

21. अभिलेख पर साबित परिस्थितियाँ न केवल निर्णायक प्रकृति की हैं बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन करती हैं और

केवल एक परिकल्पना के अनुरूप और वह अपीलार्थी का अपराध है। वे एक श्रृंखला बनाते हैं, इतनी पूर्ण, सुसंगत और स्पष्ट, कि अपीलार्थी की निर्दोषता की ओर इशारा करते हुए संदेह या आधार के लिए कोई जगह नहीं बनती है। इसलिए, यह किसी भी संदेह की छाया से परे स्थापित है कि अपीलार्थी ने पीड़ित पर बलात्कार और यौन हमले के कृत्यों को अंजाम दिया और वह चोट नं। 17 पीड़ित की मृत्यु का कारण था।

22. इस प्रकार अपीलार्थी अपराध करने का दोषी है।

धारा की उप-धारा (2) के खंड (एफ), (आई) और (एम) के तहत दंडनीय 376 आई. पी. सी.; और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 के खंड (जे) और (एम) के तहत भी (जैसा कि यह 2019 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित किए जाने से पहले था)। चूंकि चिकित्सकीय राय के अनुसार, मृत्यु चोट के कारण हुई थी, इसलिए अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 376ए के तहत दंडनीय अपराध करने का भी दोषी है।

23. पीड़ित को जो चोटें आईं, वे सीधे तौर पर उस पर किए गए यौन हमले के परिणामस्वरूप थीं। लेकिन चिकित्सा साक्षय नहीं है

खुलासा करें कि यौन उत्पीड़न से पहले या बाद में, कोई शत्रुघन बाबा मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

24. आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत चौथे खंड के अनुसार, अपराध गैर इरादतन हत्या की राशि की श्रेणी में आ सकता है। हत्या के लिए "यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह सभी संभावनाओं में, मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और मृत्यु या ऐसी चोट के जोखिम के लिए बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करता है जैसा कि ऊपर कहा गया है।

आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 के खंडों के बीच परस्पर क्रिया पर इस न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य बनाम आई. पी. सी. में विचार किया गया था।

रायवरपु पुन्नय्या और अन्य 3 6 निम्नानुसार:

" 11. इस अपील में जिस प्रमुख प्रश्न पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा प्रकट किया गया अपराध "हत्या" है। या "गैर इरादतन हत्या" जो हत्या के बराबर नहीं है।

12. दंड संहिता की योजना में, "गैर इरादतन हत्या" जीनस है।

और इसकी प्रजाति की "हत्या"। सभी "हत्या" "गैर-इरादतन हत्या" है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर, "गैर इरादतन हत्या" बिना "हत्या की विशेष विशेषताओं" के, "गैर इरादतन हत्या जो हत्या के बराबर नहीं है" है। इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, संहिता व्यावहारिक रूप से गैर-इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देती है। द.

पहला है, जिसे "प्रथम श्रेणी की गैर-इरादतन हत्या" कहा जा सकता है।

यह गैर इरादतन हत्या का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में "हत्या" के रूप में परिभाषित किया गया है। दोसरकेँ "दोषी" कहल जा सकैत अछि।

दूसरी डिग्री की हत्या "। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर, "थर्ड डिग्री की गैर-इरादतन हत्या" होती है। यह सबसे कम प्रकार की गैर-इरादतन हत्या है और इसके लिए दी गई सजा भी सबसे कम है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

300. निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को समझने में सहायक होगी। 14. धारा 299 का खंड (बी) धारा 300 के खंड (2) और (3) से मेल खाता है। खंड (2) के तहत अपेक्षित पुरुष कारण की विशिष्ट विशेषता यह है कि अपराधी के पास विशेष रूप से पीड़ित की ऐसी विशिष्ट स्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में ज्ञान है कि उसे होने वाला आंतरिक नुकसान घातक होने की संभावना है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा नुकसान होगा।

प्रकृति के सामान्य तरीके से सामान्य स्वास्थ्य या स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि

" मृत्यु का कारण बनने का इरादा खंड (2) की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। हत्या को इस खंड के दायरे में लाने के लिए केवल शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा और विशेष पीड़ित की मृत्यु के कारण ऐसी चोट लगने की संभावना के बारे में अपराधी की जानकारी ही पर्याप्त है। खंड (2) का यह पहलू वहन किया जाता है।

धारा 300 में संलग्न चित्रण (ख) द्वारा प्रकाशित।

धारा 300

धारा 299

एक व्यक्ति दोषी है

कुछ अपवादों के अधीन

हत्या यदि वह कार्य जिसके द्वारा

गैर-इरादतन हत्या हत्या है यदि

ऐसा कार्य जिसके कारण मृत्यु होती है

मृत्यु हो चुकी है

—

किया।

—

इरादा

(क) कारण बनाने के इरादे से (1) कारण बनाने के इरादे से मृत्यु; या

मृत्यु; या शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

कारण बनाने के इरादे से (2) कारण बनाने के इरादे से

शारीरिक चोट जिसकी संभावना हो

अपराधी के रूप में ऐसी शारीरिक चोट

पता है कि कारण होने की संभावना है

: मृत्यु; या

व्यक्ति की मृत्यु जिसके लिए

सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त है मृत्यु का कारण बनने वाली प्रकृति; या

ज्ञान

इस ज्ञान के साथ कि कार्य (4) इस ज्ञान के साथ कि कार्य

मृत्यु का कारण बनने के लिए

यह इतना खतरनाक है कि सभी संभावनाओं में कारण होना चाहिए

मृत्यु या ऐसी चोट पहुँचाना जो है ऊपर बताया गया है।

15. धारा 299 का खंड (बी) ऐसा कोई अभिधारणा नहीं देता है। अपराधी की ओर से ज्ञान। मामलों में गिरावट के मामले

धारा 300 के खंड (2) के तहत ऐसा हो सकता है जहां हमलावर कारण बनता है।

एक मुट्ठी के प्रहार से मौत जानबूझकर यह जानते हुए दी गई कि पीड़ित है बढ़े हुए यकृत, या बढ़ी हुई प्लीहा या रोग से पीड़ित

दिल और इस तरह के प्रहार से उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है। यकृत के टूटने के परिणामस्वरूप व्यक्ति, या प्लीहा या

हृदय की विफलता, जैसा भी मामला हो सकता है। अगर हमलावर के पास नहीं था

दिया गया। 16. धारा 300 के खंड (3) में, "संभावित" शब्दों के बजाय

धारा के संबंधित खंड (बी) में होने वाली मृत्यु का कारण " 299 , "प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त" शब्द हैं

उपयोग किया गया। जाहिर है, अंतर शारीरिक चोट के बीच है।

सामान्य [2020] 13 एस. सी. आर. में मृत्यु और शारीरिक चोट लगने की संभावना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रकृति का मार्ग मृत्यु का कारण बनता है। अंतर ठीक है लेकिन वास्तविक है,

और, यदि अनदेखी की जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है। धारा 299 के खंड (बी) और धारा 300 के खंड (3) के बीच का अंतर इच्छित शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु की संभावना की डिग्री में से एक है। इसे अधिक व्यापक रूप से रखने के लिए, यह मृत्यु की संभावना की डिग्री है जो यह निर्धारित करती है कि क्या एक गैर-इरादतन हत्या सबसे गंभीर, मध्यम या सबसे कम डिग्री की है। धारा 299 के खंड (बी) में "संभावित" शब्द केवल एक संभावना से अलग "संभावित" के अर्थ को व्यक्त करता है। "शारीरिक चोट. प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त" शब्दों का अर्थ है कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मृत्यु चोट का "सबसे संभावित" परिणाम होगा।

17. खंड (3) के भीतर आने वाले मामलों के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु का कारण बनना हो, जब तक कि मृत्यु जानबूझकर शारीरिक चोट या चोटों से होती है जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनती हैं। राजवंत बनाम. केरल राज्य 3 7 इस बिंदु का एक उपयुक्त उदाहरण है।

18. विरसा सिंह बनाम। पंजाब राज्य 3 8 न्यायमूर्ति विवियन बोस ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए खंड (3) के अर्थ और दायरे को इस प्रकार समझाया। 1500):

" अभियोजन पक्ष को धारा 300, 'तीसरी' के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा। सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना चाहिए, कि एक शारीरिक चोट मौजूद है;

दूसरा, चोट की प्रकृति को साबित किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ जांच हैं। यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष चोट को पहुँचाने का इरादा था, अर्थात, कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था या कि

किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है, और चौथा यह साबित होना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी वर्णित प्रकार की चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जांच का यह हिस्सा विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण और अनुमानित है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।

1966 एस. सी. 1874 1958 एस. सी. 465 शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

19. इस प्रकार विरसा सिंह मामले 38 में निर्धारित नियम के अनुसार, भले ही अभियुक्त का इरादा प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट पहुँचाने तक सीमित था, और मृत्यु का कारण बनने के इरादे तक विस्तारित नहीं था, अपराध "हत्या" होगा। धारा 300 में संलग्न चित्रण (ग) इस बिंदु को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। 20. धारा 299 के खंड (सी) और धारा 300 के खंड (4) दोनों के लिए मृत्यु का कारण बनने वाले कार्य की संभावना के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस मामले के उद्देश्य के लिए बहुत अधिक विस्तार करना आवश्यक नहीं है

" धारा 299 में परिभाषित गैर-इरादतन हत्या। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्रथम दृष्टया सकारात्मक में पाया जाता है, तो दंड संहिता की धारा 300 के संचालन पर विचार करने का चरण है: पहुँच गया। यह वह चरण है जिस पर अदालत को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए गए तथ्य मामले को धारा 300 में निहित "हत्या" की परिभाषा के चार खंडों में से किसी के दायरे में लाते हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो अपराध "गैर इरादतन हत्या" होगा, जो धारा 304 के पहले या दूसरे भाग के तहत दंडनीय होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या दूसरा या [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 299 का तीसरा खंड लागू होता है। अगर यह सवाल

सकारात्मक में पाया गया, लेकिन मामला धारा 300 में उल्लिखित किसी भी अपवाद के भीतर आता है, अपराध तब भी "गैर इरादतन हत्या होगी जो हत्या के बराबर नहीं होगी", जिसके तहत दंडनीय होगा

दंड संहिता की धारा 304 का पहला भाग।

22. उपरोक्त केवल व्यापक दिशानिर्देश हैं और कास्ट-आयरन अनिवार्यताएं नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में, उनके पालन से सुविधा होगी

न्यायालय का कार्य। लेकिन कभी-कभी तथ्य इतने आपस में जुड़े होते हैं और दूसरे और तीसरे चरण एक-दूसरे में इतने उलझे हुए होते हैं कि दूसरे और तीसरे चरण में शामिल मामलों को अलग से देखना सुविधाजनक नहीं हो सकता है।

25. अब हम उन मामलों पर विचार कर सकते हैं जहां मृत्यु का इरादा नहीं था, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 300 का चौथा खंड अभियुक्त को गैर-इरादतन हत्या के अपराध का दोषी ठहराने के लिए लागू किया गया था।

हत्या।

ए) मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम प्रसाद 3 9 में, एक महिला पर मिट्टी का तेल डालने के बाद आरोपी ने उसे आग लगा दी। इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया:

" फिर सवाल यह उठता है कि राम प्रसाद ने क्या अपराध किया था? जलाकर चोट पहुँचाने का अपराध एक व्यापक वर्णक्रम है जो एस से चलता है। 324 एस के माध्यम से जलने से साधारण चोट पहुँचाना। 326 अर्थात्, दो प्रमुख अपराधों को जलाकर गंभीर चोट पहुँचाना, अर्थात् गैर-इरादतन हत्या जो हत्या के बराबर नहीं है और यहाँ तक कि हत्या भी। सत्र न्यायाधीश ने स्पेक्ट्रम के सबसे निचले छोर को चुना जो काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि जलन इतनी व्यापक थी कि वे निश्चित रूप से सभी मामलों में गंभीर थे। उच्च न्यायालय ने अपराध को थोड़ा अधिक रखा, अर्थात् गैर-इरादतन हत्या, जो हत्या के बराबर नहीं है। हमें लगता है कि मामला इससे थोड़ा आगे जाता है। चूंकि मृत्यु का कारण बना है, इस प्रश्न पर यह निर्धारित करने के लिए हत्या के आलोक में विचार किया जाना चाहिए कि क्या राम प्रसाद की कार्रवाई गैर इरादतन हत्या के दायरे में आती है या हत्या के बराबर नहीं है। हत्या का ही उच्चतर अपराध।

यहाँ हम देखते हैं कि मृत्यु वास्तव में आपराधिक कृत्य के कारण हुई है; दूसरे शब्दों में, हत्या हुई है और क्योंकि यह नहीं है

39 (1968) 2 एस. सी. आर. 522 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

आकस्मिक या आत्मघाती मृत्यु, हत्या की जिम्मेदारी, किसी भी अपवाद या विस्तारित परिस्थितियों के अभाव में, उस व्यक्ति द्वारा वहन की जानी चाहिए जिसने इसे किया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए रोक लगा दी है कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला था जो हत्या के बराबर नहीं था। सवाल यह है कि क्या अपराध एस के किसी भी खंड में आता है। 300 भारतीय दंड संहिता। इस संबंध में

यह कहना मुश्किल है कि राम प्रसाद का इरादा एम. एस. टी. की मौत का कारण बनना था। राजजी हालांकि यह सच हो सकता है। यह कि उसने मिट्टी का तेल डालने के बाद उसके कपड़ों में आग लगा दी, यह एक प्रमाणिक तथ्य है और इसलिए इस मामले को न केवल पहली बात के संबंध में देखा जाना चाहिए। 300 , लेकिन अन्य सभी खंड भी। हम दूसरे और तीसरे खंड पर विचार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तब सवाल उठेगा कि राम को कितनी चोट लगी थी।

प्रसाद का इरादा एम. एस. टी. का कारण बनना था या उन्हें पता था कि यह एम. एस. टी. के कारण होगा। राजजी। यह अटकलों का विषय होगा। हमारी राय में, इस मामले का निपटारा एस के चौथे खंड के संदर्भ में किया जा सकता है। 300 . वह खंड इस प्रकार है:

" ..... . गैर-इरादतन हत्या हत्या है। यदि वह व्यक्ति अपराध करता है

अधिनियम जानता है कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और जोखिम उठाने या मृत्यु या ऐसी चोट का कारण बनने के लिए बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करता है।

यह स्पष्ट है कि राम प्रसाद के लिए मौत या ऐसी शारीरिक चोट का जोखिम उठाने का कोई बहाना नहीं था जिससे मौत होने की संभावना हो। इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या राम प्रसाद को पता था कि उनका कृत्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि इससे मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट होने की संभावना है जिसकी संभावना है। मृत्यु का कारण बनना, ताकि मामले को खंड के भीतर लाया जा सके। यद्यपि खंड चौथा आमतौर पर उन मामलों में लागू किया जाता है जहाँ

किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं (जैसा कि

उदाहरण से पता चलता है) खंड का उपयोग अपनी शर्तों पर उन मामलों में किया जा सकता है जहां परिणाम के प्रति इतनी कठोरता है और लिया गया जोखिम ऐसा है कि यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति जानता है कि इस कार्य से मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट होने की संभावना है जिससे मृत्यु होने की संभावना है। वर्तमान मामले में, राम प्रसाद ने मास्टर के कपड़ों पर मिट्टी का तेल डाला। राजजी और उन कपड़ों में आग लगा दें। यह स्पष्ट है कि इस तरह की आग तेजी से फैलती है और बड़े पैमाने पर जलती है। यह जानने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यक्ति मृत्यु का कारण बन सकता है [2020] 13 एस. सी. आर.

अगर वह किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगाता है तो उसे जला देता है। इसलिए यह जाहिर है कि राम प्रसाद को पता होगा कि वह दौड़ रहे थे

राजजी की मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट लगने का जोखिम जो थी

संभवतः उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। चूँकि उसके पास ऐसा करने का कोई बहाना नहीं था

जोखिम, अपराध को एस के चौथे हिस्से के भीतर आने के लिए लिया जाना चाहिए। 300 ,

भारतीय दंड संहिता। दूसरे शब्दों में, उसका अपराध दोषी था हत्या के बराबर हत्या, भले ही उसका इरादा हत्या करने का न हो।

एमएसटी की मृत्यु। राजजी। उन्होंने इतनी जल्दबाजी में एक कृत्य किया

खतरनाक है कि यह मौत का कारण बनने या होने की पूरी संभावना थी

एक ऐसी चोट के परिणामस्वरूप जो मृत्यु का कारण बनने की संभावना थी। हम तदनुसार हैं।

राय है कि उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश थे दोनों का यह मानना गलत है कि अपराध हत्या के दायरे में नहीं आता है।

(जोर दिया गया)

बी) एक समान तथ्य स्थिति में, तीन न्यायाधीशों की एक और पीठ

इस न्यायालय ने संतोष पुत्र शंकर पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य 40 के मामले में कहा,

" 13. यहां तक कि यह मानते हुए भी कि आरोपी का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था

मृतक की मृत्यु, अभियुक्त का कार्य इसके अंतर्गत आता है

आई. पी. सी. की धारा 300 का चौथा खंड जो चोट पहुँचाने का कार्य है

इतना आसन्न रूप से खतरनाक जहाँ यह सभी संभावनाओं में मृत्यु का कारण बनेगा। औसत बुद्धि वाले किसी भी व्यक्ति के पास ज्ञान होगा

कि मिट्टी का तेल डालना और उसे आग लगा देना रोशन माचिस की छड़ी इतनी आसन्न रूप से खतरनाक है कि सभी संभावनाओं में

इस तरह के कार्य से चोट लग सकती है जिससे मृत्यु हो सकती है। ”

(ग) संतोष में सिद्धांत को सूरज जगन्नाथ में अपनाया गया था।

जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य "1.

(घ) हरियाणा राज्य में बनाम कृष्ण और अन्य 42, जहाँ 36

नकली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, इस अदालत ने दरकिनार कर दिया

उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने का आदेश दिया गया और निचली अदालत द्वारा पारित आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि के आदेश को बहाल किया गया। यह देखा गया:

" 33. जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 120-बी पर आधारित तर्क है संबंधित, भले ही हम उस आरोप के आधार पर आगे बढ़ें

40 (2015) 7 एस. सी. सी. 641

41 (2020) 2 एस. सी. सी. 693

42 (2017) 8 एस. सी. सी. 204 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

षडयंत्र साबित नहीं होता है, यह अवलोकन करना पर्याप्त होगा कि पर्याप्त साक्षय प्रस्तुत किया जाता है जो दोष को दर्शाता है

उत्तरदाता, व्यक्तिगत रूप से। एक बार यह दिखाया जाता है कि नकली शराब उत्तरदाताओं से संबंधित स्थानीय दुकानों से बेची गई थी, इस तथ्य के साथ कि इस त्रासदी के बाद, उत्तरदाताओं ने भी शेष बोतलों को नष्ट करने की कोशिश स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि

उत्तरदाताओं को इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि बोतलों में

पदार्थ मिथाइल और विनाशकारी के बारे में भी पूरी जानकारी थी

इसके परिणाम जो उनके मामले को इस दायरे में लाएंगे धारा 300 के चार कोने चौथा। उत्तरदाता नहीं हो सकते हैं

केवल बिल्ली के पंजे और नादान के रूप में माना जाता है। उन्होंने फायदा उठाया है

बुकोलिक और देहाती ग्रामीणों की लचीली प्रकृति "। 26. अब हम इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर विचार कर सकते हैं -

26.1 उड़ीसा राज्य बनाम दिबाकर नाइक और अन्य 43 में, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें 23 वर्ष की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी जान चली गई थी। संबंधित अभियुक्त थे - निचली अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 376 और धारा 34 के तहत दोषी ठहराया। हालाँकि, उनकी दोषसिद्धि और सजा को उच्च न्यायालय ने दरकिनार कर दिया था। राज्य द्वारा की गई अपीलों को आंशिक रूप से

अनुमति दी गई थी और आई. पी. सी. की धारा 376 और 304 II के तहत चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी:

" 23. हालाँकि, व्यक्ति को लगी चोटों की प्रकृति

मृतक की संख्या से संकेत मिलता है कि अभियुक्त व्यक्तियों का इरादा उसकी मृत्यु का कारण बनने का नहीं था। डॉ. इंद्रमणि जेना (पीडब्लू 21), जिन्होंने छबिरानी के शव का पोस्टमार्टम किया था, ने पाया था कि

निम्नलिखित चोटें:

" (1) एक सूजन 1 "व्यास अनियमित रूप से दाईं ओर गोलाकार

मास्टॉइड प्रक्रिया।

ऊपरी हिस्से में एक सूजन (जो काले रंग की थी)

(2)

दाहिने स्तन का आधा भाग 2 "व्यास में अनियमित गोलाकार। विच्छेदन पर मुझे निम्नलिखित मिला:

(3)

दाहिने मास्टॉइड क्षेत्र में सूजन अंतर्निहित थी हेमेटोमा। दाहिनी चौथी पसली के नीचे फ्रैक्चर था।

43 (2002) 5 एससीसी 323 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चोट 2. दाहिनी तरफ की छाती लगभग खून से भरी हुई थी। एक लीटर। दाहिना फेफड़ा विस्थापित हो गया था और पसली टूटने से पूर्ववर्ती सतह पर घायल हो गया था। हृदय कक्ष खाली था, यानी खून नहीं था।

पेट खाली था।

(4)

प्रत्येक पर 1⁄4 "व्यास के दो एक्किमोसिस थे।

(5)

पीछे की योनि दीवार। चोटें 5 बजे लगी थीं।

और 7 बजे की स्थिति।

(6)

योनि स्मीयर की जांच करने पर मैं मृत पाया गया शुक्राणु और उपकला कोशिकाएँ।

मेरी परीक्षा के समय तक, प्रक्रिया थी

(7)

अपघटन। त्वचा का क्षय शुरू हो गया था। जीभ बाहर निकली और उसे काटा गया। मुँह के दाहिने कोण और दोनों कानों से खून बह रहा था। अशुद्ध गैसों के कारण पेट बाहर निकल गया था। मृत्यु पीएम परीक्षा के 48 घंटों के भीतर हुई थी।

जबरन यौन संबंध। यह हिंसक प्रकार का मामला था संभोग। पाई गई चोटें संभोग के सामान्य क्रम में नहीं थीं। बलात्कार के बिना भी कोई भी हिंसक हमला चोट 1 और 2 और संबंधित आंतरिक चोटों का कारण बन सकता है। संबंधित आंतरिक चोट के साथ चोट 2 मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

24. जो कोई मृत्यु करने के इरादे से या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से मृत्यु का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है या इस ज्ञान के साथ कि वह इस तरह के कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता है, वह गैर-इरादतन हत्या के अपराध के लिए जिम्मेदार है। दण्डनीय हत्या हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु के इरादे से किया गया है और इसके किसी भी अपवाद के दायरे में नहीं आता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 300। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस मामले में यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उपरोक्त आरोपी व्यक्ति घटना में शामिल साबित हुए थे, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अर्थ के भीतर हत्या के अपराध का कारण बनने का इरादा रखते थे। तथापि, गिरोह शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम के अपराध के प्रमाण पर।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

बलात्कार हिंसक तरीके से किया गया पाया गया, वे हैं

माना जाता है कि उन्हें यह ज्ञान था कि उनके कार्य से यह था

संभवतः मृतक की मृत्यु हो गई होगी। उपरोक्त अभियुक्त

इसलिए, अपराध के दोषी हैं, जो के भाग II के तहत दंडनीय हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304। दूसरे को बरी करते हुए

भीरा बेहरा @बाबा तांती (ए-7) और माधा तांती @ माधबानंद परमानिक (ए-11) को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया

धारा के साथ पठित धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय अपराध

34 अपराध के अलावा भारतीय दंड संहिता

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के तहत दंडनीय

दंड संहिता। मुकदमे द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा

दरबार से बीराबार मेनिया (ए-5), बाबाजी मेनिया (ए-6), भीरा बेहरा

@बाबा तांती (ए-7) और माधा तांती @माधबानंद

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत परमानिक (ए-11) है

बरक़रार रखा। धारा 304 के तहत दंडनीय अपराध के प्रमाण पर

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित भाग II, उपरोक्त अभियुक्त व्यक्ति

इन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

(जोर दिया गया)

हालांकि यह पाया गया कि सामूहिक बलात्कार का अपराध किया गया था

हिंसक तरीके से और कि अपराधियों को ज्ञान होना चाहिए

कि यह संभावना थी कि उनकी कार्रवाई से पीड़ित की मृत्यु हो जाएगी, अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था।

26.2 इसी तरह, राज्य में, एन. सी. टी. दिल्ली सरकार बनाम सुनील और

एक अन्य 1,4 वर्षीय लड़की के साथ दो अभियुक्तों ने बलात्कार किया और यौन उत्पीड़न के दौरान लगी चोटों के परिणामस्वरूप उसकी जान चली गई। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा:

" 23. इस प्रकार इस मामले में पूरे साक्ष्य पर विचार करने पर हम

इसमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत सही निष्कर्ष पर पहुंची थी

कि दोनों उत्तरदाता वे बलात्कारी थे जिन्होंने अनुराधा को प्रताड़ित किया था

इस तरह के क्रूर विनाश के लिए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस तरह के सही निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में घोर गलती हुई है

निचली अदालत द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कारणों के रूप में बनाया गया

इस तरह के हस्तक्षेप के लिए बहुत कमजोर हैं। फिर भी, यह मुश्किल है

44 (2001) 1 एससीसी 652 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह निष्कर्ष निकालना कि उत्तरदाता अनुराधा की हत्या के लिए समान रूप से दोषी हैं। पीडब्लू 1 डॉक्टर की राय में बच्चे की मृत्यु "सिर पर सतह बल के प्रभाव के परिणामस्वरूप इंट्राक्रैनियल क्षति के कारण" हुई। उक्त राय सबड्यूरल हेमेटोमा के संदर्भ में दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप सबराक्नोइड रक्तस्राव हुआ था। इस तरह का परिणाम हिंसा के दौरान हुआ

या तो दोनों द्वारा या बलात्कारियों में से किसी एक द्वारा की गई बर्बरता, संभवत: बिना किसी इरादे या यहाँ तक कि जानकारी के कि उनकी कार्रवाई इस तरह की कोई भी क्षति होगी। फिर भी, बलात्कारी इस ज्ञान को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि इतनी कम उम्र के एक छोटे से शिशु पर उनके द्वारा किए गए कृत्यों से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी। इसलिए वे गैर इरादतन हत्या के अपराध से दोषसिद्धि से बच नहीं सकते हैं।

हत्या के बराबर।

24. परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं। हम आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 और 377 के तहत निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि को बहाल करते हैं। निचली अदालत ने उक्त मामलों के तहत प्रतिवादियों को अधिकतम सजा यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में तथ्य-स्थिति उस सजा में किसी भी कमी को उचित नहीं ठहराती है। हम उत्तरदाताओं को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के तहत भी दोषी ठहराते हैं, हालांकि कोई सजा देना अनावश्यक है।

इसके तहत आजीवन कारावास की सजा को देखते हुए

उत्तरदाताओं को अन्य दो गणनाओं के तहत सम्मानित किया गया।

26.3 अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य 45 में, 7 से 8 वर्ष की एक लड़की की यौन संबंध बनाने के कारण उसके गुप्तांगों से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गई। आरोपी को धारा 376 के तहत अपराधों का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। दो न्यायाधीशों की पीठ

एस कोर्ट ने टिप्पणी की:

" 21. विद्वत विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की यह राय कि अपीलार्थी की आयु लगभग 31 वर्ष है और वह किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, हावी स्थिति में था और हो सकता है कि

उसका मुँह बंद करना अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता है। न केवल गर्दन पर बल्कि उसके मुंह पर भी हिंसा के कुछ निशान पाए गए। हालाँकि, श्री अग्रवाल का यह निवेदन कि अपीलार्थी का मृतक को मारने का इरादा नहीं हो सकता है, इस प्रकार, कुछ बल हो सकता है। मौत गला घोंटने के कारण नहीं हुई बल्कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई। मृतक का आधा लीटर खून बह गया था।

06) 12 एस. सी. सी. 79 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

डॉ. रेशमचंद सिंह, पीडब्लू 1 ने यह नहीं बताया कि गर्दन पर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए, मृत्यु किसी विशिष्ट कारण से नहीं, बल्कि इसके परिणामस्वरूप हुई।

अपीलार्थी की ओर से स्पष्ट कार्य करना।

इस अदालत ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

26.4 इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने उड़ीसा राज्य बनाम में निर्णय पर भरोसा किया। दिबाकर नाइक 4 3 और दोषसिद्धि की पुष्टि की और आंध्र प्रदेश राज्य में आई. पी. सी. की धारा 376 और 304 II के तहत सजा। टी. प्रसन्ना कुमार 46.

26.5 दूसरी ओर, निम्नलिखित चार मामलों में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीश पीठों ने धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

और आई. पी. सी. 376 जहां डेढ़ से आठ वर्ष की आयु के बीच के पीड़ितों ने यौन उत्पीड़न के दौरान लगी चोटों के परिणामस्वरूप अपनी जान गंवा दी थी।

मोहम्मद. चमन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 47

(i)

पीड़ित की आयु: 1 डेढ़ साल

रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 48

(ख)

पीड़ित की आयु: 5-6 वर्षों

राम देव प्रसाद बनाम बिहार राज्य 49

iii)

पीड़ित की आयुः 4 वर्षों

रमेश बनाम पुलिस निरीक्षक के माध्यम से राज्य 50

(iv)

पीड़ित की आयुः 8 वर्षों

हालाँकि, इन मामलों में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है।

26.6 हाल ही में, दत्तात्रेय अंबो रोकाडे बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। महाराष्ट्र राज्य को एक अवसर मिला था

विचार करें कि कहाँ 5 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था। उस पर यौन हमले के दौरान 1 से 5 चोटों के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अन्य बातों के साथ-साथ अभियुक्त को धाराओं के तहत दोषी ठहराया जाना 46 (2003) 1 एसीआर 627 (एससी) = जेटी 2002 (7) एससी 635 47 (2001) 2 एससीसी 28

48 (2012) 5 एससीसी 777 49 (2013) 7 एससीसी 725 50 (2014) 9 एससीसी 392

51 (2019) 13 स्केल 187 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

302 , 376 (2) (च) आई. पी. सी. और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत था इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई और यह कहा गयाः

" 125. पचास वर्ष से अधिक आयु के एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में, अभियुक्त अपीलार्थी को यह पता होना चाहिए था कि एक वयस्क द्वारा पाँच वर्षीय बच्चे का बलात्कार खतरनाक था और इस तरह की चोटों का कारण बन सकता है।

जैसा कि मृत्यु का कारण बनने की पूरी संभावना थी।"

27. मार्गदर्शक सिद्धांतों का सारांश मध्य प्रदेश राज्य v में दिया गया था। राम प्रसाद 3 9 इस प्रभाव के लिए कि भले ही मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा न हो, "यदि परिणाम के प्रति ऐसी कठोरता है और

लिया गया जोखिम ऐसा है कि यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति जानता है कि इस कार्य से मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट होने की संभावना है जिससे मृत्यु होने की संभावना है "आई. पी. सी. की धारा 300 का चौथा खंड आकर्षित होगा और अपराधी को यह पता होना चाहिए कि वह मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का जोखिम उठा रहा था जिससे पीड़ित की मृत्यु होने की संभावना थी। दत्तात्रेय अंबो रोकाडे बनाम में इस न्यायालय के निर्णय से भी यही सिद्धांत स्पष्ट है। महाराष्ट्र राज्य 3 1.

28. वर्तमान मामले में पीड़ित की उम्र को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को इस परिणाम का पता होना चाहिए कि ढाई साल के बच्चे पर उसके यौन हमले से मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट होगी जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना थी। इस प्रकार तत्काल मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे खंड के मापदंडों और आई. पी. सी. में पूछे गए प्रश्न के दायरे में आता है।

इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत का जवाब अपीलार्थी के खिलाफ दिया जाना चाहिए। इसलिए अपीलार्थी गैर इरादतन हत्या के अपराध को अंजाम देने का दोषी है।

29. इस स्तर पर यह देखा जाना चाहिए कि ऊपर पैराग्राफ 26.1,26.2 और 26.4 में निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णय आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे खंड के प्रभाव पर विचार करने में विफल रहे। 30. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री माथुर द्वारा दी गई सजा पर प्रस्तुतियों की ओर रुख करने से पहले, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बचन सिंह 3 में इस न्यायालय के फैसले के बाद से पिछले 40 वर्षों में इस न्यायालय द्वारा लगभग 67 मामलों पर विचार किया गया था, जहां i) कथित अपराध आई. पी. सी. की धारा 376 और 302 के तहत थे; और ii) पीड़ितों की आयु 16 वर्ष थी।

या नीचे। मामले इस प्रकार हैं:

शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

एस. निर्णय

की आयु

बेंच

वाक्य

मृत्यु का कारण

क्या

कोई रिपोर्ट नहीं की गई

ताकत

द.

पीड़ित

मृत्यु।

कम

एटकॉज

पीड़ित।

आरोपित

वाक्य

की तुलना में

के तहत दोषी ठहराया गया

थोपा गया।

मृत्यु।

शीर्षक

अनुभाग

वाक्य

?

16 गर्दन में वर्षों की चोट

3 न्यायाधीश

1 . (1981) 3 एससीसी

हां।

324

कृपाण के साथ

S.302 आर/डब्ल्यू एस. 34

कुलजीत सिंह

आई. पी. सी एस. 363 , 365 ,

@रंगा वी.

366 और 376 आर/डब्ल्यू एस।

भारत संघ

34 आईपीसी

2 . (1991) 1 एससीसी

2 न्यायाधीश

6 वर्षों

हां।

विभ्रान्ति

752

एसएस. 302 , 376

जुम्मन खान

आईपीसी

v. उत्तर प्रदेश राज्य

3 . (1994) 3 एससीसी

2 न्यायाधीश

हां।

7 वर्षों

दम घुटना।

381

द्वारा

लक्ष्मण नाइक

थ्रॉटलिंग

v. की स्थिति

एसएस. 376 , 302 आईपीसी

उड़ीसा

ए. (1996) 6 एससीसी

2 न्यायाधीश

7 वर्षों

विभ्रान्ति

हां।

250

एसएस. 363 , 376 , 302

कामता तिवारी

और

201 आईपीसी

वी. एम. पी. राज्य

5 . (1997) 1 एस. सी. सी. 2 न्यायाधीश 16 साल का थ्रॉटलिंग

जीवन.

Ss.302,376

272

एपी का राज्य

आईपीसी

वी. गंगुला

सत्य मूर्ति

6 . (1999) 4 एससीसी

2 न्यायाधीश

14 वर्ष स्ट्रैंगुलेटियो

जीवन.

108

एन Ss.376,

कुमुद लाल

302 आईपीसी

वी. की स्थिति

धारा 3 (ii) (v)

एस. सी. और एस. टी. अधिनियम,

यू. पी

1989

7 . (1999) 6 एस. सी. सी. 60 2 न्यायाधीशों की आयु नहीं

दम घुटना।

जीवन.

एसएस. 302 , 376 आईपीसी

निर्दिष्ट किया गया

अख्तर बनाम।

यू. पी. राज्य

8 . (1999) 9 एससीसी

विभ्रान्ति

3 न्यायाधीश

16 वर्षों

हां।

एसएस. 376 (2) (जी),

581

302/34

मोलाई बनाम। राज्य

और 201 आई. पी. सी

ofM.P।

9 . (2000) 1 एससीसी

2 न्यायाधीश

जीवन.

4 वर्षों

दम घुटना।

471

Ss.302,376

राज्य

में से

आईपीसी

महाराष्ट्र बनाम.

सुरेश

10 . (2001) 1 एस. सी. सी. 2 न्यायाधीश

इंट्राक्रैनियलडैमेग

4 वर्षों

जीवन.

652

इसका परिणाम यह है कि

राज्य, सरकार। में से

सतह बल

एन. सी. टी. दिल्ली बनाम

सिर पर प्रभाव,

सुनील

सबडच्यूरल

कारण बनता है सबराक्नोइड

रक्तस्राव

एसएस. 376 और 377

आर/wS.34, एस. 304

भाग II आर/डब्ल्यू

धारा 34 आई. पी. सी. [2020] 13 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. (2001) 2 एस. सी. सी. 28 2 न्यायाधीश 1

रक्तस्रावी

जीवन.

इसके परिणामस्वरूप आघात

मोहम्मद. चमन वी।

लीवर

चोट लगना

/ 2 1⁄2

राज्य (एन. सी. टी.

में लगाया गया

दिल्ली)

वर्षों

में से

प्रक्रिया

बलात्कार करना

एसएस. 302 और 376 आई. पी. सी

2 न्यायाधीश 11

12. (2001) 9 एससीसी 50

सदमा और

जीवन.

राजू बनाम। की स्थिति

एक के रूप में रक्तस्राव

वर्षों

चोटों का परिणाम

हरियाणा

(ईंट से उड़ता है

सिर और मुँह)

एसएस. 302 , 376 , 363 आईपीसी

13. (2001) 9 एस. सी. सी. 615

जीवन.

2 न्यायाधीश 6 साल नाक दबाते हुए और

बंटू वी। की स्थिति

मुँह

और

सांस लेने में बाधा डालना

एमपी.

एसएस. 302 , 376 आईपीसी

2 न्यायाधीश। 3 वर्ष विशाल मस्तिष्क

14. (2002) 1 एस. सी. सी. 622

जीवन.

की स्थिति

रक्तस्राव

जिसके परिणामस्वरूप

महाराष्ट्र बनाम.

सिर की चोट एसएस। 302 ,

भारत फकीरा

धीवर

376 , 201 आईपीसी थ्रोटलिंग

15. (2002) 1 एस. सी. सी. 731

2 न्यायाधीश 11

जीवन.

गणेश लाल बनाम।

एसएस. 376 (2) (च), 303

वर्षों

राजस्थान राज्य

और 404 आई. पी. सी दम घुटना।

2 न्यायाधीश 16

16. जे. टी. 2002 (7) एससी

10 आप।

635

एसएस. 304 (भाग II)/376

वर्षों

ए. पी. बनाम राज्य टी.

आईपीसी

प्रसन्ना कुमार

17. (2003) 10 एससीसी

3 न्यायाधीश 14

जीवन.

विभ्रान्ति

185

वर्षों

एसएस. 302 , 376

सुब्रमण्यम बनाम। राज्य

आईपीसी विभ्रान्ति

18. (2003) 8 एससीसी 93

2 न्यायाधीश 11-12

जीवन.

अमित वी. की स्थिति

एसएस. 302 , 376

वर्षों

महाराष्ट्र

आईपीसी

19. (2004) 10 एससीसी

थ्रोटलिंग

2 न्यायाधीश 10

जीवन.

616

साल एस. एस. 302 , 376 और

यू. पी. राज्य बनाम

201 आईपीसी

देवेंद्र सिंह

2 न्यायाधीश

20. 2005 (3) एससीसी 131

जीवन.

1

की स्थिति

एसएस. 302 , 376 , 201

महाराष्ट्र बनाम.

आईपीसी

मानसिंह

21. (2005) 3 एस. सी. सी. 114 2 न्यायाधीश कम दमघोंटू

हां।

एसएस. 302 , 363 ,

यू. पी. राज्य बनाम

की तुलना में

सतीश

366 ,

376 (2) (च) आई. पी. सी. 201

22. (2005) 3 एस. सी. सी. 127 2 जज माइनर एस्फिक्सिया

जीवन.

एसएस. 363 , 376 और

सुरेंद्र

पाल

शिवबालकपाल वी.

302 आईपीसी

गुजरात राज्य शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

23. (2006) 9 एस. सी. सी. 278 2 न्यायाधीश 10 साल का मनमुटाव

जीवन.

यू. पी. राज्य बनाम

एसएस. 302 , 376

देश राज

आईपीसी

24. (2006) 12 एस. सी. सी. 79 2 न्यायाधीश 7/8 वर्ष से रक्तस्राव

जीवन.

अमृत सिंह बनाम।

वुल्वा का एक परिणाम

पंजाब राज्य

बलात्कार

एसएस. 376 और आई. पी. सी. की धारा 303

25. (2007) 11 एस. सी. सी. 2 न्यायाधीश 7/8 वर्ष के परिणामस्वरूप श्वासावरोध

जीवन.

467

साँस लेने से

बिष्णु प्रसाद

अर्ध-ठोस जलीय पदार्थ

सिन्हा बनाम। की स्थिति

एसएस. 376 (2) (छ), 303

असम

और 201 आर/डब्ल्यू एस. 34 आईपीसी

26. (2008) 7 एस. सी. सी. 561 3 न्यायाधीश 5 वर्ष

हां।

संदर्भ लें

विभ्रान्ति

10 वर्षों

एसएस. 363 , 376 , 302

अभियुक्त "एक्स" वी।

26ए.

और

की स्थिति

महाराष्ट्र

201 आईपीसी

26 (2019) 7 एससीसी 1

3 न्यायाधीश 5 वर्ष

कॉम.

विभ्रान्ति

10 वर्षों

ए. अभियुक्त "एक्स" वी।

एसएस. 363 , 376 , 302

डी से

और

की स्थिति

सेंटे

महाराष्ट्र

201 आईपीसी

27. (2008) 11 एस. सी. सी. 2 न्यायाधीश 5 वर्ष

हां।

सदमा और

113

एक के रूप में रक्तस्राव

चोटों का परिणाम

बंटू वी। राज्य

सम्मिलित करने के कारण

ofU.P।

लकड़ी की छड़ी

एसएस. 364 , 376 और 302 आईपीसी

28. (2008) 15 एस. सी. सी. 2 न्यायाधीश। 9 वर्ष

विभ्रान्ति

हां।

269

एसएस. 302 , 376 (2) (च)

शिवाजी

@

आईपीसी

अलहत वी. की स्थिति महाराष्ट्र

29. (2009) 15 एस. सी. सी. 3 न्यायाधीश 6 वर्ष

विभ्रान्ति

जीवन.

259

एसएस. 302/34 , एसएस.

पवन बनाम। राज्य

376,377 , एसएस.

उत्तरांचल का

201/34 आईपीसी

30. (2010) 1 एस. सी. सी. 58 2 न्यायाधीश 2 वर्ष

जीवन.

संयुक्त प्रभाव

सेबेस्टियन बनाम।

डूबना और बिंदास।

चोटें

केरल राज्य

चारों ओर टिका हुआ

नाक और मुँह

एसएस. 302 , 364 ,

369 , 376 (2) (च), 392,

449 आईपीसी

31. (2010) 2 एस. सी. सी. 583 2 न्यायाधीश 5 वर्ष

विभ्रान्ति

जीवन.

आफताब

अहमद

एसएस. 302 , 376 , 201

अनासरी वी. राज्य

आईपीसी

उत्तरांचल का

32. (2011) 2 एस. सी. सी. 764 3 न्यायाधीश वर्ग IV

न्यूरोजेनिक सदमा

जीवन.

रमेशभाई

विद्यार्थी

यौन संबंध के कारण

चंदुभाई।

उम्र का संभोग

और

-

राठौड़ (2) v.

10 कई वर्षों की चोटें।

गुजरात राज्य

एसएस. 363 , 366 , 376 ,

302 ,

397 आई. पी. सी. की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट

33. (2011) 5 एस. सी. सी. 317 2 न्यायाधीश 7 वर्ष

श्वासावरोध

और

मोहम्मद. मन्नान वी.

एक के रूप में रक्तस्राव

में से

बिहार राज्य

परिणाम

गला घोंटना एसएस।

366 , 376 , 201 ,

आईपीसी श्वासावरोध

33 (2019) 16 एस. सी. सी. 3 न्यायाधीश 7 वर्ष

और

ए. 584

एक के रूप में रक्तस्राव

परिणाम

मोहम्मद. मन्नान वी.

में से

गला घोंटना

बिहार राज्य

302 आईपीसी पका हुआ, शरीर

2 न्यायाधीश कई

34. (2011) 4 एससीसी 80

सुरेंद्र कोली बनाम।

अंशकालिक

बच्चे।

एसएस. 302 , 364 , 376

यू. पी. राज्य

आईपीसी

35. (2011) 15 एससीसी

2 न्यायाधीश 5 वर्ष

श्वासावरोध एसएस. 302 , 376 आईपीसी

कुसल बनाम। की स्थिति उड़ीसा

36. (2011) 12 एस. सी. सी. 56 2 न्यायाधीश 10 वर्ष। स्ट्रैंगुलेटियो

हरेश

एन एसएस। 302 ,

मोहनदास राजपूत

376 आईपीसी

राज्य

में से

वी. महाराष्ट्र

37. (2012) 4 एस. सी. सी. 107 2 न्यायाधीश 3 वर्ष

उस पर हमला किया गया

अमित वी. की स्थिति

सिर और उसका बायां

चेहरे की तरफ,

यू. पी

गला घोंट कर, अप्राकृतिक अपराध

और बलात्कार हुआ था

302 और 201 आई. पी. सी

38. (2013) 9 एस. सी. सी. 795 2 न्यायाधीश 10 वर्ष

छोटे लाल बनाम।

एसएस. 376 (2) और 303

एम. पी. राज्य

39. (2012) 5 एस. सी. सी. 766 2 न्यायाधीश 4 वर्ष

एस्फिक्सिया क्योंकि

नील कुमार बनाम।

बार-बार घूमना

एसएस. 302/376 (2) (च)

हरियाणा राज्य

और 201

40. (2012) 5 एस. सी. सी. 777 2 न्यायाधीशों को 5-6 साल का झटका

रमेश हरिजन

अ.

वी. यू. पी. राज्य

डी एक के रूप में रक्तस्राव

पूर्व का परिणाम योनि में मृत्यु

चोटें।

एसएस. 302 , 376

2 न्यायाधीश 3 वर्ष

41. (2012) 4 एससीसी 37

मौत का कारण

राजेन्द्र

बलात्कार और

दम घुटना

प्रल्हादराव

एसएस. 376 (2) (च), 377

वासनिक वी। राज्य महाराष्ट्र का

और आई. पी. सी.

41 (2019) 12 एससीसी

2 न्यायाधीश 3 वर्ष

मौत का कारण

ए. 460

बलात्कार और

राजेन्द्र

दम घुटना

प्रल्हादराव

एसएस. 376 (2) (च), 377

वासनिक वी। की स्थिति

और आई. पी. सी. की धारा 303

महाराष्ट्र शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

42. (2012) 7 एससीसी 699

2 न्यायाधीश

नहीं।

के कारण हुई मौत

जीवन.

काशीनाथ

बलात्कार, गला घोंटना

दिया गया

मंडल वी. राज्य

एसएस. 376 और 303

आईपीसी

डब्ल्यू. बी.

11 वर्ष श्वासावरोध के कारण

2 न्यायाधीश

43. (2012) 9 एस. सी. सी. 742

जीवन.

गला घोंटना और

यू. पी. राज्य बनाम

पूर्व के कारण भी

मुनेश

मामूली चोटें

एसएस. 302 , 376 आईपीसी

11 वर्ष श्वासावरोध के कारण

2 न्यायाधीश

जीवन.

44. (2013) 5 एस. सी. सी. 546

गला घोंटना

शंकर किसनराव

एसएस. 302 , 376 , 366

खाड़े वी। की स्थिति महाराष्ट्र

ए और 363 आर/डब्ल्यू एस. 34

आईपीसी

45. (2013) 7 एससीसी 725 2 न्यायाधीश

अत्यधिक।

जीवन.

4 वर्षों

राम देव प्रसाद

रक्तस्राव

वी. बिहार राज्य

चारों ओर चोटें जननांग और

निजी भागों द्वारा

समलिंगी अपराध

एसएस. 376 , 302 आईपीसी

दम घुटने के कारण

2 न्यायाधीश

5 के नीचे

जीवन.

46. | (2013) 10 एससीसी

721

को

वर्षों

राजस्थान राज्य

गला घोंटना

वी. जमील खान

एसएस. 302 , 376 , 201

आईपीसी

2 न्यायाधीश

14 एक के रूप में वर्ष एस्फिक्सिया

47. (2014) 5 एस. सी. सी. 353

जीवन.

राजकुमार बनाम। राज्य

जिसका परिणाम

में से

मध्य प्रदेश

गला घोंटना

प्रदेश

एसएस. 302 , 376 , 450

आईपीसी न्यूरोजेनिक सदमा

2 न्यायाधीश

जीवन.

8 वर्षों

48. (2014) 9 एस. सी. सी. 392

दोहरे बलात्कार

रमेश वी. राज्य

एसएस. 376 , 302 , 201 आईपीसी

3 न्यायाधीश

सिर पर चोट

49. (2014) 12 एससीसी

जीवन.

9 वर्षों

274

(एक खाट से)

सेल्वम वी। राज्य

एसएस. 302 , 376 , 379

और 201 आईपीसी

10 इयर्स थ्रॉटलिंग

2 न्यायाधीश

50. (2015) 2 एस. सी. सी. 783

जीवन.

दुर्योधन रूट

एसएस. 376 , 302 और

वी. उड़ीसा राज्य

201 आईपीसी

51. (2015) 1 एस. सी. सी. 253

3 न्यायाधीश

मौत का कारण

हां।

4 वर्षों

वसंत संपत

सिर में चोट,

यह भी उल्लेख करें

डुपारे वी। की स्थिति

संबद्ध

51 ए.

महाराष्ट्र

चोट के साथ जन्मजात क्षेत्र

एसएस. 302 , 376 (2) (च),

363 , 367 , 201 आईपीसी

51 (2017) 6 एससीसी 631। 3 न्यायाधीश

4 वर्षों

मौत का कारण

पुष्टि करें

सिर में चोट लगी थी, मौत

ए. वसंत संपत

डुपारे वी। की स्थिति

के साथ संबद्ध

दंड

महाराष्ट्र

चोट लगी है

जननांग क्षेत्र Ss.302,

376 (2) (च),

363 , 367 , 201 आईपीसी [2020] 13 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. (2015) 2 एससीसी 775। 2 न्यायाधीश

7 वर्षों

हत्या से हुई मौत

कान्व.

दर्गा राम बनाम।

चोट का लेखा

लेकिन

राजस्थान राज्य

सिर पर

सेंटे

एसएस. 376 , 302 आईपीसी

के रूप में सेट करें

(जुवेंटस

गंभीर चोटें

जीवन.

3 न्यायाधीश

53. (2015) 16 एससीसी

4 वर्षों

गर्दन और अन्य में

492

कालू खान बनाम।

महत्वपूर्ण भागों

राजस्थान राज्य

शरीर

एसएस. 363 , 364 ,

आईपीसी जलने की चोटें

2 न्यायाधीश

एस्टेड नहीं।

54. (2016) 3 एससीसी 19

जीवन.

(युवा)

असम राज्य बनाम।

एसएस. 376 , 302 , 454 आईपीसी

रामेन दोवाराह

55. (2016) 9 एस. सी. सी 325। 2 न्यायाधीश

चेहरा कुचला हुआ

जीवन.

नहीं।

कदमानियन बनाम।

उल्लेख किया गया

पत्थरों

राज्य

(संगतता सिर पर चोटें)

एसएस. 302 , 376 , 404 ,

2011 पीसी

56. | (2016) 9 एससीसी 675। 3 न्यायाधीश

जीवन.

7 वर्षों

दम घुटने से

तत्तु लोधी वी।

गला घोंटते हुए

मध्य राज्य

गला

द्वारा

प्रदेश

गला घोंटना गर्दन

एसएस. 302,364,363 , 376 (2) (च)/511 और

201 आईपीसी

स्ट्रेंगुलेशन/एस्फ

जीवन.

57. (2017) 4 एस. सी. सी. 393 3 न्यायाधीश

4 वर्षों

सुनील बनाम। की स्थिति

yx ia

मध्य प्रदेश

एसएस. 302 , 363 , 367 ,

376 (2) (च) आई. पी. सी.

58. (2019) 8 एस. सी. सी. 371। 3 न्यायाधीश

जीवन.

5 वर्षों

और भी।

सचिन

कुमार

शवदाह

डूबना।

सिंहराहा

वी.

मध्य राज्य

एसएस. 376 - ए, 302

प्रदेश

और 201 भाग II आई. पी. सी.

एस. एस. 5 (आई) और 5 (एम)

आर/डब्ल्यू

पॉक्सो अधिनियम की धारा 6

3 न्यायाधीश नहीं

सिर में लगी चोट

जीवन.

59. (2019) 13 एससीसी

का संपीड़न

उल्लेख किया गया

640 बाबासाहेब

गर्दन एसएस। 302 ,

मारुति कांबले बनाम.

376 (2) (च), 342 आईपीसी

राज्य

में से

महाराष्ट्र

3 न्यायाधीश

60. (2019) 16 एससीसी

जीवन.

9 वर्षों

डूबना।

एसएस. 302 , 376 (2) (च)

380 राजू जगदीश पासवान बनाम। की स्थिति

और आई. पी. सी. 201

महाराष्ट्र

61. (2019) 16 एस. सी. सी. 3 न्यायाधीश

जीवन.

8 वर्षों

एसएस. 302 , 363 , 366

278

और 376 (2) (i) आई. पी. सी.

नंद किशोर बनाम।

मध्य राज्य

प्रदेश

दम घुटने के कारण

7 डेढ़ साल

62. (2019) 4 एस. सी. सी. 210 3 न्यायाधीश

जीवन.

विजय रायकवार बनाम।

थ्रॉटलिंग

एसएस. 376 (2) (च), 201

एम. पी. राज्य

आईपीसी एस. एस. 5 (आई), 5 (एम) और

5 (आर) आर/डब्ल्यू एस. 6 पॉक्सो

अधिनियम शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

परिणामस्वरूप श्वासावरोध

जीवन.

63. (2019) 8 एस. सी. सी. 382। 3 न्यायाधीश नाबालिग

अव्यवस्थितकरण

परशुराम बनाम. राज्य

एसएस. 302 , 376

एम. पी.

(13) 3 न्यायाधीश 5 वर्ष के कारण श्वासावरोध

जीवन.

64. 2019

स्केल 187

दम तोड़ते हुए,

के साथ संबद्ध

दत्तात्रेय बनाम। की स्थिति

प्रमुख चोटें और

महाराष्ट्र

यौन उत्पीड़न

एसएस. 302 , 376 (2) (च),

377

आई. पी. सी. आर/डब्ल्यू एस. एस. 3 , 4 और 5 पॉक्सो

65. (2019) 7 एस. सी. सी. 716 3 न्यायाधीश 10 साल डूबते हुए

हां।

एसएस. 376 (2) (च) &

यह भी देखें

मनोहरन बनाम।

376 (2) (छ), 302,201 से 65 ए।

राज्य

आईपीसी

65 2019

(14) 3 न्यायाधीशों के डूबने के 10 साल

पुष्टि करें

एसएस. 376 (2) (च) & sDeath

ए. स्केल 800

376 (2) (छ), 303,201। जुर्माना

मनोहरन वी.

आईपीसी

राज्य

66. (2019) 9 एस. सी. सी. 622 3 न्यायाधीश 2 वर्ष थ्रॉटलिंग

हां।

रवि एस/ओ अशोक

एसएस. 302 , 363 , 376 ,

घुमरे वी। राज्य

377 आईपीसी

महाराष्ट्र का

67. (2019) 9 एस. सी. सी. 689 3 न्यायाधीश 13 साल थ्राटलिंग

हां।

रविशंकर वी.

एसएस. 363 , 366 ,

376 (2) (i), 376 (2) (n),

एम. पी. राज्य

376 (2) (जे), 376 (2) (एम),

376 - ए, 302 और 201

आईपीसी

इन 67 मामलों में से इस न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि की

15 मामलों में अभियुक्त को सजा। तीन में (सीनियर नंबर पर। 26ए, 33ए और 41ए) उक्त 15 मामलों में से इस अदालत ने पुनर्विचार याचिकाओं में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। शेष 12 मामलों में से, दो मामलों में (जहां मोहम्मद में निर्धारित कानून के संदर्भ में खुली अदालत में समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई की गई थी। आरिफ उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, सुप्रीम

भारत का न्यायालय 3 2) अर्थात् क्र. सं. के मामलों में। 51ए और 65ए, इस न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि की गई और पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, आज की तारीख में, 67 मामलों में से 12 में मौत की सजा की पुष्टि हुई है, जहां कथित रूप से किए गए प्रमुख अपराध आई. पी. सी. की धारा 376 और 302 के तहत थे और जहां पीड़ितों की आयु लगभग 16 वर्ष या उससे कम थी।

इन 67 मामलों में से कम से कम 51 मामलों में पीड़ितों की उम्र अधिक थी।

12 वर्ष से कम। उन 51 मामलों में से 12 में शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, 3 मामलों में (वरिष्ठ संख्या में। 26ए, 33ए और 41ए) मृत्युदंड को समीक्षा में आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था। 52 (2014) 9 एससीसी 737 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपर्युक्त 67 मामलों में से 2 में (क्र. सं. 58 और 67), अपराध क्रमशः 23.02.2015 और 22.05.2015 पर किए गए थे, अर्थात इसके बाद

संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे 02.04.2013 पर प्रकाशित किया गया (लेकिन 03.02.2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया)। आई. पी. सी. की धारा 376ए और साक्षय के तहत भी दोषसिद्धि हुई थी।

पीड़ित को डूबाना या उसका गला घोंटना जैसे विशिष्ट कृत्य दिखाए। पहले मामले में पीड़ित की उम्र 5 साल थी जबकि दूसरे मामले में पीड़ित की उम्र 13 साल थी। पहले मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गई सजा बिना किसी छूट के 25 साल के कारावास की थी।

दूसरा, अभियुक्त को शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

31. अब हम सजा के मुद्दे पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री माथुर द्वारा दिए गए पहले निवेदन की ओर रुख करते हैं। संहिता की धारा 235 (2) में आदेश दिया गया है कि अभियुक्त को सजा पर सुना जाना चाहिए। तत्काल मामले में सजा का आदेश उसी दिन दिया गया था जिस दिन दोषसिद्धि का आदेश सुनाया गया था। सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य 5 3 अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और एक ही फैसले से मौत की सजा सुनाई गई

और इस प्रकार इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि संहिता की धारा 23 (2) का उल्लंघन किया गया था। इसलिए मौत की सजा को दरकिनार कर दिया गया और मामले को सत्र अदालत में भेज दिया गया। क्या संहिता की धारा 235 (2) का पालन न करने के लिए, सांता सिंह बनाम में निर्णय के आलोक में मामले को रिमांड पर लिया जाए। पंजाब राज्य था

इसके बाद इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा डागडू बनाम में विचार किया गया। महाराष्ट्र राज्य "। चंद्रचूड़, सीजे। जिसने नेतृत्व किया

निर्णय में कहा गया: -

" 79. लेकिन हम सांता सिंह के फैसले को इस रूप में पढ़ने में असमर्थ हैं कि अदालत की ओर से, जो एक आरोपी को दोषी ठहराती है, सजा के सवाल पर उसे सुनने में विफलता आवश्यक है। अनिवार्य रूप से उस न्यायालय को रिमांड की आवश्यकता होती है ताकि वहन किया जा सके

उसे सजा के सवाल पर। लेकिन अगर, किसी भी कारण से, यह छोड़ देता है ऐसा करने और अभियुक्त उच्च न्यायालय में इसकी शिकायत करता है, यह उस न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह उल्लंघन को सुधारने के लिए एक

सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनना। कि

53 (1976) 4 एस. सी. सी. 190 54 (1977) 3 एस. सी. सी. 68 शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

अवसर वास्तविक और प्रभावी होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को अदालत के समक्ष उन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो वह सजा के प्रश्न पर प्रस्तुत करना चाहता है। अभियुक्त उस अधिकार का प्रयोग या तो अपने वकील को अदालत में मौखिक प्रस्तुतियाँ करने का निर्देश देकर कर सकता है या वह, हलफनामे पर या अन्यथा, अदालत के समक्ष लिखित रूप में जो चाहे रख सकता है।

सजा के सवाल को उसके सामने रखना। न्यायालय, उचित मामलों में, अभियुक्त को आवश्यक डेटा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए मामले को स्थगित कर सकता है और

सजा के सवाल पर अपनी दलीलें दें। कि शायद, अनिवार्य रूप से वहाँ होना चाहिए जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा पहली बार दोषसिद्धि दर्ज की जाती है।

गोस्वामी, जे. ने एक सहमत राय लिखी, जिसका प्रासंगिक हिस्सा बी. ए. उमेश बनाम में उद्धृत किया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय 3 1.

32. अलाउद्दीन मियां बनाम। बिहार राज्य ", सजा का आदेश उसी दिन पारित किया गया था जिस दिन दोषसिद्धि का आदेश सुनाया गया था।

और इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मल्कियत सिंह बनाम। पंजाब विधान 1 2, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने छह साल की सजा के बाद आरोपी की सुनवाई के लिए मामले को रिमांड पर लेना उचित नहीं समझा और

संहिता विशुद्ध रूप से यांत्रिक थी और अभियुक्त या अभियोजन पक्ष से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किए गए थे कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उच्च न्यायालय को मौत की सजा देने से बचने के लिए प्रभावित कर सकती हैं। 33. बी. ए. उमेश बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय 3 1, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस मुद्दे पर निर्णयों पर विचार किया, जिसमें यह सवाल भी शामिल था कि क्या मामले को सजा पर आरोपी की सुनवाई के लिए रिमांड पर लेने की आवश्यकता थी। निर्णय के अनुच्छेद 11 से 13 इस प्रकार थेः

" 11. दगडू वी. में। महाराष्ट्र राज्य गोस्वामी, जे. ने कहा

निम्नानुसारः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट " 90. मैं विशेष रूप से इस बात पर जोर दूंगा कि सांता सिंह बनाम में किसी भी मामले को रिमांड करने के लिए कोई अनिवार्य निर्देश नहीं है। पंजाब राज्य 53 और न ही रिमांड दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 235 (2) का अपरिहार्य नुस्खा है। जब भी किसी अपील अदालत को पता चलता है कि सुनवाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) का अधिदेश

यदि सजा का पालन नहीं किया गया था, तो तुरंत, अपील अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह अभियुक्त को उसके सामने जो भी सामग्री चाहे उसे किसी भी उचित तरीके से पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करे। अदालतों को कानूनों से बचना चाहिए।

विलम्ब और आवश्यक रूप से अप्रासंगिक ज्ञापन जब अभियुक्त अपील न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या इस न्यायालय में भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है। हमने इन अपीलों में सर्वसम्मति से इसी मार्ग को अपनाया है।

12. अन्य तीन मामलों में-तरलोक सिंह बनाम में न्यायाधीश पीठ का मामला। पंजाब राज्य 55, पैरा 4 पर, जे. कृष्णा अय्यर लिखते हैं:

" 4. सांता सिंह बनाम। पंजाब राज्य 53 इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि उस उप-धारा द्वारा अनुध्यात सुनवाई केवल मौखिक सुनवाई तक ही सीमित नहीं है।

प्रस्तुतियाँ लेकिन एक अवसर देने तक फैली हुई हैं

अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सजा के प्रश्न से संबंधित विभिन्न कारकों से संबंधित तथ्यों और सामग्रियों को अदालत के समक्ष रखना और यदि दोनों पक्षों द्वारा उनका विरोध किया जाता है, तो उन्हें स्थापित करने के उद्देश्य से साक्षय प्रस्तुत करना। बेशक, उस विशेष मामले में इस अदालत ने मामले को सीआरपीसी की धारा 235 (2) का पालन करने के लिए सत्र अदालत में वापस भेज दिया। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि कई मामलों में मामले को सत्र न्यायालय में वापस भेजने से अधिक खर्च हो सकता है।

न्याय के कारण में देरी और पूर्वाग्रह। ऐसे मामलों में, अपीलीय न्यायालय के लिए यह देना अधिक उपयुक्त हो सकता है कि पक्षकारों को धारा 235 (2) के संदर्भ में मामले को निचली अदालत में वापस भेजने की कवायद से गुजरने के बजाय वे जो सामग्री प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसे प्रस्तुत करने का अवसर। इससे कई मामलों में समय की बचत हो सकती है और शीघ्र न्याय दिलाने में मदद मिल सकती है।

13. दीपक राय बनाम। बिहार राज्य, एक और तीन न्यायाधीशों की पीठ का मामला, जे. दत्तू, पैरा 54 में निम्नानुसार टिप्पणी करता है:

7) 3 एससीसी 218

3) 10 एस. सी. सी. 421 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

" 54. इसमें, यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि संहिता की धारा 235 (2) के तहत प्रावधान के अनुसार सजा के प्रश्न पर अलग से सुनवाई का अवसर नीचे दी गई अदालतों द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा, निचली अदालत ने उक्त प्रश्न पर अपीलकर्ताओं और अभियोजन पक्ष द्वारा की गई दलीलों को दर्ज किया और उन पर चर्चा की और उसके बाद, कम कठोर सजा देने की संभावना को खारिज कर दिया।

मृत्युदंड। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सजा की पुष्टि करते हुए 57 कारणों को दर्ज किया है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के गैर-अपील करने के उद्देश्य पर ध्यान दिया है

मुखबिर द्वारा मामले को वापस लेना और अपराध करने का भयानक तरीका जिसमें छह निर्दोष व्यक्ति कम उम्र के हों

3 साल के बच्चे को जलाकर मार दिया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि यह घटना पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है और इस तरह मौत की सजा के अलावा कुछ भी कम योग्य नहीं है। 99 99

34. इसके बाद, वसंत संपत डुपारे बनाम में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया गया। महाराष्ट्र राज्य 3 2 और का उल्लेख करने के बाद अलाउद्दीन मियां बनाम में दिए गए निर्णयों सहित इस न्यायालय के निर्णय। बिहार राज्य 1 1, मल्कियत सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1 2 और बी. ए. उमेश बनाम कर्नाटक उच्च न्यायालय 3 1, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ

देखा गया: -

" 16. यह न्यायालय तब डगडू बनाम में निर्धारित सिद्धांत पर निर्भर था।

महाराष्ट्र राज्य 54 जिसके बाद

तरलोक सिंह बनाम में तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ। पंजाब राज्य 5. इन परिस्थितियों में, केवल इसलिए कि सजा पर सुनवाई के लिए कोई अलग तारीख नहीं दी गई थी, हम पूरी कवायद को त्रुटिपूर्ण या दूषित नहीं पा सकते हैं। चूंकि हमने अनुमति दी थी याचिकाकर्ता को डगडू v में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में प्रासंगिक सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए। महाराष्ट्र राज्य 3/4 हम रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इन कारकों और बिगड़ती परिस्थितियों को तौलेंगे जैसा कि पाया गया है।

न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन निर्णय में "।

हाल ही में, मनोज सूर्यवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 58 मामले में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ, प्रासंगिक पर विचार करने के बाद

बिन्दु पर निर्णय, निष्कर्ष निकाला:

57 बिहार राज्य बनाम। दीपक राय, 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 949 58 (2020) 4 एस. सी. सी. 451 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 27.2 . इस प्रकार, कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि किसी भी मामले में एक ही दिन दोषसिद्धि और सजा नहीं हो सकती है। इस न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय में निर्धारित कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि यदि सजा उसी दिन दी जाती है जिस दिन दोषसिद्धि दर्ज की गई थी,

सजा को दूषित कर दिया जाएगा "।

इस प्रकार, केवल संहिता की धारा 235 (2) के उल्लंघन के कारण, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में हमने अपीलार्थी को सभी प्रासंगिक सामग्रियों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त अवसर प्रदान किया है।

डगडू वी में निर्धारित सिद्धांत। महाराष्ट्र राज्य 54.

35. इससे पहले कि हम वाक्य पर दूसरी प्रस्तुति से निपटें, यह

यह देखा जाना चाहिए कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शरद बर्धीचंद सारदा बनाम में निर्धारित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य 3 4, परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित मामले को सख्त जांच का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक परिस्थिति जिससे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए; परिस्थितियाँ प्रकृति और प्रवृत्ति में निर्णायक होनी चाहिए; उन्हें सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े; और परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने की कोशिश के अलावा हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए। शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम में निर्णय। महाराष्ट्र राज्य 3 4

हनुमंत बनाम में इस न्यायालय के निर्णय सहित इस मुद्दे पर सुसंगत दृष्टिकोण को नोट किया था। मध्य प्रदेश राज्य "जिसमें इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था:

" यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्षय परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए

59 (1952) एस. सी. आर. 1091 शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम।

ए. टी. ई. ओ. महाराष्ट्र [उदय उमेश ललित, जे.]

यह दिखाने के लिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अधिनियम होना चाहिए

अभियुक्त द्वारा किया गया। "

साथ ही, इस मुद्दे पर कि एफ वाक्य में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, वादिवेलु बनाम में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ। मद्रास 60 राज्य ने कहा:

" अंत में, यह आग्रह किया गया कि यह मानते हुए कि अदालत पहले गवाह की गवाही पर कार्रवाई करने और एक रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए इच्छुक थी

प्रथम अपीलार्थी के विरुद्ध हत्या के लिए दोषसिद्धि, न्यायालय को कानून का अत्यधिक दंड नहीं देना चाहिए और अभिलेख की स्थिति में कानून द्वारा प्रदान की गई कम सजा होनी चाहिए।

यह माना जाना चाहिए कि यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह के मामले में पहला सवाल जिस पर अदालत को विचार करना है, वह यह है कि क्या आरोपी ने अदालत की संतुष्टि के लिए यह साबित किया है कि उसने

अपराध। यदि अदालत सच्चाई के बारे में आश्वस्त है

अभियोजन की कहानी, दोषसिद्धि का पालन करना होगा। सजा के प्रश्न का निर्धारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षय की मात्रा या चरित्र के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए।

अभियोजन मामले का समर्थन, लेकिन तथ्य के संदर्भ में

क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो अपराध की व्यापकता को कम करने के लिए कही जा सकती हैं। यदि न्यायालय संतुष्ट होता है कि ऐसी कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं, तो ही, कानून द्वारा प्रदान की गई दो सजाओं में से छोटी सजा को लागू करना उचित होगा। दूसरे शब्दों में, सबूत की प्रकृति का सजा की प्रकृति से कोई लेना-देना नहीं है। सबूत की प्रकृति केवल दोषसिद्धि के सवाल पर निर्भर कर सकती है- चाहे आरोपी दोषी साबित हुआ हो या नहीं। यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि दोषी को अभियुक्त के घर लाया गया है, और दोषसिद्धि के बाद, सबूत की प्रक्रिया है

अंत में। सवाल यह है कि कौन सी सजा दी जानी चाहिए, यह अदालत को सभी परिस्थितियों में तय करना है।

किसी विस्तार के विशेष संदर्भ के साथ मामला

परिस्थितियाँ। लेकिन सबूत की प्रकृति, जैसा कि हमने संकेत दिया है, का सजा के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले में, ऐसी कोई विस्तारित करने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं जो हो सकती हैं

इस दृष्टिकोण के समर्थन में वैध रूप से आग्रह किया गया है कि एस के तहत कम जुर्माना। 302 भारतीय दंड संहिता के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए

एस. सी. आर. 981-हालाँकि, यह मौत की सजा का मामला नहीं था।

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय। यह एक निर्मम हत्या थी। आरोपी आया

दूसरी बार, यह देखने के लिए दृढ़ संकल्प कि उनके पीड़ित ने नहीं किया

संभवतः हत्यारों के हाथों से बच निकले।

(जोर दिया गया)

यह निर्धारित किया गया था कि सजा का प्रश्न निर्धारित किया जाना चाहिए

अभिलेख पर साक्षय की मात्रा या चरित्र के संदर्भ में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ में जो अपराध की व्यापकता को कम करती हैं और सबूत की प्रकृति का प्रश्न पर असर हो सकता है।

सजा का और सजा के सवाल के साथ नहीं।

36. अब हम कुछ मामलों पर विचार कर सकते हैं जहाँ मृत्युदंड दिया जाता है।

यह तब लागू किया गया था जब दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित थी।

(i) जुम्मन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और एक अन्य "1; जबकि

एक मौत के दोषी की रिट याचिका को खारिज करते हुए इस अदालत ने उल्लेख किया पैरा 4 दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित पूर्व आदेश की पुष्टि करता है

मौत की सजा।

" 4. उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर,

याचिकाकर्ता ने एस. एल. पी. दायर की। (आपराधिक) 1986 की सं. 558। यह न्यायालय 20 मार्च, 1986 के अपने आदेश द्वारा एसएलपी को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि

इस प्रकार:

" यद्यपि याचिकाकर्ता को धारा 302 के तहत दोषसिद्धि

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा परिस्थिति पर आधारित है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्षय, परिस्थितिजन्य साक्षय

उसके अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है और

जो साबित हो चुका है, कोई अतिरिक्त-न्यायिक नहीं है स्वीकारोक्ति जो अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देती है कि

याचिकाकर्ता द्वारा बच्चे के साथ बलात्कार किया गया था और उसके बाद

जहाँ यह समाज के खिलाफ अपराध है-विशेष रूप से अत्यधिक क्रूरता के साथ की गई हत्याओं के मामले-इच्छा

धारा द्वारा प्रदत्त मृत्युदंड को शून्य कर दें।

302 भारतीय दंड संहिता। यह अदालत का कर्तव्य है कि

डिग्री के आधार पर एक उचित सजा लागू करें

61 (1991) 1 एस. सी. सी. 752 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

ए. टी. ई. ओ. महाराष्ट्र [उदय उमेश ललित, जे.]

आपराधिकता और ऐसी सजा देने की वांछनीयता। अपीलार्थी अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए निर्दोष बच्चे की निंदनीय और वीभत्स हत्या करने के लिए जो एकमात्र सजा का हकदार है, वह सामाजिक आवश्यकता के उपाय के रूप में और अन्य संभावित अपराधियों को रोकने के साधन के रूप में मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। मौत की सजा है पुष्टि की "।

1) अमृतलाल सोमेश्वर जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य

62 :

" 19. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित है और प्रस्तुत किए गए साक्षय की गुणवत्ता उस उच्च क्रम की नहीं है और इसलिए मृत्युदंड देना सुरक्षित नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने शंकर बनाम में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। T.N.63 की स्थिति हम उस निर्णय से गुजरे हैं और यह केवल वहां इंगित किया गया है

कि साक्षय की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्षय इसे किसी भी तरह से गुणात्मक रूप से कम नहीं कहा जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अगर वहाँ पकड़ और विश्वसनीय है

परिस्थितिजन्य साक्षय, तब उस पर सुरक्षित रूप से भरोसा करने के लिए सबसे अच्छा सबूत होगा। जैसा कि बचन सिंह बनाम में देखा गया है। पंजाब राज्य में, हल्की सजा के पारित होने को उचित ठहराने वाली कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं क्योंकि मौत की सजा को लागू करने के लिए उकसाने की प्रतिकूल

परिस्थितियाँ हैं। माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने बचन सिंह मामलों में "सबसे दुर्लभ" के सूत्र के संबंध में निर्धारित सिद्धांतों को नोट किया है। मृत्युदंड देने के लिए दुर्लभ मामलों में कहा गया है कि

बचन सिंह के मामलों में बताए गए दिशा-निर्देश होने चाहिए

प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों को शामिल किया गया और उन पर लागू किया गया जहां मृत्युदंड देने का सवाल उठता है। यह आगे था

निम्नलिखित रूप में देखा गया: (एस. सी. सी पी. 489, पैरा 40)

" यदि उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में सभी परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लेते हुए और

ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

5 एससीसी 186 I एससीसी 478 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मृत्युदंड

यदि आवश्यक हो, तो अदालत ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेगी।

इसी तरह अलाउद्दीन मियां बनाम में। बिहार 11 राज्य में भी इसी दृष्टिकोण को इस प्रकार दोहराया गया है: (एस. सी. सी पी. 22, पैरा 12)

" हालांकि, ताकि वाक्यों को ठीक से वर्गीकृत किया जा सके

प्रत्येक मामले के गुरुत्वाकर्षण की डिग्री को फिट करने के लिए, यह आवश्यक है कि

कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सजा, जैसा कि देखा गया है, होनी चाहिए

बचन सिंह मामलों में, 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' के लिए आरक्षित किया जाए ऐसे मामले जो असाधारण प्रकृति के हों। कठोरता के वाक्य

अपराध की गंभीरता को दर्शाने के लिए लगाया जाता है, बढ़ावा देने के लिए

कानून के प्रति सम्मान, अपराध के लिए न्यायसंगत सजा का प्रावधान करना,

आपराधिक आचरण के लिए पर्याप्त निवारक और सुरक्षा प्रदान करने के लिए

समुदाय आगे इसी तरह के आचरण से। यह तीन की सेवा करता है गुना उद्देश्य (i) दंडात्मक (ii) निवारक और (iii) सुरक्षात्मक। कि

यही कारण है कि बचन सिंह मामलों में इस अदालत ने कहा कि जब

वाक्य के चयन का प्रश्न विचाराधीन है

अदालत को न केवल अपराध और पीड़ित को देखना चाहिए बल्कि उसे भी देखना चाहिए।

अपराधी की परिस्थितियाँ और अपराध का प्रभाव

समुदाय में। जब तक कि अपराध की प्रकृति और

अपराधी की परिस्थितियों से पता चलता है कि अपराधी एक है

समाज के लिए खतरा और आजीवन कारावास की सजा

यह पूरी तरह से अपर्याप्त होगा, न्यायालय को सामान्य रूप से कम सजा दें, न कि अत्यधिक सजा

मृत्यु जो केवल अपवादात्मक मामलों के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और अपने चिंतित विचार के बाद, हम उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए दृढ़ राय रखते हैं कि अपीलार्थी का मामला निम्नलिखित के अंतर्गत आता है -

"दुर्लभतम मामलों" की श्रेणी और नीचे दी गई दो अदालतों ने मौत की सजा को सही ठहराया है।

(जोर दिया गया)

(iii) कामता तिवारी बनाम स्टेट ऑफ M.P.64 (iv) मोलाई और एक अन्य बनाम M.P.65 की स्थिति

1 6) 6 एस. सी. सी. 250 1 9) 9 एस. सी. सी. 581 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

(v) शिवाजी उर्फ दाद्या शंकर अलहत बनाम राज्य

आई. पी. सी. की धारा 376 और 302 के तहत मृत्युदंड की सजा की पुष्टि करते हुए यह देखा गया:

" 27. याचिका है कि परिस्थितिजन्य साक्षय के मामले में मृत्यु

बिना किसी तर्क के पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। यदि परिस्थितिजन्य

स्थापित करने में साक्षय निर्विवाद चरित्र का पाया गया है

अभियुक्त का अपराध, जो दोषसिद्धि की नींव बनाता है।

इसका सजा के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है जैसा कि किया गया है।

मृत्युदंड देते समय विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया वाक्य। कम करने वाली परिस्थितियाँ और बिगड़ती स्थिति

परिस्थितियों को संतुलित करना होगा। इस तरह की तुलनपत्र में

साक्षय की कोई भूमिका नहीं है। वास्तव में अधिकांश मामलों में जहाँ बलात्कार और हत्या आदि के लिए मौत की सजा दी जाती है।

व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्षदर्शी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे हैं।

सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं। लेकिन चीजों की प्रकृति में ऐसे मामलों में, उपलब्ध साक्षय परिस्थितिजन्य साक्षय होते हैं। अगर

उक्त साक्षय विश्वसनीय, ठोस और दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से विश्वसनीय, इसका इलाज करने के लिए

साक्षय और इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अस्थिर है "।

(जोर दिया गया)

vi) वसंत संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य '

" 38. अभिलेख पर साक्षय के आलोचनात्मक विश्लेषण पर, हम हैं

आश्वस्त है कि परिस्थितियाँ जो स्पष्ट रूप से रही हैं

स्थापित हैं: कि अपीलार्थी को प्रांगण में देखा गया था जहाँ

नाबालिग लड़की और अन्य बच्चे खेल रहे थे; कि अपीलार्थी

मृतक को अपनी साइकिल पर ले जाते देखा गया था; कि वह गया था

मिंटो फ्रेश चॉकलेट खरीदने के लिए पीडब्लू 6 के स्वामित्व वाली किराने की दुकान

उसके साथ; कि आरोपी ने पीडब्लू 2 को बताया था कि बच्चा था

अपने दोस्त की बेटी और वह साथ में "टेकडी-वाडी" जा रहे थे।

लड़की के साथ; कि अपीलार्थी ने खोज की थी

मृतक का मृत शरीर, वह स्थान जहाँ उसने अपना स्नान किया था

98) 15 एससीसी 269 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कपड़े और उनके कहने पर खून से सने पत्थर थे

मृतक के शरीर पर लगी चोटें; कि चोटें निजी अंगों पर बने रहने के बारे में डॉक्टर ने कहा है

जबरन यौन संभोग के कारण हुए हैं; कि पत्थर जिन्हें जब्त किया गया था, उन पर खून और चिकित्सा का लेप लगा हुआ था

सबूत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि चोट लग सकती थी

पत्थरों से मार कर; कि रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से पता चलता है

कि पथरी पर रक्त समूह रक्त समूह से मेल खाता है

अपीलार्थी के कपड़ों पर पाया गया कि अपीलार्थी के पास नहीं है उसके द्वारा की गई वसूली के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया

उदाहरण; और यह कि उसके परीक्षण में कुछ भी नहीं कहा गया है

धारा 313 सी. आर. पी. सी. कि फंसाने का कोई उचित कारण था

उसे विचाराधीन अपराध में। इस प्रकार, हम पाते हैं कि प्रत्येक

दोषपूर्ण परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित की गई हैं और

परिस्थितियों की शृंखला किसी को भी बाहर करने के लिए प्रकृति में निर्णायक होती है।

इसलिए, हमें निर्णय की पुष्टि करने में कोई संकोच नहीं है विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त दोषसिद्धि और द्वारा पुष्टि की गई

उच्च न्यायालय "।

(जोर दिया गया)

vii) मनोहरन बनाम। राज्य 67

" 23. ..... घटनाओं की पूरी शृंखला बनाई गई है और

परिस्थितिजन्य साक्षय का मामला होने के बावजूद,

अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से अपने मामले को तर्कसंगत से परे साबित किया है।

सन्देह हो रहा है। निचली अदालतें अपीलार्थी को दोषी ठहराने में सही हैं -

बलात्कार और हत्या "।

(जोर दिया गया)

एस. एल. में निर्णय। नं. ((iv), (vi) और (vii) की पीठों द्वारा

तीन न्यायाधीशों ने ऐसे मामलों पर विचार किया जहां अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धाराओं, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी

नीचे; जबकि अन्य दो न्यायाधीशों की पीठों द्वारा थे।

37. हालांकि, मामलों की एक निश्चित रेखा है, जहां विचार हैं

व्यक्त किया गया है कि परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि के मामलों में

इसलिए, आम तौर पर मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। कुछ मामले इस प्रकार हैं:

((i) आलोक नाथ दत्ता बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 68:

" 81. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। किसी ने ध्यान नहीं दिया

अपीलार्थियों की ओर से कोई संदिग्ध आचरण

हत्या करने या शव को ठिकाने लगाने में उनकी भूमिका। वर्तमान जैसे गंभीर प्रकृति के मामले से निपटने के दौरान,

हमेशा एक खतरा होता है जो अनुमान और संदेह ले सकते हैं कानूनी सच्चाई का स्थान। इस न्यायालय ने दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं

केवल के आधार पर अपराध के निष्कर्ष के संबंध में समय-समय पर कई मामलों में परिस्थितिजन्य साक्षय।

99

((ii) बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम। असम राज्य 1 4:

" 55. सवाल यह है कि क्या सजा दी जानी चाहिए।

सम्मानित किया जाता है। आम तौर पर, यह न्यायालय, की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपराध, विद्वान की राय से भिन्न नहीं होता

सत्र न्यायाधीश और इस ओर से उच्च न्यायालय भी, लेकिन यह होना चाहिए

यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं को केवल इस आधार पर दोषी ठहराया जाता है

परिस्थितिजन्य साक्षय। इसके लिए अधिकारी हैं प्रस्ताव है कि यदि साक्षय परिस्थिति द्वारा साबित होता है

साक्षय, आम तौर पर, मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा, अपीलार्थी 1 ने अपना पश्चाताप और पश्चाताप भी दिखाया

दंड संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में प्रक्रिया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

(जोर दिया गया)

((iii) स्वामी श्रद्धानंद (2) v. कर्नाटक राज्य 6 9 बचन सिंह 3 में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, यह

देखा गया:

मृत्युदंड न्यायालय ने कहा कि एक एकल के भीतर भी श्रेणी अपराध अनंत, अप्रत्याशित और

अप्रत्याशित परिवर्तन। कोई भी दो मामले बिल्कुल समान नहीं हैं। वहाँ

अनगिनत क्रमपरिवर्तन और संयोजन हैं जो परे हैं

मानव कलन की अग्रिम क्षमता। अदालत ने आगे कहा

7) 12 एससीसी 230

8) 13 एससीसी 767 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह देखा गया कि सजा देने की प्रक्रिया का मानकीकरण अंधी एकरूपता की वेदी पर न्याय का बलिदान करें।

.....

" 48. यही बात का अंत नहीं है। कमी के साथ जोड़ा गया

आपराधिक न्याय प्रणाली में निरंतरता की कमी है इस न्यायालय द्वारा भी सजा देने की प्रक्रिया। ऊपर उल्लेख किया गया है कि

बचन सिंह 3 ने दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत को निर्धारित किया।

व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए 'माछी सिंह' ने सिद्धांत को स्पष्ट कर दिया

हत्या के मामलों की पाँच निश्चित श्रेणियों में और ऐसा करने में मृत्युदंड लागू करने के दायरे को भी काफी बढ़ा दिया।

लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि बाद के फैसलों में न तो

दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत और न ही माची सिंह की श्रेणियां

समान रूप से और लगातार पालन किया गया।

49. आलोक नाथ दत्ता बनाम। W.B.68 सिन्हा, जे. की स्थिति ने कुछ दिया हाल के कई निर्णयों से बहुत अच्छे चित्र जिसमें

समान तथ्यों पर इस न्यायालय ने मृत्यु देने पर विपरीत विचार रखे

दोषी को सजा। उन्होंने अंत में कहा कि "अदालतों में

कुछ हद तक समान "और आगे" प्रतीत हो सकता है यह स्पष्ट है कि अलग-अलग पीठों ने इस मामले में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया था।

काटजू, जे. ने इस अपील में पारित अपने आदेश में कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया

सहमत हैं।

आलोक नाथ दत्ता 68 में निर्णय के साथ यह माना गया कि मृत्यु

परिस्थितिजन्य मामले में सजा नहीं दी जानी थी

सबूत। काटजू, जे. सही हो सकता है कि एक निरपेक्ष नहीं हो सकता है

परिस्थितिजन्य सभी मामलों में मृत्युदंड को छोड़कर नियम साक्षय (हालांकि आलोक नाथ दत्त 68 में इसे "सामान्य रूप से" कहा गया है और

एक पूर्ण नियम के रूप में नहीं)। लेकिन चित्रों से इनकार नहीं किया जा सकता है

सिन्हा, जे. द्वारा उद्धृत जो तथ्य की बात है।

(जोर दिया गया)

((iv) संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र 70

एक सरकारी गवाह की गवाही पर निर्भर करते हुए, मौत की सजा

वार्ड किया गया। मोहन और ओआरएस में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम राज्य

मिल नाडु '1 को इस प्रकार प्रतिष्ठित किया गया था:

9) 6 एससीसी 498

(8) 5 एस. सी. सी. 336-फिरौती और आर के लिए 10 साल के नाबालिग लड़के के अपहरण का मामला। अपीलार्थी मोहन और गोपी को मौत की सजा की पुष्टि इस शत्रुघन बाबा मेशराम बनाम ने की थी।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

" 161. श्री एडसुरे ने मोहन बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर पूरा भरोसा जताया है। टी. एन. राज्य का यह तर्क देना कि जिस तरह से हत्या की गई थी, वह स्वयं इंगित करता है कि सभी आरोपी मौत की सजा के हकदार थे। हमारी राय में उस मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से वर्तमान से अलग हैं। उस मामले में एक नाबालिग की हत्या शामिल थी। यह स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, उस मामले में भी अदालत ने माना कि हर मामले में कम करने वाली परिस्थितियों को उचित और उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह देखा गया:

" 167. अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सरकारी गवाह के साक्षय पर निर्भर करता है। मृत्युदंड देने के उद्देश्य से, वह कारक इसे ध्यान में रखना पड़ सकता है।

हम मान लेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद (2) में, इस न्यायालय ने एक ठोस कानून निर्धारित नहीं किया था कि परिस्थितिजन्य साक्षय से जुड़े मामले में, मृत्युदंड की सजा की अनुमति नहीं होगी। लेकिन, इसके संबंध में भी जो सवाल उठेगा वह यह होगा कि क्या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पर कुछ अनुमान लगाए गए हैं,

परिकल्पना उस तरीके के संबंध में आवश्यक होगी जिसमें अपराध किया गया था जो एक ऐसे मामले से विरोधाभासी है जहां घटना के तरीके की कोई भूमिका नहीं थी। यहां तक कि जहां परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर मौत की सजा दी जानी है, वहां परिस्थितिजन्य साक्षय ऐसा होना चाहिए जो एक असाधारण मामले की ओर ले जाए।

168. हालाँकि, हमें यह जोड़ना होगा कि इस प्रकृति के मामले में जहाँ पूरा अभियोजन मामला एक सरकारी गवाह के बयान के इर्द-गिर्द घूमता है या परिस्थितिजन्य साक्षय पर निर्भर है,

विवेक सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। उपरोक्त उद्देश्य के लिए, सजा सुनाने के चरण में साक्षय का मूल्यांकन किया जाएगा अनुमेय नहीं होने के कारण, न्यायालयों को न केवल दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने के उद्देश्य से प्राप्त निष्कर्षों पर निर्भर रहना पड़ता है, बल्कि उन साक्षयों को ध्यान में रखते हुए भी मामले पर विचार करना पड़ता है जो पक्षों और विशेष रूप से अभियुक्तों की ओर से कम सजा देने के लिए रिकॉर्ड पर लाए गए हैं। [2020] 13 एस. सी. आर. द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में अपराध करने के तरीके के संबंध में सरकारी गवाह का बयान।

एक ओर अभियुक्त और दूसरी ओर अनुमोदक का परीक्षण विवेक सिद्धांत की कसौटी पर किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

(v) पूर्ण चंद्र कुसल बनाम। उड़ीसा राज्य 16 1 6

" 7. हालाँकि, हमारी राय है कि वर्तमान मामले में मौत की सजा की मांग नहीं की गई थी। अपीलार्थी एक मजदूर था

रेलवे लाइन के किनारे एक बस्ती में रहता था और घटना के समय उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। हम यह भी देखते हैं कि पूरा साक्षय परिस्थितिजन्य प्रकृति का है। स्वीकार करते हुए, ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर किसी मामले में मौत की सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन अदालतें इस मामले में हैं -

विवेक, ऐसी स्थिति में यह सजा देने में हिचकिचाहट। यह सच है कि अपराध वास्तव में एक जघन्य अपराध था क्योंकि पीड़ित केवल पाँच साल की थी और पीडब्लू 5 की बेटी थी जो अपीलार्थी की पड़ोसी

थी। तथ्यों के संचयी मूल्यांकन पर, हमारी राय है कि मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

(viii) महेश धनाजी शिंदे बनाम महाराष्ट्र राज्य 74 (ix) कालू खान बनाम। राजस्थान राज्य 1

" 24. उन मामलों में मृत्युदंड देने के संबंध में जहां दोषसिद्धि का एकमात्र आधार परिस्थितिजन्य साक्षय है, यह न्यायालय स्वामी श्रद्धानंद बनाम. कर्नाटक राज्य ने स्वीकार किया है कि सबूत के उपयुक्त स्रोतों पर आधारित मामलों की तुलना में बाद में ऐसे मामलों में गलत तरीके से दोषसिद्धि होने की बहुत अधिक संभावना है। इस न्यायालय ने आगाह किया कि दोषसिद्धि आधारित है "प्रतीत होता है कि निर्णायक परिस्थितिजन्य साक्षय" को मूर्खतापूर्ण घटनाओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह तथ्य कि वे परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित हैं, एक निश्चित कारक होना चाहिए

2) 5 एस. सी. सी. 766

4) 4 एस. सी. सी. 317 4) 4 एस. सी. सी. 292 7) 12 एस. सी. सी. 288 पैरा 87 शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

सजा देने के चरण में विचार-विमर्श, यह देखते हुए कि मृत्युदंड अपनी कुल अपरिवर्तनीयता में अद्वितीय है। इसके अलावा, इस न्यायालय ने कहा

कि मुकदमे की कोई भी विशेषता, जैसे कि केवल परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित दोषसिद्धि, जो मामले में अनिश्चितता में योगदान करती है।

"दोषपूर्ण गणना", नकारात्मक ध्यान आकर्षित करना चाहिए जबकि

हत्या के लिए अधिकतम सजा तय करना।

25. इस न्यायालय ने अमेरिकी मृत्यु के तहत कुछ फैसलों पर ध्यान दिया

दण्ड न्यायशास्त्र निम्नानुसार है: (स्वामी श्रद्धानंद मामला 75,

एससीसी पीपी। 320-21 , पैरा 88-90)

" 88. इस लीग के पुराने मामलों में से एक 1874 का है।

मेरिट वी। राज्य ", जहाँ जॉर्जिया का सर्वोच्च न्यायालय है

जॉर्जिया में लागू कानून का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

' इस राज्य की दंड संहिता के अनुसार हत्या की सजा मौत होगी, सिवाय इसके कि जब दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य गवाही पर आधारित हो। जब दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य गवाही पर की जाती है, तो मृत्युदंड देना या प्रतिवादी को कारागार में कारावास की सजा देना पीठासीन न्यायाधीश के विवेकाधीन होता है।

आजीवन के लिए, जब तक कि जूरी. यह सिफारिश नहीं करेगी कि प्रतिवादी को आजीवन कारावास में रखा जाए; उस मामले में पीठासीन न्यायाधीश को कोई विवेकाधिकार नहीं है, लेकिन वह मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए बाध्य है। कारागार '।

89. बाद में जैक्सन बनाम का मामला। स्टेट ", अला एट पीपी। 29-30 उपरोक्त मामले का पालन किया। [यह भी देखें एस. एम. फिलिप्स, प्रसिद्ध

परिचय के साथ परिवेशीय साक्षय के मामले

अनुमानात्मक प्रमाण का सिद्धांत, 50-52 (1875)।]

90. संयुक्त राज्य अमेरिका में वी। क्विनोन्स 78, एफ सप 2 डी पी पर। 267 द.

अदालत ने टिप्पणी की:

' कई राज्य जो मृत्युदंड की अनुमति देते हैं, केवल परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर दोषसिद्धि की अनुमति केवल तभी देते हैं जब इस तरह के साक्षय एक नैतिक निश्चितता को हर दूसरे से अलग करते हैं।

अपराधबोध को छोड़कर उचित निष्कर्ष "।

4) 52 जीएस 82

ला 26 (1883)

एफ सप। 2 डी 256 (एस. डी. एन. वाई. 2002)

26. संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य 70, अपीलार्थी सहित सभी अभियुक्त व्यक्ति वे बेरोजगार युवा थे जो रोजगार की तलाश में थे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित और उनके द्वारा स्वीकार की गई योजना के निष्पादन में, उन्होंने अपने दोस्त का उसके परिवार से फिरौती लेने के उद्देश्य से अपहरण कर लिया, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को टुकड़ों में काटने के बाद उसे अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया। अभियुक्त व्यक्तियों में से एक सरकारी गवाह बन गया और

अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से उसके साक्षय पर आधारित था। निचली अदालत ने अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने मौत की पुष्टि की

वाक्य। अपील में, इस न्यायालय ने कहा कि सजा का निर्धारण केवल आनुपातिकता के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने कहा कि हालांकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि अपीलार्थी में सुधार और पुनर्वास नहीं किया जा सकता था और मृतक के शव के निपटान का तरीका और तरीका हत्या के सबसे गलत और घृणित मामले को दर्शाता है, लेकिन शव के निपटान के केवल तरीके को मौत की सजा देने के उद्देश्य से किसी मामले को दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी में शामिल करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। उपरोक्त के साथ-साथ अन्य कारकों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय का विचार था कि इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि अभियोजन पक्ष का मामला सरकारी गवाह के साक्षय पर आधारित है। इसके अलावा, जहां परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर मौत की सजा दी जानी है,

परिस्थितिजन्य साक्षय ऐसा होना चाहिए जो एक असाधारण स्थिति की ओर ले जाए।

मामला। यह भी देखा गया कि ऐसे मामलों में अदालत को दिया गया विवेकाधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग किया जाता है

मृत्युदंड के अपरिवर्तनीय चरित्र के कारण यह बेहद कठिन हो जाता है। जहाँ सामान्य रूप से दो विचार लिए जा सकते हैं, वहाँ मृत्युदंड का अधिरोपण उचित नहीं होगा। इन परिस्थितियों में मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था

कारावास।

.....

30. महेश धनाजी शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को इस बात को ध्यान में रखते हुए बरकरार रखा गया था कि परिस्थितिजन्य साक्षय केवल उनके अपराध की दिशा की ओर इशारा करते हैं क्योंकि अपराध की कार्यप्रणाली, हत्या की मृत्यु, 10 में से 9 पीड़ितों की पहचान, अंतिम बार देखे गए सिद्धांत और अन्य दोषपूर्ण परिस्थितियाँ साबित हुई थीं।

तथापि, न्यायालय शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

आयु, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों के अभिरक्षा व्यवहार को ध्यान में रखते हुए जीवन के लिए और यह कि मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित था। 31. तत्काल मामले में, स्वीकार किया जाता है कि साक्षय का पूरा जाल परिस्थितिजन्य है। अपीलार्थी-

अभियुक्त की दोषसिद्धि विभिन्न स्वतंत्र साक्षयों पर निर्भर करती है, जैसे कि, उसे लापता होने से पहले मृतक के साथ "आखिरी बार देखा" गया था; अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति।

पीडब्लू 1 और गाँव के सदस्यों के सामने उसके सह-अभियुक्त;

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति और मृतक के शरीर की बरामदगी के लिए उक्त गाँव के सदस्यों की पुष्टि करने वाली गवाही; चिकित्सा साक्षय के साथ जो एक साथ जुड़ने पर उसे मृतक के खून में चित्रित करते हैं। जबकि उक्त साक्षय साबित करता है कि

अपीलार्थी-अभियुक्त का अपराध और इसे दोषसिद्धि के लिए एक उपयुक्त मामला बनाता है, यह न्यायिक मस्तिष्क को मृत्युदंड से कम सजा के विकल्प को पूरी तरह से पूर्ववत करने के लिए पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं करता है। भले ही श्रृंखला में कोई लापता लिंक नहीं हैं,

साक्षय भी पर्याप्त रूप से कोई प्रत्यक्ष संकेत प्रदान नहीं करता है। जिससे "अपराध" और "अपराधी" के बीच सांठगांठ के संबंध में अकाट्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निस्संदेह, उग्र परिस्थितियाँ प्रकृति के माध्यम से परिलक्षित होती हैं

अपराध और पीड़ित की कम उम्र अपराध को सामाजिक बना देती है।

घृणित और कठोर दंड की माँग करता है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जैसे कि अपीलार्थी-अभियुक्त की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और पूरा मामला सह-अभियुक्त के अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति सहित परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित है। ये कारक संतुलन को प्रभावित करते हैं

परिस्थितियाँ और दोषपूर्णता में अनिश्चितता का परिचय दें

कैलकुलस "और इस प्रकार, हमें आश्वस्त करते हैं कि तत्काल मामले में मृत्युदंड एक अपरिहार्य निष्कर्ष नहीं है। हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक हैं कि वर्तमान परिदृश्य में मृत्युदंड का एक विकल्प, यानी वर्तमान परिस्थितियों में आजीवन कारावास उचित सजा होगी। 32. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, विवादित निर्णय और व्यवस्था में, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से देखा है कि जीवन और मृत्यु दिव्य के कार्य हैं और दिव्य का अधिकार ईश्वर को सौंप दिया गया है।

मानव न्यायालयों का प्रयोग केवल अपवादात्मक मामलों में ही किया जाएगा अत्यंत सावधानी के साथ परिस्थितियाँ। इसके अलावा, पहला और [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का सबसे प्रमुख प्रयास यह होना चाहिए कि वह अपना कार्यकाल पूरा होने तक जीवन जारी रखे।

प्राकृतिक अंत और प्रत्यायोजित दिव्य अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि कोई अन्य सजा नहीं है

क्योंकि मृत्यु न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। हम आलोचनात्मक हैं

सुविचारित राय कि वर्तमान मामला वारंट नहीं करता है अपीलार्थी-अभियुक्त को मृत्यु की चरम सजा का अधिनिर्णय

और आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त होगी और

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करें। हमारा मानना है कि चार मुख्य

राज्य जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात् निवारण,

रोकथाम, प्रतिशोध और सुधार प्राप्त किया जा सकता है

अपीलार्थी-अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा।

(जोर दिया गया)

दिल्ली का) 3 3 33 [निर्भया मामले के रूप में जाना जाता है] उसके मामले के समर्थन में और प्रस्तुत किया कि उपरोक्त में निर्धारित अनुपात को लागू करना

फैसला, मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलों में आता है जो आकर्षित करता है

मृत्युदंड। उपरोक्त तर्कों के संदर्भ में

राज्य के लिए विद्वान वकील, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुकेश 3 3 तथ्यों के आधार पर मामले से अलग है।

यह ध्यान देने योग्य है कि मुकेश 3 3 सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला है। पीड़ित की और पुरुष पीड़ित की हत्या का प्रयास। यह था।

अभियोजन पक्ष का विशिष्ट मामला कि अपराध किए गए थे

एक साजिश के तहत बाहर किया गया और अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया

अन्य अपराधों के अलावा आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत। इसके अलावा, एक

वास्तव में, उपरोक्त मामले में यह पाया गया कि आरोपी मुकेश

उसी रात अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।

इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त मामले में,

एक मृत्यु घोषणा, घटना के चश्मदीद गवाह, आदि थे। जहाँ तक

वर्तमान मामले का संबंध है, यह केवल परिस्थिति पर आधारित है

सबूत। यह अपीलार्थी का विशिष्ट मामला है कि उसे अस्वीकार कर दिया गया था

मामले में उचित कानूनी सहायता और वह एक मैनहोल है

कर्मचारी। अपीलार्थी की आयु लगभग 50 वर्ष थी। इसके अलावा, इसमें

मामले में निम्नलिखित अदालतों द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है

9) 16 एस. सी. सी. 278 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

कि अपीलार्थी के सुधार की कोई संभावना नहीं है। हम हैं।

इस दृष्टिकोण से कि निचली अदालत द्वारा दिए गए कारणों की पुष्टि की गई है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) का अर्थ मृत्युदंड अधिरोपित करना अभियुक्त "।

(जोर दिया गया)

(xi) मो. मन्नान वी. बिहार राज्य 80 " 57. इस मामले में, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि इस पर आधारित है -

परिस्थितिजन्य साक्षय और कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति याचिकाकर्ता द्वारा जाँच के दौरान पुलिस को किया गया, पर

जिसके आधार पर कुछ वसूली की गई थी। वहाँ कोई नहीं है

याचिकाकर्ता के खिलाफ फोरेंसिक साक्षय। हमारी राय में, यह होगा

याचिकाकर्ता पर मृत्युदंड के अधिरोपण को बरकरार रखने के लिए असुरक्षित।

.....

79. इस मामले में, एक आठ साल की मासूम लड़की का शिकार हो गई

याचिकाकर्ता की शारीरिक इच्छा और वासना। यह ज्ञात नहीं है कि

याचिकाकर्ता की ओर से हत्या के लिए कोई पूर्व योजना थी

पीड़ित। जिन परिस्थितियों में उसने पीड़ित की हत्या की

वे भी ज्ञात नहीं हैं। दोषसिद्धि परिस्थिति पर आधारित है।

याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए साक्षय और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति

जाँच के दौरान पुलिस। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि

अपराध घृणित है, लेकिन यह संदेहपूर्ण है कि क्या अपराध याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कृत्य को "दुर्लभ से दुर्लभतम" कहा जा सकता है।

(जोर दिया गया)

(xii) दिलीप बांकर बनाम। M.P.81 की स्थिति " हम दोषसिद्धि भाग में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि,

सजा के संबंध में, तथ्यों और परिस्थितियों में

मामले में, हम मृत्युदंड को दरकिनार करने के लिए इच्छुक हैं। यह था।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा कि अपीलार्थी ने

अपने ही अतीत का शिकार बन जाता है और केवल परिस्थितिजन्य होता है

उसके खिलाफ सबूत। हम सजा देना उचित समझते हैं।

कुल 25 वर्ष का कारावास। हालांकि, मौत की सजा तय की गई है। एक तरफ "।

(जोर दिया गया)

9) 16 एस. सी. सी. 584

विश्वविद्यालय/अनुसूचित जाति/1125/2019 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन 12 मामलों में से क्र. सं. नं. ((iii), (vii), (viii), (ix),

(x), (xi) और (xii) का निर्णय इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठों द्वारा किया गया था, जबकि अन्य का निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठों द्वारा किया गया था।

38. अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण मामला इस न्यायालय का निर्णय है

रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ बनाम गुजरात राज्य 3 2, जिसमें

अभियुक्त को धारा 363 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया गया।

366 , 376 , 397 और आई. पी. सी. की धारा 303। पीड़िता चौथी कक्षा की छात्रा थी।

आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। मामला इस पर आधारित था कि परिस्थितिजन्य साक्षय और पसायत, जे. ने कहाः

" 30. याचिका है कि परिस्थितिजन्य साक्षय के मामले में मृत्यु

उपलब्ध साक्षय परिस्थितिजन्य साक्षय है। यदि उक्त साक्षय इस उद्देश्य के लिए विश्वसनीय, ठोस और भरोसेमंद पाया गया है - दोषसिद्धि दर्ज करना, उस साक्षय को एक कम करने वाली परिस्थिति के रूप में मानना, एक अप्रासंगिक पहलू पर विचार करने के बराबर होगा। अपीलार्थी के विद्वान वकील की यह दलील कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित है और इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से अस्थिर है।

(जोर दिया गया)

अपीलार्थी को संबंधित अपराधों का दोषी पाते हुए,

पसायत, जे. ने मृत्युदंड की पुष्टि की।

गांगुली, जे. ने दोषसिद्धि के मुद्दे पर पसायत, जे. से सहमति व्यक्त की लेकिन

सजा के सवाल पर उनका विचार था कि उचित सजा आजीवन कारावास है। गांगुली, जे. ने पाया कि द्वारा निर्भरता

धनंजय चटर्जी बनाम स्टेट ऑफ W.B.83 के फैसले पर अदालत, सही नहीं। यह कहा गया थाः

" 64. दोनों मामलों के तथ्यों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने कभी मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया हो। धनन्जय 8 3 में, अपराध की तारीख से पहले, कई अवसर थे जब धनन्जय द्वारा पीड़ित को उसके स्कूल आने-जाने के रास्ते में छेड़ा गया था।

नवीनतम उनकी मृत्यु से तीन दिन पहले 2-3-1990 पर था, जब धनंजय ने मृतक को एक फिल्म देखने के लिए अपने साथ जाने के लिए कहा था। इस पर मृतक ने विरोध किया और अपनी मां को इसके बारे में बताया। तब उसके पिता ने कुछ पड़ोसियों से सलाह ली थी और इसके बाद, सुरक्षा एजेंसी को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसने धनंजय को काम पर रखा था और अपने अपार्टमेंट में तैनात किया था। एजेंसी ने धनंजय को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की थी

अपार्टमेंट। इस प्रकार धनंजय के मन में अपराध करने का एक मकसद और बदला लेने की भावना थी।

मृतक।

विभिन्न मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा:

" 117. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूं कि तत्काल मामले में अपीलार्थी एक युवक है और आरोप पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार उसकी आयु 28 वर्ष थी। वे शादीशुदा हैं और उनकी दो बेटियां हैं। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, कम से कम किसी को भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। उसका व्यवहार सामान्य रूप से आपत्तिजनक नहीं था और निश्चित रूप से घटना से पहले मृतक लड़की के साथ नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण घटना संभवत: अपीलार्थी द्वारा किया गया पहला अपराध है। अन्यथा वह अपराधी नहीं है। ऐसा व्यक्ति नहीं है

समाज के लिए खतरा। उसका पूरा जीवन उसके सामने है।

.....

.....

120. मैं उनके प्रभुत्व से सहमत हूं कि अपीलार्थी को अन्य आरोपों में दोषी ठहराया जाना चाहिए। हालाँकि, उसकी दोषसिद्धि स्वचालित रूप से उसकी मौत की सजा का कारण नहीं बनती है। मेरी विनम्र राय में मृत्युदंड के बजाय कठोर कारावास की सजा। क्योंकि जीवन न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। सजा के उपरोक्त संशोधन के साथ अपील को ऊपर बताए गए हद तक खारिज कर दिया जाता है।

4) 2 एससीसी 220 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए यह मामला तीन न्यायाधीशों (रमेशभाई चंदुभाई राठौड़ (2) बनाम गुजरात राज्य) की पीठ को भेजा गया था।

संदर्भ में, न्यायमूर्ति पसायत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत नहीं थे और न ही मृत्युदंड के मामलों में परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर किसी मामले की सराहना के मुद्दे पर इसके विपरीत कोई टिप्पणी थी। लेकिन पीठ ने गांगुली, जे. द्वारा लिए गए विचार को अपनाया और कहा:

जिससे अभियुक्त को फांसी दी जा सके। तथापि, जे. गांगुली ने उस मामले और वर्तमान मामले के तथ्यों पर अंतर किया है और कहा है कि चूंकि अपीलकर्ता केवल 27 वर्ष का युवक था, इसलिए निचली अदालत के लिए यह अनिवार्य था कि वह संभावित पुनर्वास और सुधार के बारे में निष्कर्ष दे और इस संभावना के बारे में कि यदि उसे ऐसा करने का मौका दिया गया तो वह अभी भी समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सकता है। 10. इसलिए, हमारी राय है कि गांगुली द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आलोक में, जे.

अपीलार्थी को मृत्युदंड। साथ ही अपराध की गंभीरता, अपीलार्थी का व्यवहार और ऐसी घटनाओं से व्यवस्थित समाज में पैदा होने वाले भय और चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम महसूस करते हैं कि रामराज बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में मीडिया के माध्यम को अपनाया जाना चाहिए। की स्थिति छत्तीसगढ़ 84 और मुल्ला बनाम। इन दो मामलों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "आजीवन कारावास" शब्द का अर्थ होगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के तहत राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन दोषी के प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।

39. यहाँ यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि स्वामी शारदनंद बनाम राज्य की सुनवाई करने वाले दो न्यायाधीशों के बीच असहमति थी।

कर्नाटक "। सिन्हा, जे. का विचार था कि अभियुक्त को आजीवन कारावास दिया जाए।

84 (2010) 1 एस. सी. सी. 573 85 (2010) 3 एस. सी. सी. 508 शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

जे. ने मृत्युदंड की पुष्टि की। इसलिए इस मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया, जिसका निर्णय स्वामी श्रद्धानंद (2) 69 के रूप में सूचित किया गया है, जिसने काटजू, जे. की टिप्पणियों को सही पाया कि "परिस्थितिजन्य साक्षय के सभी मामलों में मौत की सजा को छोड़कर कोई पूर्ण नियम नहीं हो सकता है"। हालांकि पीठ ने अपने फैसले के पैराग्राफ 91 से 93 में सजा की एक विशेष श्रेणी तैयार की।

हालाँकि, कालू खान में बाद के निर्णय को "सिन्हा, जे की राय से अनुमोदन पैराग्राफ 88 से 90 के साथ उद्धृत किया गया, जब

स्वामी श्रद्धानंद 75 में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई की थी।

अनुमेय, एक निश्चित विचार की रेखा कि जहां परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर मौत की सजा दी जानी है, परिस्थितिजन्य साक्षय ऐसा होना चाहिए जो एक असाधारण मामले की ओर ले जाए कालू खान में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा। वास्तव में, इसने स्वामी में जे. सिन्हा द्वारा व्यक्त की गई सावधानी को स्वीकार किया।

श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य "और संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार के निष्कर्ष" अपने निर्णय में स्पष्टता के साथ सिद्धांतों को दोहराते हैं।

41. अतः इसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(क) ऐसा नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्षय के मामलों में मृत्युदंड अधिरोपित करने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि परिस्थितिजन्य साक्षय निर्दोष है।

अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में चरित्र और एक असाधारण मामले की ओर ले जाता है या साक्षय न्यायिक दिमाग को पर्याप्त रूप से आश्वस्त करता है कि मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प पूर्ववत है, मृत्युदंड हो सकता है थोपा गया।

42. इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि तत्काल मामला परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित है, इसे कम करने का कोई कारण नहीं है।

मृत्युदंड। हालाँकि, इस मामले पर वन आधारित सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि क्या परिस्थितिजन्य साक्षय [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्दोष चरित्र का होता है और कम वाक्य का विकल्प बंद कर दिया जाता है।

43. इससे पहले कि हम मामले को बताए गए दृष्टिकोण से देखें

ऊपर, हमें सुश्री माथुर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा "अवशिष्ट संदेह" के संबंध में दिए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करना चाहिए क्योंकि कहा गया प्रस्तुतिकरण साक्षय के स्वरूप को भी छूता है।

44. "अवशिष्ट संदेह" के सिद्धांत को पहली बार नोट किया गया था

अशोक देबबर्मा उपनाम अचक देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ। पैराग्राफ 30 से 34 में "अवशिष्ट संदेह" शीर्षक के तहत चर्चा इस प्रकार थी:

" 30. अभियुक्त को इस मामले में दोषी न ठहराए जाने का गहरा अधिकार है। अपराध जो प्रमाण के प्रमाणिक मानक द्वारा स्थापित नहीं है

" उचित संदेह से परे "। कृष्णन बनाम में यह न्यायालय। राज्य

>

मान लिया कि

केवल अस्पष्ट आशंकाएँ। एक उचित संदेह नहीं है काल्पनिक, तुच्छ या केवल एक संभावित संदेह, लेकिन एक उचित संदेह

कारण और सामान्य ज्ञान पर आधारित। इसे विकसित होना चाहिए

मामले में सबूत "।

रमाकांत राय बनाम। मदन राय 3 7, उपरोक्त सिद्धांत है दोहराया।

न्यायालय ने 1850 की शुरुआत में ही "उचित" अभिव्यक्ति की व्याख्या की है। शक "इस प्रकार है:

" उचित संदेह. केवल एक संभावित संदेह नहीं है; क्योंकि

मानवीय मामलों से संबंधित सब कुछ, और नैतिकता पर निर्भर करता है

साक्षय, कुछ संभावित या काल्पनिक संदेह के लिए खुला है। यह है। मामले की वह स्थिति जो पूरी तुलना के बाद और

87 (2003) 12 एससीसी 395: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) पूरक 445 88 (1850) 5 कुश 295: 52 एम डिसेम्बर 711 (मास सुप सीटी)

शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

सभी साक्षयों पर विचार करने से न्यायाधीशों का मन इस स्थिति में रह जाता है कि वे यह नहीं कह सकते कि वे एक स्थायी भावना महसूस करते हैं

विश्वास "।

हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में, अभियुक्त के अपराध को दर्ज करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष को मामले को पूर्ण या गणितीय निश्चितता के साथ साबित करना चाहिए, लेकिन केवल उचित संदेह से परे। आपराधिक अदालतें, यह जांच करते हुए कि क्या कोई संदेह उचित संदेह से परे है, उनके दिमाग में कुछ "अवशिष्ट संदेह" हो सकते हैं, भले ही अदालतें आरोपी व्यक्तियों के अपराध के बारे में उचित संदेह से परे आश्वस्त हों। उदाहरण के लिए, क्षण में

मामले में, यह बताया गया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आग्नेयास्त्रों, दाओ, लाठी आदि जैसे हथियारों से लैस व्यक्तियों ने ग्रामीणों के घरों में आग लगा दी और गोलियां चला दीं, जिसके परिणामस्वरूप 15 लोगों की मौत हो गई, लेकिन केवल ग्यारह व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और जिनमें से केवल पांच अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। यहां तक कि उन पाँच व्यक्तियों में से तीन को बरी कर दिया गया, जिससे अपीलार्थी और एक अन्य फरार हो गया। अदालत, ऐसी परिस्थितियों में, एक "अवशिष्ट संदेह" पर विचार कर सकती थी कि क्या अकेले अपीलार्थी ने पूरे अपराध को किया था, जो कि अदालत द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली एक कम करने वाली परिस्थिति है, कम से कम जब अदालत इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी में आता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पक्ष लिया गया। में। फ्रैंकलिन वी। लिनाघ ", मौत की सजा से निपटते हुए,

न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि उनके मामले में अपनाई गई सजा देने की प्रक्रियाओं ने जूरी को सजा को कम करने में, किसी भी 'अवशिष्ट संदेह' पर विचार करने से रोक दिया। उसके अपराध के बारे में। याचिकाकर्ता 'अवशिष्ट संदेह' वाक्यांश का उपयोग उन संदेहों को संदर्भित करने के लिए करता है जो जूरी सदस्यों के मन में बने हुए हो सकते हैं जो एक उचित संदेह से परे उनके अपराध के बारे में आश्वस्त थे, लेकिन जो उनके अपराध के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। याचिकाकर्ता के लिए संक्षिप्त 14. बहुलता और असहमति याचिकाकर्ता के 'अवशिष्ट संदेह' के दावे को अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे निष्कर्ष निकालते हैं कि विशेष

एल एड 2 डी 155: 487 यूएस 164 (1988)

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फैसले के सवाल जूरी को याचिकाकर्ता के अपराध के बारे में अपनी 'अवशिष्ट शंकाओं' को कम करने से नहीं रोक पाए। देखें।

फ्रेंकलिन, यू. एस. पी. 175 ; फ्रैंकलिन, यू. एस. पी. में पोस्ट करें। 189 . हालाँकि, यह निष्कर्ष सवाल के लिए खुला है। हालाँकि जूरी को विशेष निर्णय के प्रश्नों का उत्तर देने के दौरान अपराध के चरण में प्रस्तुत साक्षय पर विचार करने की अनुमति दी गई थी, जूरी को विशेष रूप से यह तय करने का निर्देश दिया गया था कि क्या

साक्षय ने 'उचित संदेह से परे' विशेष प्रश्नों के सकारात्मक उत्तरों का समर्थन किया। ऐप. 15 (जोर दिया गया)। इस निर्देश के कारण, जूरी ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि याचिकाकर्ता को सजा सुनाने में, वह सभी संदेह से परे उसके अपराध के प्रमाण की मांग करने के लिए स्वतंत्र था।

33. कैलिफोर्निया में वी। ब्राउन "और अन्य मामलों में, अमेरिकी अदालतों ने यह विचार रखा," अवशिष्ट संदेह "प्रतिवादी या अपराध की परिस्थितियों के बारे में एक तथ्य नहीं है, बल्कि तथ्यों के बारे में एक अनिश्चित अनिश्चितता है, मन की स्थिति जो कहीं न कहीं" अपराध से परे "के बीच मौजूद है।

उचित संदेह "और" पूर्ण निश्चितता "। याचिकाकर्ता का "अवशिष्ट संदेह" दावा है कि राज्यों को पूंजी की अनुमति देनी चाहिए सजा देने वाले निकायों को मौत की सजा देने से पहले "पूर्ण निश्चितता" के लिए अपराध के प्रमाण की मांग करनी चाहिए। हमारे मामलों में कुछ भी मृत्युदंड की सजा पर सबूत के इस बढ़े हुए बोझ को लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं है।

34. हम इस देश में भी, जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, उम्मीद करते हैं कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करेगा, लेकिन "पूर्ण निश्चितता" के साथ नहीं। लेकिन, "उचित संदेह" और "पूर्ण निश्चितता" के बीच, एक निर्णय लेने वाले का दिमाग भटक सकता है, संभवतः किसी दिए गए मामले में वह "पूर्ण निश्चितता" के लिए जा सकता है ताकि उसे मौत की सजा दी जा सके, इसके अलावा वह "उचित संदेह से परे" के लिए जा सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है, जहाँ तक वर्तमान मामला है

इस संबंध में, हमें इस बात पर संदेह था कि क्या अकेले अपीलार्थी अकेले अपराध को अंजाम दे सकता था, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष खुद कहता है कि यह लोगों के एक बड़े समूह का काम था। यदि ऐसा है, तो हमारे विचार में, अपराध

लोगों के एक समूह द्वारा अत्यंत क्रूर, विचित्र और कायरतापूर्ण तरीके से किया गया, व्यक्तियों के अन्य समूह पर आरोप पत्र लगाए बिना अकेले अपीलार्थी पर नहीं फेंका जा सकता था।

एड 2 डी 934: 479 यू. एस. 538 (1987)

शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम। महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

इनकी संख्या लगभग 35 है। सभी तत्व परीक्षण के साथ-साथ अवशिष्ट

संदेह परीक्षण, किसी मामले में, कम करने के लिए अभियुक्त का पक्ष ले सकता है।

कारक "।

(जोर दिया गया)

45. अशोक देबबर्मा 1 8 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया था।

इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठों द्वारा निम्नलिखित निर्णयों में

(ए) सुदाम उर्फ राहुल निराम जाधव बनाम। की स्थिति

1 अपीलार्थी को मृत्यु का कारण बनने का दोषी ठहराया गया था।

ई व्यक्ति; अर्थात् वह महिला जो उसके साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी, दो

उसकी पिछली शादी से और अपीलार्थी से दो बच्चे। उन्हें दी गई मौत की सजा की पुष्टि इस अदालत ने की थी।

कभी भी, समीक्षा याचिका में, सजा को परिवर्तित कर दिया गया था

क्षमा के किसी भी अधिकार के बिना अपने शेष जीवन के लिए कारावास "। चर्चा इस प्रकार थी:

" 19.1 . इस मोड़ पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि यह एक हो सकता है

सजा सुनाने में प्रासंगिक विचार कि दिए गए साक्षय में मामला परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, इसके पुरस्कार पर कोई रोक नहीं है

ऐसे साक्षय के आधार पर मामलों में मौत की सजा (स्वामी देखें)

श्रद्धानंद बनाम। कर्नाटक राज्य "और रमेश बनाम। की स्थिति

राजस्थान 1)।

19.2 . ऐसी स्थिति में, यह निर्धारित करना न्यायालय पर निर्भर है कि क्या

अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है

विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितिजन्य साक्षय

प्रत्येक मामले का, सभी प्रासंगिक उग्रता का आकलन करते हुए अपराध की परिस्थितियाँ, जैसे कि इसकी क्रूरता, व्यापकता और

पूर्व नियोजित प्रकृति, और अभियुक्त की परिस्थितियों को कम करना,

जैसे कि उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, उम्र, अत्यधिक भावनात्मक अपराध करने के समय अशांति, आदि।

19.3 . इस संबंध में, यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि

अशोक देबबर्मा बनाम में चर्चा। त्रिपुरा राज्य, जहाँ यह

न्यायालय ने "अवशिष्ट संदेह" की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया जो केवल इसका अर्थ है कि अभियुक्त के अपराध के बारे में आश्वस्त होने के बावजूद

इस तरह के अपराध के बारे में उसके मन में अवशिष्ट संदेह। इस न्यायालय ने नोट किया कि अवशिष्ट संदेह का अस्तित्व कभी-कभी आग्रह किया जाने वाला आधार था

अमेरिकी अदालतों के समक्ष मौत की सजा देने के संबंध में एक शमनकारी परिस्थिति के रूप में, और निम्नानुसार नोट किया:

" 33. कैलिफोर्निया में वी। ब्राउन "और अन्य मामलों में, अमेरिकी अदालतों ने यह विचार रखा," अवशिष्ट संदेह "प्रतिवादी या अपराध की परिस्थितियों के बारे में एक तथ्य नहीं है, बल्कि तथ्यों के बारे में एक अनिश्चित अनिश्चितता है, एक मानसिक स्थिति जो मौजूद है।

कहीं "एक उचित संदेह से परे" और

" पूर्ण निश्चितता "। याचिकाकर्ता का "अवशिष्ट संदेह" दावा यह है कि राज्यों को मृत्युदंड देने वाले निकायों को लागू करने से पहले "पूर्ण निश्चितता" के लिए अपराध के प्रमाण की मांग करने की अनुमति देनी चाहिए।

मौत की सजा। हमारे मामलों में कुछ भी अनिवार्य नहीं है

राजधानी में सबूत के इस बढ़े हुए बोझ को लागू करना सजा सुनायो।

34. हम भी, इस देश में, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, अभियोजन पक्ष से अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन नहीं। "पूर्ण निश्चितता" के साथ। लेकिन, "उचित संदेह" और "पूर्ण निश्चितता" के बीच, एक निर्णय-निर्माता का मन।

भटक सकता है, संभवतः किसी दिए गए मामले में वह जा सकता है " पूर्ण निश्चितता "ताकि मौत की सजा दी जा सके, इससे कम वह" उचित संदेह से परे "के लिए जा सकता है। काफी है।

कहने के लिए, जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हम

इस बारे में लंबे समय से संदेह था कि क्या अकेले अपीलार्थी अकेले ही अपराध को अंजाम दे सकता था। विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष स्वयं कहता है कि यह लोगों के एक बड़े समूह का काम था। यदि ऐसा है, तो हमारे विचार में, लोगों के एक समूह द्वारा किया गया अपराध

क्रूर, विचित्र और कायरतापूर्ण तरीके से, लगभग 35 व्यक्तियों के अन्य समूह पर आरोप लगाए बिना अकेले अपीलार्थी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता था। किसी भी मामले में सभी तत्व परीक्षण के साथ-साथ अवशिष्ट संदेह परीक्षण भी अनुकूल हो सकता है।

अभियुक्त, एक शमन कारक के रूप में "।

19.4 . जबकि "अवशिष्ट संदेह" की अवधारणा पर निस्संदेह भारतीय फांसी की सजा में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।

न्यायशास्त्र, तथ्य यह है कि इस न्यायालय के पास कई मामले हैं

अवसरों ने मृत्युदंड की अपरिवर्तनीय सजा को पारित करने के लिए साक्षय की गुणवत्ता को उस तुलना में उच्च मानक पर रखा जो दोषसिद्धि को नियंत्रित करता है, अर्थात, परिस्थितिजन्य शत्रुघन बाबा मेशराम बनाम की प्रकृति के आधार पर दोषसिद्धि के लिए मृत्युदंड देना असुरक्षित पाया है।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

अभिलेख पर साक्षय। वास्तव में, इस पीठ द्वारा मोहम्मद के मामले में हाल ही में लिए गए एक फैसले में इस प्रश्न पर कुछ ध्यान दिया गया था। मन्नान वी. बिहार राज्य, जहाँ हमें मृत्युदंड की पुष्टि करना असुरक्षित लगा

अभिलेख पर साक्षय की प्रकृति के आलोक में अभियुक्त को दिया गया, हालाँकि परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी।

" 21. स्पष्ट रूप से, यह तथ्य भी कि साक्षय परिस्थितिजन्य प्रकृति का था, न्यायालय के दिमाग पर बहुत भारी नहीं पड़ा, परिस्थितिजन्य साक्षय की ताकत और प्रकृति की तो बात ही छोड़िए। जो भी हो, हम पाते हैं कि अभिलेख पर सामग्री याचिकाकर्ता के अपराध के न्यायालय को उचित संदेह से परे समझाने के लिए पर्याप्त है;

हालाँकि, इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्षय की प्रकृति एक शमनकारी परिस्थिति के बराबर है जो स्थिति में उग्र और शमनकारी परिस्थितियों के संतुलन को झुकाने के लिए पर्याप्त है।

विवेक के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता का पक्ष। इसके अलावा, यह भी संभव है कि अनीता के चेहरे की चोटों से संबंधित गलत टिप्पणियों ने अदालत को याचिकाकर्ता को मौत की सजा देने के पक्ष में निष्कर्ष निकाला। इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि इस बात की उचित संभावना थी कि यह न्यायालय अपील में मौत की सजा को दरकिनार कर देता, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र जीवित साक्षय अपराध करने के उसके उद्देश्य, "अंतिम बार देखे जाने" की परिस्थिति और एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि जीवन की सजा

अपराध की गंभीरता और बर्बरता के बावजूद तत्काल मामले में कारावास को निर्विवाद रूप से स्थगित कर दिया जाता है।

22. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर हैं कि अभिलेख पर साक्षय के आधार पर तत्काल मामले में मृत्युदंड के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

23. साथ ही, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अपराध की वीभत्स प्रकृति और याचिकाकर्ता द्वारा बड़े पैमाने पर समाज के लिए उत्पन्न खतरे को देखते हुए तत्काल मामले में आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त होगी, जैसा कि जेल में याचिकाकर्ता के आचरण से स्पष्ट होता है। इस न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, यह रिकॉर्ड पर लाया गया है कि जेल में याचिकाकर्ता का आचरण [2020] 13 एस. सी. आर. रहा है।

असंतोषजनक, और वह आक्रामक हो जाता है और अवैध में लिप्त हो जाता है

जेल में गतिविधियाँ, जानबूझकर कैदियों और जेल कर्मचारियों को गाली देना और अन्य कैदियों के साथ लड़ाई को उकसाना। दो एफ. आई. आर. भी हैं।

याचिकाकर्ता के खिलाफ गाली देने और धमकी देने के लिए दर्ज किया गया नागपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक।

23.1 . जैसा कि इस न्यायालय ने पहले ही कई निर्णयों में कहा है,

आजीवन कारावास और सरलीकरण के बीच मीडिया के माध्यम से मृत्युदंड, इस पर प्रतिबंध लगाना उचित हो सकता है

याचिकाकर्ता का आजीवन कारावास की सजा को माफ करने का अधिकार

कारावास, जो आम तौर पर 14 साल तक जेल में रहता है

माफी। हम स्वामी के निर्णयों का सार्थक रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

69

श्रद्धानंद (2) v. कर्नाटक राज्य और भारत संघ

वी. वी. श्रीहरानो 2, इस संबंध में। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि

याचिकाकर्ता अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा।

(जोर दिया गया)

(ख) रविशंकर उर्फ बाबा विश्वकर्मा बनाम। की स्थिति

13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और गला दबाकर हत्या कर दी। निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी लेकिन अपील में मौत की सजा को इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था आजीवन कारावास के साथ न्यायालय इस निर्देश के साथ कि "कोई छूट नहीं दी जाएगी और अपीलार्थी अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा"। निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

" 57. उद्देश्यों के लिए सबूत के एक उच्च मानक का ऐसा अधिरोपण

मौत की सजा "उचित संदेह से परे"

आपराधिक दोषसिद्धि के लिए आवश्यक "अवशिष्ट संदेह" के समान है। अशोक देबबर्मा बनाम में इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया मीट्रिक। की स्थिति

त्रिपुरा में यह उल्लेख किया गया था किः (एस. सी. सी पी. 763, पैरा 31)

" 31 ..... हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में, अपराध दर्ज करने के लिए

अभियुक्त, यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन पक्ष को साबित करना चाहिए

निरपेक्ष या गणितीय निश्चितता के साथ मामला, लेकिन केवल परे

उचित संदेह। आपराधिक अदालतें, जाँच करते हुए कि क्या

कोई भी संदेह उचित संदेह से परे है, जो उनके दिमाग में हो सकता है,

कुछ "अवशिष्ट संदेह", भले ही अदालतें आश्वस्त हों अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध के बारे में जो उचित संदेह से परे है।

92 (2016) 7 एससीसी 1:

(2016) 2 एस. सी. सी. क्री. 695 शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

58. अशोक देबबर्मा ने एक "अवशिष्ट संदेह" के बीच अंतर किया, जो प्रतिवादी के अपराध के बारे में कोई भी शेष या स्थायी संदेह है जो दोषसिद्धि के दौरान "उचित संदेह से परे" मानक की संतुष्टि के बावजूद सजा के चरण में रह सकता है, और उचित संदेह जो कृष्णन बनाम में परिभाषित किए गए हैं। राज्य 86 "वास्तविक और मौलिक हैं, और केवल काल्पनिक, तुच्छ या केवल संभव नहीं हैं"। ये "अवशिष्ट संदेह" हालांकि दोषसिद्धि के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन इस बात पर विचार करते हुए कि क्या मामला इसके अंतर्गत आता है, परिस्थितियों को कम करने की दिशा में झुकेंगे।

"दुर्लभतम" श्रेणी।

59. इस सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य क्षेत्राधिकारों में भी मान्यता दी गई है, जहां कुछ राज्य न्यायालय जैसे टेनेसी का सर्वोच्च न्यायालय राज्य बनाम। मैककिनी 9 3 ने समझाया है कि अपराध का अवशिष्ट संदेह सजा के चरण के दौरान एक वैध गैर-वैधानिक शमनकारी परिस्थिति है और इस अवधि के दौरान नए साक्षय की अनुमति दी है।

प्रतिवादी के चरित्र से संबंधित सजा की कार्यवाही,

पृष्ठभूमि इतिहास, शारीरिक स्थिति, आदि।

60. हाथ में मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त उद्धृत सिद्धांतों का हमने बारीकी से पालन किया है। शुरुआत में, हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि उच्च न्यायालय ने

मृत्यु की पुष्टि करते हुए कहा है कि लड़की को जबरन यौन संभोग के कारण खून बहता हुआ पाया गया था, जो तथ्य, हालांकि, चिकित्सा साक्षय द्वारा समर्थित नहीं है। हालाँकि, इस तरह के गलत निष्कर्ष का आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि धारा के खाली अवलोकन से पता चलता है कि केवल बलात्कार के अपराध के दौरान पीड़ित की मृत्यु का तथ्य आवश्यक है, और ऐसी मृत्यु किसी भी दोषी इरादे से या केवल बलात्कार के कार्य का स्वाभाविक परिणाम नहीं होनी चाहिए। यह व्यापक रूप से काफी शब्दबद्ध है। अभियुक्त द्वारा किए गए किसी भी कार्य से मृत्यु को शामिल करना यदि किया जाता है

बलात्कार के अपराध के साथ समकालीन रूप से।

कोई भी अन्य व्याख्या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर देगी और आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत कम आरोप लगाने के लिए मौत का कारण बनने के इरादे की कमी का दावा करने वाले बलात्कारियों की पिछली खामियों को कायम रखेगी, जैसा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता वाली आपराधिक कानून में संशोधन पर समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है:

" 22. जबकि हमारा मानना है कि यौन उत्पीड़न के मामलों की एक बड़ी संख्या में बढ़े हुए दंड का निर्णय उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून के आधार पर किया जा सकता है, कुछ स्थितियों में एक विशिष्ट उपचार की आवश्यकता होती है। हम मानते हैं कि अपराध कहाँ है

कि जहाँ ऐसे अपराधों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, वहाँ मामले को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामले के रूप में भी चलाया जा सकता है, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे कई मामले वास्तव में गिर सकते हैं। धारा 304 (भाग II) के दायरे में क्योंकि "मारने का इरादा" अक्सर स्थापित नहीं किया जा सकता है। हिंसा के मामले में

जिसके परिणामस्वरूप निरंतर वानस्पतिक स्थिति का संबंध है, हमें अरुणा शानबाग, युवा की चलती कहानी की याद दिलाई जाती है।

नर्स जिसका बेरहमी से बलात्कार किया गया था और उसने अपना शेष जीवन (यानी लगभग 36 वर्ष) लगातार वनस्पति अवस्था में बिताया।

23. हमारी राय में, ऐसी स्थितियों के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि बलात्कार और हिंसा फैलाने के ठोस प्रयास से एक ऐसी मंशा का पता चल सकता है जो एक बढ़ी हुई सजा के योग्य हो।

इसलिए हमने सिफारिश की है कि भारतीय दंड संहिता में एक विशिष्ट प्रावधान, अर्थात् धारा 376 (3) को जोड़ा जाना चाहिए ताकि "बलात्कार के बाद मृत्यु या जिसके परिणामस्वरूप एक निरंतर वनस्पति अवस्था" के अपराध से निपटा जा सके।

61. वर्तमान मामले में, हमारे मन में कुछ अवशिष्ट संदेह हैं। अंतिम देखे गए सिद्धांत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गवाह, पीडब्लू 5 प्रतिपरीक्षा में आंशिक रूप से असंगत है और जल्दी से एक कथन से दूसरे कथन में कूद जाता है। दो अन्य गवाहों, पीडब्लू 6 और पीडब्लू 7 ने अपीलार्थी को घटना से एक साल पहले मृतक को बिस्कुट खिलाते हुए देखा था और इसकी सूचना देने में उनकी लंबी देरी विश्वास पैदा करने में विफल रही। मृतक की मां ने अपदस्थ किया कि अपीलार्थी की पत्नी और बेटी उसके घर आई और उस पैसे को वापस करने की मांग की जो उसने उनसे उधार लिया था, लेकिन यह उल्लेख करने में विफल रही कि उसे शुरू में अपराध करने के लिए अपीलार्थी पर संदेह था। पी. डब्ल्यू. 20 और पी. डब्ल्यू. 12 द्वारा गर्दन पर थ्रॉटलिंग का प्रमाण देने वाले लिगचर के निशान देखे गए और

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में, लेकिन पंचनामा शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम में कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

पुलिस द्वारा तैयार। रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए विसरा के नमूने खराब हो गए थे और इसलिए उनका परीक्षण नहीं किया गया था। हालाँकि अभियुक्तों के नाखूनों के खरोंच एकत्र किए गए थे, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है कि मृतक का डीएनए मौजूद था। एक अन्य

प्रारंभिक संदिग्ध बाबा उर्फ अशोक कौरव इस दौरान फरार हो गया। इसलिए, जांच ने इसमें शामिल होने की संभावना को जन्म दिया

एक से अधिक व्यक्ति। इन सभी कारकों का निश्चित रूप से साक्षय की श्रृंखला के निर्माण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये पूरी तरह से अपर्याप्त हैं।

बरी होने के लिए उचित संदेह पैदा करना।

62. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एक शमन कारक के रूप में इस तरह के "अवशिष्ट संदेह" का उपयोग प्रभावी रूप से मौत की सजा देने के लिए सबूत के मानक को बढ़ाएगा, जिसका लाभ होगा -

इसका लाभ केवल निर्दोष लोगों को ही नहीं मिला। हालाँकि, एक दोषी के बरी होने बनाम एक कथित निर्दोष के जीवन की हानि के कारण समाज की लागत के बीच लागत-लाभ की तुलना करना एक गलत धारणा होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु का विकल्प है

जरूरी नहीं कि इसका मतलब दोषी को रिहा करना हो।

63. जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने हेरेरा बनाम में उल्लेख किया है। कोलिन्स 4 ने कहा, "यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है कि हमारी न्यायिक प्रणाली, जैसे

जो लोग इसे प्रशासित करते हैं, वे त्रुटिपूर्ण हैं "। हालाँकि, मृत्यु अपरिवर्तनीय होने के कारण, इस पर अधिक जिम्मेदारी निहित है।

अभिलेख पर सम्पूर्ण सामग्री की गहन जांच के लिए न्यायालय। इसके अलावा, गुणात्मक रूप से, मृत्युदंड देकर लगाया गया दंड कारावास की तुलना में दोषी और राज्य दोनों के लिए बहुत अलग है। इसलिए, "अवशिष्ट संदेह" को ध्यान में रखते हुए प्रमाण के आवश्यक मानकों में एक अनुरूप अंतर।

सजा अनुचित नहीं होगी।

64. इस प्रकार हमारा विचार है कि वर्तमान मामला गिरता है।

"दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामलों से कम जहां केवल मृत्युदंड ही अपीलार्थी को दिए जाने के योग्य है। यह हमें सभी संचयी परिस्थितियों के आलोक में प्रतीत होता है कि विशेष की अवधारणा को लागू करके न्याय का कारण प्रभावी ढंग से पूरा किया जाएगा।

स्वामी में इस न्यायालय द्वारा विकसित सजा सिद्धांत

श्रद्धानंद (2) "9 और श्रीहरण मामले में अनुमोदित"।"

46. चूँकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के लिए इस फैसले का उल्लेख किया गया था, अब हम विचार कर सकते हैं। 93) एस. सी. सी. ऑनलाइन यूएस एस. सी. 10:

122 एल एड 2 डी 203 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन फैसलों और इस मुद्दे पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अन्य फैसलों और क्या "अवशिष्ट संदेह" के सिद्धांत को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में स्वीकृति मिली है।

ए] कैलिफोर्निया बनाम ब्राउन 90 9 0

(क) मुख्य न्यायाधीश रेहंक्विस्ट द्वारा न्यायालय की राय में उल्लिखित प्रासंगिक तथ्य थे:

" प्रतिवादी अल्बर्ट ब्राउन को 15 वर्षीय सुसान जे की मौत में जबरन बलात्कार और प्रथम श्रेणी की हत्या के लिए एक जूरी द्वारा दोषी पाया गया था।

दंड के चरण में, राज्य ने सबूत प्रस्तुत किए कि प्रतिवादी ने सुसान जे. प्रतिवादी पर अपने हमले से कुछ साल पहले एक और युवा लड़की के साथ बलात्कार किया था, कई परिवार के सदस्यों की गवाही प्रस्तुत की, जिन्होंने प्रतिवादी के शांतिपूर्ण स्वभाव का वर्णन किया और अविश्वास व्यक्त किया कि प्रतिवादी इस तरह के क्रूर अपराध में सक्षम था। उत्तरदाता ने एक मनोचिकित्सक की गवाही भी प्रस्तुत की, जिसने कहा कि ब्राउन ने यौन अक्षमता पर अपनी शर्म और डर के कारण अपनी पीड़ित को मार

डाला। ब्राउन ने खुद गवाही देते हुए कहा कि वह अपने पूर्व आपराधिक आचरण पर शर्मिंदा थे और जूरी से दया की मांग कर रहे थे।

जूरी को उकसाने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने और उचित दंड निर्धारित करने में उनका वजन करने का निर्देश देते हुए,

ट्रायल कोर्ट ने जूरी को आगाह किया था

" कि यह "केवल भावना, अनुमान, सहानुभूति, जुनून, पूर्वाग्रह, जनमत या सार्वजनिक भावना से प्रभावित नहीं होना चाहिए"।

इस प्रकार जारी किए गए निर्देश ने कैलिफोर्निया के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आठवें और चौदहवें संशोधन का उल्लंघन किया था।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को इस प्रकार उलट दिया गया था: -

" हमारा मानना है कि इस मामले में चुनौती दिए गए निर्देश आठवें और चौदहवें संशोधन के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

संयुक्त राज्य का संविधान। इसलिए कैलिफोर्निया के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया जाता है, और कारण को आगे की कार्यवाही के लिए रिमांड पर लिया जाता है जो इस राय से असंगत नहीं है।

(ख) न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर ने एक सहमत राय लिखी और कहा:

" क्योंकि उपयुक्तता का व्यक्तिगत मूल्यांकन

मृत्युदंड प्रतिवादी के दोष की एक नैतिक जांच है, न कि कम करने वाले साक्षय के लिए एक भावनात्मक प्रतिक्रिया, शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

मैं अदालत से सहमत हूं कि जूरी को यह सूचित करने वाला एक निर्देश कि उन्हें "केवल भावना, अनुमान, सहानुभूति, जुनून, पूर्वाग्रह, जनमत या सार्वजनिक भावना से प्रभावित नहीं होना चाहिए" अपने आप में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के आठवें और चौदहवें संशोधन का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही, जूरी के निर्देशों-समग्र रूप से लिए गए-को जूरी को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि उन्हें प्रतिवादी की पृष्ठभूमि और चरित्र के बारे में या अपराध की परिस्थितियों के बारे में किसी भी प्रासंगिक शमन साक्षय पर विचार करना है।

(ग) न्यायमूर्ति ब्रेनन (जिनके साथ न्यायमूर्ति मार्शल और न्यायमूर्ति

एन. एस. शामिल हुए) असहमत हुए और कहा:

" इस मामले में अभियोजक ने इस प्रकार सहानुभूति विरोधी निर्देश की व्याख्या करते हुए कहा कि जूरी प्रतिवादी के चरित्र और पालन-पोषण के कम करने वाले कारकों पर उसके साक्षय की अनदेखी करे। इसी तरह का निर्माण कई अन्य में निर्देश पर रखा गया है। मामले "।

(घ) न्यायमूर्ति ब्लैकमन (जिनके साथ न्यायमूर्ति मार्शल शामिल हुए) ने भी कहाः -

" एक के प्रति दया के साथ प्रतिक्रिया करने की प्रेषक की क्षमता

प्रतिवादी ने हमेशा मुझे मृत्युदंड की प्रक्रिया के एक विशेष रूप से मूल्यवान पहलू के रूप में देखा है।

..... मेरे विचार में, हम अपने इस विश्वास का इतनी दृढ़ता से पालन करते हैं कि प्रेषकों को व्यक्ति के प्रति करुणा के कारण एक बड़े प्रतिवादी के जीवन को बचाने का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि यह मानते हुए कि मृत्युदंड का निर्णय "समकालीन मूल्यों" के संदर्भ में किया जाना चाहिए, ग्रेग बनाम। जॉर्जिया, 428 यू. एस., 181,96 एस. सी. टी., 2928 पर (स्टीवर्ट, पॉवेल, और स्टीवंस, जे. जे. की राय), हम प्रेषक की दया की अभिव्यक्ति में एक विशिष्ट अभिव्यक्ति देखते हैं।

हमारे समाज की विशेषता जिसे हम बहुत महत्व देते हैं। ”

इस प्रकार, पूरी चर्चा जूरी को दी गई कार्रवाई की वैधता तक सीमित थी और कभी भी "अवशिष्ट संदेह" का मुद्दा नहीं था।

विचार के लिए।

बी] फ्रैंकलिन बनाम। लिनाघ 9 9

जूरी ने फ्रैंकलिन को राजधानी हत्या का दोषी पाया था। जुर्माने की सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने दो विशेष [2020] 13 एस. सी. आर. प्रस्तुत किए।

जूरी को निर्देश देते हुए कि यदि वे इन प्रश्नों का उत्तर "हाँ" निर्धारित करते हैं, तो फ्रैंकलिन को सजा सुनाई जाएगी।

" क्या आप साक्षय से एक उचित संदेह से परे पाते हैं कि प्रतिवादी, डोनल जीन फ्रैंकलिन का आचरण, जो मैरी मार्गरेट मोरन की मृत्यु का कारण बना, जानबूझकर और इस उचित उम्मीद के साथ किया गया था कि मृत्यु

मृतक या किसी अन्य का परिणाम होगा? क्या आप साक्षय से एक उचित संदेह से परे पाते हैं कि इस बात की संभावना है कि प्रतिवादी, डोनाल्ड जीन फ्रैंकलिन, हिंसा के आपराधिक कृत्यों को अंजाम देगा जो एक

समाज के लिए निरंतर खतरा "।

हालांकि फ्रैंकलिन ने जूरी के निर्देशों के लिए अनुरोध किया:

" आपको निर्देश दिया जाता है कि कोई भी साक्षय जो आपकी राय में, मृत्यु, दंड के अधिरोपण के खिलाफ कम करता है, जिसमें प्रतिवादी के चरित्र या रिकॉर्ड का कोई भी पहलू और अपराध करने की कोई भी परिस्थिति शामिल है। आपको इस बारे में एक उचित संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त हो कि क्या किसी भी विशेष मुद्दे का सही उत्तर "हां" है या नहीं; और यदि इस तरह के साक्षय के कारण आप

इस तरह के एक उचित संदेह, आपको इस मुद्दे का जवाब "नहीं" "देना चाहिए।

फ्रैंकलिन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और जूरी ने दोनों का जवाब दिया।

सकारात्मक मुद्दे जिनके बाद निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई

सीई। फ्रैंकलिन द्वारा दायर संघीय बंदी कार्रवाई में, प्रस्तुतिकरण था

एड:

" याचिकाकर्ता पहले सुझाव देता है कि जूरी अपने दंड में विचार-विमर्श ने उनके मुकदमे के अपराध के चरण में विचार किए गए तीन मुद्दों के बारे में "अवशिष्ट संदेह" को आश्रय दिया है: सबसे पहले, याचिकाकर्ता की पहचान

हत्यारा के रूप में; दूसरा, याचिकाकर्ता के कार्यों (चिकित्सा दुर्व्यवहार के विपरीत) ने वास्तव में किस हद तक पीड़ित की मृत्यु; और तीसरा, याचिकाकर्ता के कार्यों का उद्देश्य किस हद तक पीड़ित की मृत्यु करना था।

क) न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति व्हाइट द्वारा दिया गया था और

प्रश्न निम्नलिखित रूप में तैयार किया गया था:

" इस मामले में, हमें यह निर्धारित करने के लिए कहा जाता है कि क्या आठवें संशोधन में टेक्सास ट्रायल कोर्ट को कुछ जूरी शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम देने की आवश्यकता है।

ए. टी. ई. ओ. महाराष्ट्र [उदय उमेश ललित, जे.]

साक्षय को कम करने के विचार से संबंधित निर्देश, जो याचिकाकर्ता ने अपनी सजा के चरण में अनुरोध किया था

राजधानी मुकदमा "

चुनौती को खारिज करते हुए यह देखा गया:

" शुरुआत में, हम ध्यान देते हैं कि इस अदालत ने कभी यह नहीं माना है कि एक राजधानी प्रतिवादी को एक निर्देश का संवैधानिक अधिकार है जो जूरी को हत्यारे के रूप में उसकी पहचान के सवाल पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है।

हमारा आदेश है कि, एक बड़े मामले में, "प्रहरी। . . शायद नहीं

एक शमन कारक के रूप में, किसी भी पर विचार करने से वंचित किया जाए प्रतिवादी के चरित्र या अभिलेख का कोई भी पहलू

अपराध की परिस्थितियाँ, '"एडिंग्स बनाम। ओकलाहोमा, 455 यू. एस. 104,110,102 एस. 869, 874, 71 L.Ed.2d 1 (1982) (लॉकेट, 438 यू. एस., 604,98 एस. सी. टी., 2964 पर उद्धृत करते हुए), किसी भी तरह से नहीं।

सजा सुनाने में पूंजी निर्णायक मंडल द्वारा पुनर्विचार का आदेश

प्रतिवादी के अपराध पर उनके "अवशिष्ट संदेह" का चरण। इस तरह के संदेह याचिकाकर्ता के किसी भी पहलू पर नहीं हैं।

" चरित्र, "रिकॉर्ड", या "अपराध की परिस्थिति"। इस न्यायालय के पूर्व निर्णय, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, इस तरह के संदेह के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने में विफल रहते हैं।

कम करने वाला कारक "। जस्टिस ओ 'कॉनर (जिनके साथ जस्टिस ब्लैकमन शामिल हुए)

मैं एक सहमत निर्णय और फ्रैंकलिन की प्रस्तुति थी

इसके अंतर्गत:

" याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि सजा देने की प्रक्रिया

उनके मामले में जूरी को विचार करने से रोका गया, में

सजा का शमन, उसके अपराध के बारे में कोई भी "अवशिष्ट संदेह [ओं]" हो सकता है। याचिकाकर्ता उन संदेहों को संदर्भित करने के लिए "अवशिष्ट संदेह" वाक्यांश का उपयोग करता है जो जूरी सदस्यों के मन में रह सकते हैं जो एक उचित संदेह से परे उनके अपराध के बारे में आश्वस्त थे। लेकिन जो अपने अपराध के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। के लिए संक्षिप्त

याचिकाकर्ता 14. बहुलता और असहमति याचिकाकर्ता को अस्वीकार करते हैं " अवशिष्ट संदेह "दावा करते हैं क्योंकि वे निष्कर्ष निकालते हैं कि विशेष निर्णय के प्रश्न जूरी को याचिकाकर्ता के अपराध के बारे में अपने" अवशिष्ट संदेह "को कम करने से नहीं रोकते हैं। 2328 पर पूर्वकाल देखें। पोस्ट, 2335 पर। यह निष्कर्ष सवाल के लिए खुला है, [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालांकि। हालाँकि जूरी को सबूत पर विचार करने की अनुमति दी गई थी

उत्तर देने के क्रम में अपराध के चरण में प्रस्तुत किया गया विशेष निर्णय प्रश्न, जूरी को विशेष रूप से निर्देश दिया गया था

यह तय करने के लिए कि क्या साक्षय सकारात्मक उत्तरों का समर्थन करते हैं

विशेष प्रश्नों के लिए "एक उचित संदेह से परे। ” ऐप.

15 (जोर दिया गया)। इस निर्देश के कारण, जूरी हो सकता है

यह नहीं सोचा है कि, याचिकाकर्ता को सजा सुनाने में, यह स्वतंत्र था

सभी संदेह से परे अपने अपराध के प्रमाण की मांग करना। ”

न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर ने प्रस्तुतिकरण को खारिज कर दिया और कहा: -

" मेरे विचार में, याचिकाकर्ता का "अवशिष्ट संदेह" दावा विफल हो जाता है, नहीं

क्योंकि टेक्सास योजना ने विचार करने की अनुमति दी

" अवशिष्ट संदेह "सजा देने वाले निकाय द्वारा, बल्कि इसलिए कि

आठवें संशोधन में इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे मामले नहीं

इस प्रस्ताव का समर्थन करें कि एक प्रतिवादी जिसे पाया गया है

एक उचित संदेह से परे एक राजधानी अपराध का दोषी होने के लिए है

उसके अपराध के बारे में लंबे समय से संदेह। हम मान गए हैं कि कुछ राज्यों ने मृत्युदंड की प्रक्रिया को अपनाया है जो

कुछ मामलों में प्रतिवादियों को संदेह का लाभ उठाने की अनुमति दें।

जो मुकदमे के अपराध के चरण से चलता है, लॉकहार्ट बनाम देखें।

मैकक्री, 476 यू. एस. 162,181,106 एस. सी. टी. 1758, 1769, 90 L.Ed.2d

137 (1986) , लेकिन हमने कभी संकेत नहीं दिया है कि आठवां

संशोधन में राज्यों को ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता होती है। के लिए

इसके विपरीत, जैसा कि बहुलता बताती है, हमने पूंजी को मंजूरी दे दी है

सजा देने की प्रक्रियाएँ जो द्वारा विचार को रोकती हैं

अपराध के बारे में "अवशिष्ट संदेह" का सजा देने वाला निकाय। पहले देखें, पर

2327 , एन. 69 5.

" एक अपराध पर भरोसा करने का संवैधानिक अधिकार खोजना-निर्दोषता के बारे में जूरी के "अवशिष्ट संदेह" जब बचाव पक्ष दंड के चरण में अपने कम करने वाले मामले को प्रस्तुत करता है, तो दंड की अनुमति देने की सामान्य प्रथा के साथ यकीनन असंगत है-केवल उन मामलों के रिमांड पर परीक्षण जहां मौत की सजा-लेकिन अंतर्निहित दोषसिद्धि नहीं-अपील पर रद्द कर दी जाती है। देखें, उदाहरण के लिए स्कॉट बनाम। राज्य, 310 मो. 277 , 301 , 529 ए. 2 डी 340,352 (1987); स्ट्रिंगर वी. राज्य, 492 ए. 2 डी 928,946 (सुश्री. 1986); व्हालेन बनाम। राज्य, 492 ए. 2 डी 552,569 (डेल। 1985)। सी. एफ. लॉकहार्ट बनाम। मैकक्री, 476 यू. एस., 205,106 एस. सी. टी., 1781 में (मार्शल, जे.

असहमति)। वास्तव में, इस न्यायालय ने, पिछले कई अवसरों पर, रिमांड पर कार्यवाही की ऐसी विधि का सुझाव दिया है, उदाहरण के लिए, हिचकॉक बनाम। डगर, 481 यू. एस. 393,399,107 एस. सी. टी. 1821, 1824, 95 L.Ed.2d 347 (1987)। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने स्वयं, इस मामले में उचित राहत का सुझाव देते हुए, केवल यह कहा कि उन्हें "एक कार्यवाही में नाराज किया जाए कि शत्रुघ्न बाबन मेशराम बनाम।

ए. टी. ई. ओ. महाराष्ट्र [उदय उमेश ललित, जे.]

हमारे निर्णय जूरी को कम करने पर विचार करने के लिए अनिवार्य करते हैं

परिस्थितियाँ याचिकाकर्ता के दावे के लिए कोई समर्थन प्रदान नहीं करती हैं क्योंकि

" अपराधबोध के बारे में अवशिष्ट संदेह एक शमनकारी परिस्थिति नहीं है।

हमने परिस्थितियों को कम करने के बारे में तथ्यों के रूप में परिभाषित किया है

विशेष अपराध, जिसके लिए कम से कम दंड की आवश्यकता हो सकती है मृत्यु। कैलिफोर्निया वी. देखें। ब्राउन, 479 यू. एस., 541,107 एस. सी. टी.,

839 पर; आईडी। , 544,107 एस. सी. टी., 840 पर (ओ 'कॉनोर, जे.,

सहमत); एडिंग्स, 455 यू. एस., 110,112,102 एस. सी. टी., 874 पर,

875 ; आईडी. , 117,102 एस. सी. टी., 878 पर (ओ 'कॉनर, जे., सहमत);

लॉकेट, 438 यू. एस., 605,98 एस. सी. टी., 2965 पर। अवशिष्ट संदेह " प्रतिवादी या परिस्थितियों के बारे में तथ्य नहीं है

अपराध। इसके बजाय यह तथ्यों के बारे में एक अनिश्चित अनिश्चितता है, एक राज्य

दावा यह है कि राज्यों को मृत्युदंड देने वाले निकायों को अनुमति देनी चाहिए इससे पहले "पूर्ण निश्चितता" के लिए अपराध के प्रमाण की मांग करना।

मृत्युदंड का प्रावधान। हमारे मामलों में कुछ भी अनिवार्य नहीं है

राजधानी में सबूत के इस बढ़े हुए बोझ को लागू करना सजा सुनायो।

(जोर दिया गया)

अपने फैसले के दौरान, न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर ने भी

जी अवलोकन: -

" मेरे विचार में, लॉकेट ", एडिंग्स" में अंतर्निहित सिद्धांत,

और हिचकॉक 9 9 यह है कि सजा सीधे संबंधित होनी चाहिए।

आपराधिक प्रतिवादी की व्यक्तिगत दोषसिद्धि के लिए।

" प्रतिवादी की पृष्ठभूमि और चरित्र के बारे में साक्षय है

इस समाज द्वारा लंबे समय से रखे गए विश्वास के कारण प्रासंगिक है कि

प्रतिवादी जो आपराधिक कार्य करते हैं जो एक के लिए जिम्मेदार हैं वंचित पृष्ठभूमि, या भावनात्मक और मानसिक

समस्याएं, उन प्रतिवादियों की तुलना में कम दोषी हो सकती हैं जिनके पास नहीं है

लॉकेट की आवश्यकताओं के साथ "-ऐसा नहीं है कि उसे पूरी तरह से फिर से परीक्षण किया जाए ताकि कोई संभावित अपराध हो-चरण" अवशिष्ट संदेह "। याचिकाकर्ता 21 के लिए संक्षिप्त विवरण देखें।

इस बात पर काफी संदेह है कि इस तरह के "केवल दंड" वाले मुकदमे प्रतिवादी का उल्लंघन करते हैं। समाप्ति अधिकार। फिर भी ऐसा याचिकाकर्ता के दावे का तार्किक निष्कर्ष है

मृत्युदंड देने वाली जूरी के समक्ष "अवशिष्ट संदेह" पर बहस करने का शून्य अधिकार।

. 586 , 98 एस. सी. 2954, 57 L.Ed.2d 973 (1978) . 104 , 102 एस. सी. 869. 71 L.Ed.2d 1 (1982)

. 393 , 107 एस. सी. 1821, 95 L.Ed.2d 347 (1987)

ऐसा बहाना। इस प्रकार, दंड के स्तर पर दी गई सजा प्रतिवादी के लिए एक तर्कपूर्ण नैतिक प्रतिक्रिया को दर्शाती है।

पृष्ठभूमि, चरित्र और अपराध "। कैलिफोर्निया बनाम। ब्राउन, 479 यू. एस. 538,545,107 एस. 837, 841, 93 L.Ed.2d 934 (1987)

(ओ 'कॉनर, जे., सहमत) (मूल में जोर)

इस सिद्धांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता है संवैधानिक रूप से सजा सुनाने वाले निकाय को प्रतिवादी की पृष्ठभूमि या चरित्र या अपराध की परिस्थितियों से संबंधित साक्ष्य को प्रभावी बनाने से रोकता है जो मृत्युदंड के खिलाफ कम करता है। वास्तव में, प्रेषक को प्रासंगिक शमन साक्ष्य पर विचार करने और तौलने का अधिकार तब तक अर्थहीन होगा जब तक कि प्रेषक को भी इसके प्रभाव को लागू करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

इस मामले में अपनाई गई सजा प्रक्रिया के तहत जूरी केवल उचित सजा के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। विशेष निर्णय के बारे में प्रश्नों का उत्तर देते हुए

हत्या और प्रतिवादी के भविष्य पर विचार-विमर्श खतरनाक। इस हद तक कि कम करने वाले साक्ष्य

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया विशेष निर्णय प्रश्नों में से एक के लिए प्रासंगिक था, जूरी उस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देकर उस साक्ष्य को प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र थी। हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता ने अपनी पृष्ठभूमि या चरित्र या अपराध की परिस्थितियों के बारे में कम करने वाले साक्ष्य पेश किए थे

जो विशेष निर्णय प्रश्नों के लिए प्रासंगिक नहीं था, या जो विशेष निर्णय प्रश्नों के दायरे से परे प्रतिवादी की नैतिक दोषपूर्णता के लिए प्रासंगिक था, जूरी के निर्देशों ने जूरी को अपनी बात व्यक्त करने के लिए कोई वाहन प्रदान नहीं किया होगा। " तर्कपूर्ण नैतिक प्रतिक्रिया "उस साक्ष्य के लिए"।

.....

लॉकेट या एडिंग्स में उल्लेख करने के लिए आवश्यक है कि सजा देने वाले प्राधिकारी को उस सीमा से परे साक्षय को प्रभावी बनाने की अनुमति दी जाए जो प्रतिवादी के चरित्र या चरित्र के लिए प्रासंगिक है।

अपराध की पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ।

) न्यायमूर्ति स्टीवंस (ब्रेनन और न्यायमूर्ति मार्शल के साथ) द्वारा लिखित असहमत राय में कहा गया है: -

" मृत्युदंड में प्रेषक के विवेकाधिकार को निर्देशित करने की आवश्यकता में, हमने कभी भी यह सुझाव नहीं दिया है कि शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

प्रेषक के विवेक को प्रासंगिक साक्षय के लिए अंधा करके निर्देशित किया जा सकता है। सजा सुनाने की योजना की पहचान जो प्रेषक को पर्याप्त रूप से मार्गदर्शन और निर्देश देती है, वह ऐसी प्रक्रियाओं की उपस्थिति है जिसमें "जूरी को सजा की सिफारिश करने से पहले अपराध और अपराधी की परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।" आईडी. , 197, 96 एस. सी. टी., 2936 पर। यह आवश्यकता कि राज्य प्रेषक को अपराध या अपराधी के किसी भी शमनकारी पहलू पर विचार करने से नहीं रोकता है, केवल प्रतिवादी और अपराध की विशेष परिस्थितियों पर प्रेषक का ध्यान केंद्रित करने के लक्षय को आगे बढ़ाता है।

सी] हेरेरा बनाम कॉलिन्स 94

निर्णयों के रिपोर्टर द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम संक्षेप में निम्नानुसार कार्य करता है:

" सबूत के आधार पर जिसमें दो चश्मदीद गवाह शामिल थे

पहचान, परिस्थितिजन्य साक्षय के कई टुकड़े, और याचिकाकर्ता हेरेरा का हस्तलिखित पत्र निहित रूप से अपने अपराध को स्वीकार करता है,

कैरिसालेज़ को जनवरी 1982 में मौत की सजा सुनाई गई। गुहार लगाने के बाद जुलाई 1982 में अधिकारी रकर की संबंधित राजधानी हत्या के लिए दोषी,

हेरेरा ने कैरिसालेज़ की सजा को असफल रूप से चुनौती दी

टेक्सास राज्य में प्रत्यक्ष अपील और दो संपार्श्विक कार्यवाही में

अदालतों में, और एक संघीय बंदी याचिका में। उसके दस साल बाद

दोषसिद्धि, उन्होंने दूसरी संघीय बंदी कार्यवाही में आग्रह किया कि नए खोजे गए सबूतों से पता चलता है कि वह कैरिसालेज़ और रकर की हत्याओं में "वास्तव में निर्दोष" थे, और यह कि

क्रूर और असामान्य के खिलाफ आठवें संशोधन का निषेध

सजा और चौदहवें संशोधन की उचित प्रक्रिया

इसलिए गारंटी उसके निष्पादन को मना करती है। उन्होंने इस दावे का समर्थन हलफनामे के साथ किया जो यह दर्शाता है कि उनके अब-मृत भाई ने हत्याएं की थीं। जिला न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ फांसी पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया ताकि वह अपना पक्ष रख सकें। वास्तविक निर्दोषता का दावा और राज्य न्यायालय में समर्थन करने वाले शपथ पत्र। रोक को खाली करते हुए, अपील न्यायालय ने माना कि दावा संघीय बंदी की अनुपस्थिति पर संज्ञेय नहीं था, जो एक संघीय संवैधानिक उल्लंघन था। "[2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

... . पूँजीगत मामलों में, हमें दांव पर लगे दंड की प्रकृति के कारण अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है। देखें, उदाहरण के लिए, बेक बनाम। अलबामा, 447 यू. एस. 625,100 एस. 2382, 65 L.Ed.2d 392 (1980) (जूरी को कम उम्र के प्रतिवादी को दोषी ठहराने का विकल्प दिया जाना चाहिए। अपराध)। ये सभी संवैधानिक सुरक्षा उपाय, निश्चित रूप से, राज्य के लिए प्रत्येक आपराधिक प्रतिवादी से जुड़ी निर्दोषता की धारणा का खंडन करना और अंत में उसे उलटना अधिक कठिन बना देते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि "उचित प्रक्रिया होती है।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने की संभावना को समाप्त करने के लिए, किसी भी कीमत पर, हर संभावित कदम उठाया जाए।

पैटरसन बनाम। न्यूयॉर्क, 432 यू. एस. 197,208,97 एस. 2319, 2326, 53 L.Ed.2d 281 (1977)। अन्यथा निष्कर्ष निकालना सब कुछ होगा लेकिन आपराधिक कानून के प्रवर्तन के लिए हमारी प्रणाली को पंगु बना दें।

.....

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला अलग है क्योंकि उसे मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन हमने "यह मानने से इनकार कर दिया है कि इस तथ्य के लिए कि मौत की सजा दी गई है, संघीय बंदी प्रत्यक्षीकरण पर समीक्षा के एक अलग मानक की आवश्यकता है।" मेरे वी।

गियारातानो, 492 यू. एस. 1,9,109 एस. सी. टी. 2765, 2770, 106 L.Ed.2d 1 91989) (बहुलता राय)। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि आठवें संशोधन के लिए उस प्रक्रिया की विश्वसनीयता में वृद्धि की आवश्यकता है जिसके द्वारा

मृत्युदंड दिया जा सकता है। देखें, उदाहरण के लिए, मैककॉय बनाम। उत्तरी कैरोलिना, 494 U.S.433,110 एस. सी. टी. 1227, 108 L.Ed.2d 369 (1990) (सर्वसम्मति की आवश्यकता साक्षय को कम करने के लिए जूरी सदस्यों के विचार को अनिवार्य रूप से सीमित करती है); एडिंग्स बनाम। ओक्लाहोमा, 455 यू. एस. 104,102 एस. सी. टी 869, 71 L.Ed.2d 1 (1982) (जूरी को एक बड़े प्रतिवादी के सभी शमनकारी चरित्र साक्षय पर विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए); लॉकेट बनाम। ओहायो, 438 यू. एस. 586,604,98 एस. 2954, 2964, 57 L.Ed.2d 973 (1978) (बहुलता राय) (समान)। लेकिन याचिकाकर्ता का दावा इन मामलों के सिद्धांत में अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि, जैसा कि हमने बताया है, यह स्पष्ट नहीं है कि पहले मुकदमे के 10 साल बाद दूसरा मुकदमा अधिक विश्वसनीय परिणाम देगा। शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता यह आग्रह नहीं करता है कि उसे आवश्यक रूप से एक नया मुकदमा मिले, बल्कि यह आग्रह करता है कि उसकी मौत की सजा को खाली कर दिया जाए शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

" वास्तविक निर्दोषता "बनाई गई है। त्र. ओरल आर्ग से। 19-20 . लेकिन ऐसा परिणाम शायद ही तर्कसंगत है; याचिकाकर्ता का दावा यह नहीं है कि उस पर मृत्युदंड लगाने में कुछ त्रुटि की गई थी, बल्कि यह है कि उसे अंतर्निहित हत्या का दोषी ठहराने में एक मौलिक त्रुटि की गई थी। यह एक अजीब न्यायशास्त्र होगा, इन परिस्थितियों में, जिसमें कहा गया था कि हमारे संविधान के तहत उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वह अपना शेष जीवन जेल में बिता सकते थे।

.....

कार्यकारी क्षमादान ने हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में "विफल सुरक्षित" प्रदान किया है। के. मूर, क्षमा करें। न्याय, दया और जनहित

131 (1989) . यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है कि हमारी न्यायिक प्रणाली, इसे प्रशासित करने वाले मनुष्यों की तरह, त्रुटिपूर्ण है। लेकिन इतिहास गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा हुआ है

बाद में पाया गया सबूत स्थापित करने के बाद क्षमा कर दी गई

उनकी मासूमियत "।

न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर (न्यायमूर्ति कैनेडी द्वारा शामिल) ने एक

यूरिंग राय। न्यायमूर्ति स्कैलिया (न्यायमूर्ति थॉमस के साथ) ने भी सहमति व्यक्त की। एक अन्य सहमत राय को स्टाइस व्हाइट के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि न्यायमूर्ति ब्लैकमन (न्यायमूर्ति स्टीवंस और उनके साथ शामिल हुए)

सीई सॉटर) ने असहमति जताई।

डी] ओरेगन बनाम गुज़ेक 9 9 निर्णयों के रिपोर्टर द्वारा तैयार पाठ्यक्रम में कहा गया है कि

निम्नानुसार:

आठवाँ और चौदहवाँ संशोधन गुज़ेक को एक संघीय अधिकार प्रदान करता है। आगामी पुनरीक्षण कार्यवाही में अपनी माँ से लाइव अल्बी गवाही पेश करने का संवैधानिक अधिकार। इसके बाद अदालत ने मंजूरी दे दी

यूएस 517 (2006)

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निश्चित रूप से, गुज़ेक ने रिट को आकस्मिक रूप से खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया

दिया गया "।

ओरेगन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूएस ई. एम. ई. कोर्ट ने उलट दिया था। न्यायालय की राय न्यायमूर्ति ब्रेयर द्वारा दी गई थी

निम्नलिखित टिप्पणियाँ:

" 4. जैसा कि भाग II में हमारी चर्चा, ऊपर, स्पष्ट करती है, हमारे सामने संघीय प्रश्न एक संकीर्ण प्रश्न है। क्या आठवाँ और चौदहवाँ संशोधन गुज़ेक को उस तरह का साक्षय प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, अर्थात्, नए साक्षय जो दर्शाते हैं कि वह अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था। इसका प्रमाण यह है कि गुज़ेक के पूर्व दोषसिद्धि के साथ असंगत। यह उस अपराध को करने के तरीके पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। न ही यह सबूत है कि गुज़ेक का तर्क था

मूल मुकदमे के समय उसके लिए अनुपलब्ध। और, जिस हद तक यह सबूत है जिसे उन्होंने उस समय पेश किया था, वह अब इसे प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं, हालांकि प्रतिलेख के रूप में। Ore.Rev.Stat। §

138.012 (2) (ख) (2003)। हम आठवें या चौदहवें संशोधनों में ऐसा कुछ भी नहीं पा सकते हैं जो एक राजधानी प्रतिवादी को अधिकार प्रदान करता हो।

सजा सुनाने के समय इस तरह के नए साक्षय पेश करना। हम ओरेगन सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं हो सकते हैं कि हमारे पिछले मामलों ने आठवें संशोधन में एक संवैधानिक अधिकार पाया है जो यहां मुद्दे पर साक्षय को शामिल करने के लिए पर्याप्त है। लॉकिट बनाम। ओहायो, ऊपर, इस न्यायालय की बहुलता ने फैसला किया कि एक प्रतिवादी

लूटने और मारने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने का दोषी ठहराए जाने पर सजा के चरण में सबूत पेश किया जा सकता है कि उसने अपराध में एक छोटी भूमिका निभाई थी, वास्तव में, कि वह अपराध के समय दुकान (जहां हत्या हुई थी) के बाहर रही थी। ए.

न्यायालय की बहुलता ने लिखा है कि,

" आठवें और चौदहवें संशोधनों में यह अपेक्षा की गई है कि प्रेषक को प्रतिवादी के चरित्र या अभिलेख के किसी भी पहलू और अपराध की किसी भी परिस्थिति पर, जिसे प्रतिवादी मृत्यु से कम सजा के आधार के रूप में प्रस्तुत करता है, कम करने वाले कारक के रूप में विचार करने से नहीं रोका जाए। आईडी. , में

604 , 98 एस. सी. 2954 (जोर जोड़ा और हटा दिया गया)।

और एडिंग्स वी में। ओक्लाहोमा, 455 यू. एस. 104,102 एस. सी. टी 869, 71 L.Ed.2d 1, न्यायालय के बहुमत ने इस कथन को अपनाया। मैकक्लेस्की वी. भी देखें। केम्प, 481 यू. एस. 279,306,107 एस. 1756, शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

95 L.Ed.2d 262 (1987); बेल बनाम। ओहायो, 438 यू. एस. 637,642,98 एस. 2977, 57 L.Ed.2d 1010 (1978) (बहुलता राय)।

लेकिन इन मामलों में जारी साक्षय पारंपरिक थे। सजा-संबंधी साक्षय, ऐसे साक्षय जो यह दिखाने की प्रवृत्ति रखते हैं कि प्रतिवादी ने अपराध कैसे किया, न कि क्या। न ही सबूत जूरी के अपराध के निष्कर्ष के साथ सीधे असंगत थे।

न्यायमूर्ति स्कैलिया (न्यायमूर्ति थॉमस के साथ) ने एक सहमति व्यक्त की

एन

ई] अब्दुल कबीर बनाम क्वार्टरमैन "100

इस मामले में, "अवशिष्ट संदेह" का सिद्धांत उपहास के लिए सामने नहीं आया। तथापि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय मेंसी. ई. स्टीवंस, फ्रैंकलिन बनाम में न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर की राय।

यू. जी. एच. 89 को निम्नानुसार संदर्भित किया गया था:

" जो बात फ्रैंकलिन को महत्वपूर्ण बनाती है, वह है अलग न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर की राय, और विशेष रूप से उन हिस्सों के

पाँच न्यायाधीशों के विचारों को व्यक्त करने वाली उनकी राय, इंफ्रा, 1668-1669 और एन देखें। 15. उन मामलों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद जो स्पष्ट किए गए

जुरेक ने उसे पकड़ कर कहा:

" मेरे विचार में, लॉकेट, एडिंग्स और हिचकॉक का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि सजा का सीधा संबंध दंड से होना चाहिए।

आपराधिक प्रतिवादी की व्यक्तिगत दोषसिद्धि।

" प्रतिवादी की पृष्ठभूमि और चरित्र के बारे में साक्षय है

" इस सिद्धांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता है संवैधानिक रूप से सजा सुनाने वाले निकाय को प्रतिवादी की पृष्ठभूमि या चरित्र से संबंधित साक्षय को प्रभावी बनाने से रोकता है।

यूएस 233 (2007)

[2020] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या अपराध की परिस्थितियाँ जो मृत्युदंड के विरुद्ध कम करती हैं। वास्तव में, प्रेषक को प्रासंगिक शमनकारी साक्षय पर विचार करने और तौलना का अधिकार अर्थहीन होगा।

जब तक कि प्रेषक को भी प्रभाव देने की अनुमति नहीं दी गई थी

विचार करें।

“ इस मामले में अपनाई गई सजा देने की प्रक्रिया के तहत जूरी हत्या की जानबूझकर और प्रतिवादी के भविष्य के खतरे के बारे में विशेष फैसले के सवालों के जवाब देकर ही उचित सजा के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। इस हद तक कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया शमनकारी साक्षय विशेष निर्णय

प्रश्नों में से एक के लिए प्रासंगिक था, जूरी नकारात्मक उत्तर देकर उस साक्षय को प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र थी।

वह सवाल। हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता ने अपनी पृष्ठभूमि या चरित्र या अपराध की परिस्थितियों के बारे में कम करने वाले साक्षय पेश किए थे जो विशेष फैसले के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक नहीं थे, या जो प्रतिवादी की नैतिक दोषसिद्धि के लिए प्रासंगिक थे।

विशेष निर्णय प्रश्नों के दायरे में, जूरी के निर्देशों ने जूरी को उस साक्षय पर अपनी 'तर्कपूर्ण नैतिक प्रतिक्रिया' व्यक्त करने के लिए कोई वाहन प्रदान नहीं किया होगा। 487 यू. एस. 184,185,108 एस. सी. टी. 2320 (निर्णय में सहमत राय) (जोर)

जोड़ा गया) "। 47. हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी ध्यान दे सकते हैं

राज्य बनाम मैकिन्नी में, जैसा कि निर्णय में संदर्भित किया गया था, रविशंकर उर्फ बाबा विश्वकर्मा बनाम राज्य के मामले में न्यायालय है।

हाय प्रदेश 20.

उस मामले में, बचाव पक्ष के वकील ने अपने समापन तर्क के दौरान मुकदमे के "अपराध चरण" के साक्षय का उल्लेख करने की मांग की।

परीक्षण का अंतिम चरण। क्या उसे अनुमति न देने का निर्णय

तो सही था, मुद्दा था।

न्यायालय की राय में कहा गया है: -

" अवशिष्ट संदेह साक्षय, "सामान्य रूप से, प्रमाण हो सकते हैं।

सजा के चरण के दौरान स्वीकार किया गया जो इंगित करता है कि प्रतिवादी ने अपराध नहीं किया, अपराध के चरण शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम के बाद जूरी के फैसले के बावजूद।

" इसके विपरीत, वर्तमान मामले में पुनरीक्षण प्रक्रिया शामिल नहीं है, और न ही इसमें अवशिष्ट संदेह के साक्षय को पेश करने के लिए प्रतिवादी का प्रयास शामिल है। इसके बजाय, प्रतिवादी ने केवल उन सबूतों पर बहस करने की मांग की जिन्हें मुकदमे द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया था

अदालत और मुकदमे के अपराध के चरण में एक ही जूरी द्वारा सुना गया।

66 ..... इसके अलावा, यह देखते हुए कि यह एक पुनरावेदन सुनवाई नहीं थी, वास्तविकता यह है कि सजा सुनाने वाली जूरी पहले ही सुन चुकी थी

बचाव पक्ष के वकील के प्रस्तावित तर्क में अंतर्निहित गवाही और राज्य के अपराध के सिद्धांत के पक्ष में और प्रतिवादी के निर्दोषता के सिद्धांत के खिलाफ इसका मिलान किया था।

यह निष्कर्ष निकाला गया: -

" ..... (4) ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील को मुकदमे के सजा के चरण में अपने अंतिम तर्क के दौरान मुकदमे के अपराध के चरण से साक्षय का उल्लेख करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया

प्रतिवादी के पूर्वाग्रह के प्रति जूरी के दृढ़ संकल्प को प्रभावित करता है

और यह हानिरहित त्रुटि थी।

48. यू. एस. सुप्रीम के निर्णयों से उभरने वाले सिद्धांत

मैं हूँ: -

(i) ". इस न्यायालय ने कभी यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि एक राजधानी प्रतिवादी को एक निर्देश का संवैधानिक अधिकार है जो जूरी को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है।

शमन के लिए एक आधार के रूप में हत्यारे के रूप में उसकी पहचान पर सवाल।

न्यायमूर्ति व्हाइट फ्रैंकलिन बनाम लिनाघ में न्यायालय के लिए बोल रहे हैं।

((ii) ". हमारा आदेश है कि, एक बड़े मामले में", प्रहरी। . . [हो सकता है] एक शमन कारक के रूप में, किसी भी पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता है

प्रतिवादी के चरित्र या अभिलेख का कोई भी पहलू

अपराध की परिस्थितियाँ, '. किसी भी तरह से आदेश नहीं सजा सुनाने के चरण में पूंजी निर्णायक मंडल द्वारा उनके निर्णय पर पुनर्विचार

" प्रतिवादी के अपराध पर अवशिष्ट संदेह

न्यायमूर्ति व्हाइट फ्रैंकलिन बनाम लिनाघ में न्यायालय के लिए बोल रहे हैं।

(iii) "... हमारे मामले इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं कि एक प्रतिवादी

जो एक से परे एक राजधानी अपराध का दोषी पाया गया है

उचित संदेह पर पुनर्विचार करने का संवैधानिक अधिकार है उसके अपराध के बारे में लंबे समय से संदेह का सजा देने वाला निकाय। '[2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर ने फ्रैंकलिन बनाम फ्रैंकलिन में सहमति व्यक्त की।

लिनॉघ 89

((iv) ". हमने मृत्युदंड देने की प्रक्रियाओं को मंजूरी दे दी है जो अपराध के बारे में" अवशिष्ट संदेह "के सजा देने वाले निकाय द्वारा विचार को रोकती हैं। न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर ने फ्रैंकलिन बनाम फ्रैंकलिन में सहमति व्यक्त की।

(v) ". परिस्थितियों को कम करने के लिए जूरी के विचार को अनिवार्य करने वाले हमारे निर्णय याचिकाकर्ता के दावे के लिए कोई समर्थन प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि अपराध के बारे में" अवशिष्ट संदेह "एक शमनकारी परिस्थिति नहीं है" न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर ने फ्रैंकलिन बनाम लिनाघ 3 9 में सहमति व्यक्त की।

(vi) "अवशिष्ट संदेह" प्रतिवादी या अपराध की परिस्थितियों के बारे में तथ्य नहीं है। इसके बजाय यह एक अनिश्चित अनिश्चितता है

तथ्यों के बारे में, मन की एक स्थिति जो "एक उचित संदेह से परे" और "पूर्ण निश्चितता" के बीच कहीं मौजूद है। याचिकाकर्ता का "अवशिष्ट संदेह" दावा यह है कि राज्यों को मृत्युदंड देने वाले निकायों को अनुमति देनी चाहिए

मृत्युदंड देने से पहले "पूर्ण निश्चितता" के लिए अपराध के प्रमाण की मांग करना। हमारे मामलों में कुछ भी मृत्युदंड की सजा पर सबूत के इस बढ़े हुए बोझ को लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं है। (जोर दिया गया) "

न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर ने फ्रैंकलिन बनाम फ्रैंकलिन में सहमति व्यक्त की। लिनाघ 8 9.

(vii) "। गंभीर मामलों में, हमें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि जुर्माने की प्रकृति दांव पर है। (जूरी को प्रतिवादी को कम अपराध के लिए दोषी ठहराने का विकल्प दिया जाना चाहिए)। ये सभी संवैधानिक सुरक्षा उपाय, निश्चित रूप से, राज्य के लिए इस धारणा का खंडन करना और अंत में इसे उलटना अधिक कठिन बना देते हैं -

निर्दोषता जो प्रत्येक आपराधिक प्रतिवादी से जुड़ी होती है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि "उचित प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक

एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने की संभावना को समाप्त करने के लिए, किसी भी कीमत पर, संभावित कदम उठाया जाए। ..... अन्यथा निष्कर्ष निकालना आपराधिक कानून के प्रवर्तन के लिए हमारी प्रणाली को पंगु बना देगा। शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

मुख्य न्यायाधीश रेहंक्विस्ट हेरेरा बनाम में न्यायालय की ओर से बोल रहे हैं।

कोलिन्स 9 4.

(viii) "। इन परिस्थितियों में यह एक अजीब न्यायशास्त्र होगा, जिसमें कहा गया था कि हमारे संविधान के तहत उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वह अपना शेष जीवन इसमें बिता सकते थे।

जेल।

99

मुख्य न्यायाधीश रेहंक्विस्ट हेरेरा बनाम में न्यायालय की ओर से बोल रहे हैं।

कोलिन्स 94।

(ix) "क्या आठवाँ और चौदहवाँ संशोधन गुज़ेक को उस प्रकार का साक्षय प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, अर्थात्, नए साक्षय जो दर्शाते हैं कि वह अपराध स्थल पर मौजूद नहीं था। यह सबूत गुज़ेक की पूर्व दोषसिद्धि के साथ असंगत है। यह उस अपराध को करने के तरीके पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया है। न्यायमूर्ति ब्रेयर ओरेगन बनाम गुज़ेक में न्यायालय की ओर से बोल रहे हैं।

(x)। लेकिन इन मामलों में जारी साक्षय पारंपरिक सजा-संबंधी साक्षय थे, ऐसे साक्षय जो यह दिखाने की प्रवृत्ति रखते थे कि प्रतिवादी ने अपराध कैसे किया, न कि क्या। न ही सबूत जूरी के अपराध के निष्कर्ष के साथ सीधे असंगत थे।

न्यायमूर्ति ब्रेयर ओरेगन बनाम गुज़ेक में न्यायालय की ओर से बोल रहे हैं।

(xi) "एक प्रतिवादी के प्रति दया के साथ प्रतिक्रिया करने की प्रहरी की क्षमता ने मुझे हमेशा एक विशेष रूप से मूल्यवान पहलू के रूप में देखा है।

मृत्युदंड प्रक्रिया '।

न्यायमूर्ति ब्लैकमन की असहमत राय में टिप्पणियाँ

कैलिफोर्निया बनाम ब्राउन "।

49. यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं:

(ए) जैसा कि कैलिफोर्निया बनाम ब्राउन में निर्णय से पता चलता है, जूरी में दो चरण होते हैं। पहले चरण को "अपराध चरण" कहा जाता है जहाँ

निर्धारण के लिए प्रश्न यह है कि क्या आरोप के अनुसार अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है जो मूत्रशोधन में "दोषसिद्धि चरण" के समान है; जबकि दूसरे चरण को "दंड चरण" कहा जाता है, विचार के लिए प्रश्न उचित दंड [2020] 13 एस. सी. आर. के बारे में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब अपराध स्थापित हो जाए जो हमारे न्यायशास्त्र में "सजा के चरण" के समान हो, तो उसे सम्मानित किया जाना चाहिए।

दोनों चरणों में, बुनियादी मुद्दों को जूरी सदस्यों द्वारा निपटाया जाना है जो समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं, जबकि

हमारे न्यायशास्त्र में इस तरह का निर्धारण और विचार पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और उचित रूप से व्यावहारिक अनुभव से लैस न्यायिक अधिकारियों को सौंपा गया है। एक जूरी के भावनाओं या भावनाओं से प्रभावित होने की संभावना है, यही कारण है कि कैलिफोर्निया बनाम ब्राउन में ट्रायल कोर्ट द्वारा जूरी को चेतावनी दी गई थी। लेकिन उस तत्व या संभावना को खारिज कर दिया जाता है जब एक अनुभवी न्यायिक अधिकारी को सौंपा जाता है

आवश्यक कार्य।

(बी) दूसरा, ओरेगन बनाम गुजेक में निर्णय के रूप में चार अवसरों पर नई सजा देने की प्रक्रिया हो सकती है।

चुनौती की प्रक्रिया में निर्णय लेने में काफी समय लग सकता है।

हेरेरा बनाम कॉलिन्स ने खुलासा किया। स्वाभाविक रूप से, दो चरणों के बीच कुछ समय का अंतराल होगा, जो संभवतः ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा जहां "दंड चरण" में जूरी की संरचना "अपराध चरण" के समान नहीं हो सकती है। नतीजतन, बचाव पक्ष की ओर से साक्षय में किसी भी क्षेत्र या पहलू को उजागर करने का प्रयास जो हो सकता है

कहा जाता है कि इस उम्मीद में संदेह है कि धारणा में बदलाव हो सकता है। यह संभावना हमारे न्यायशास्त्र में फिर से उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वही न्यायिक अधिकारी जिसने दोषसिद्धि के स्तर पर

मामले की सुनवाई की और निर्णय लिया, वह सजा के स्तर पर और बिना किसी अनुचित समय के मामले का फैसला करना है।

(ग) "दंड के चरण" में, अभियोजक और बचाव पक्ष को साक्षय देने की अनुमति है। क्या साक्षय का ऐसा नेतृत्व भी हो सकता है

अभियुक्त की पहचान या लेन-देन में उसकी भूमिका को छूते हुए साक्षय या उसके अपराध के निर्धारण के लिए साक्षय से संबंधित कोई भी मामला ओरेगन बनाम गुज़ेक के मुद्दे थे।

उस निर्णय से निकाला गया यू. एस. सुप्रीम द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को दर्शाता है

अदालत। हमारे न्यायशास्त्र में, यदि कोई नया साक्षय है जो मामले की जड़ तक जा सकता है, तो ऐसे साक्षय का नेतृत्व करने की अनुमति अपीलीय स्तर पर शासी सिद्धांतों की पूर्ति के अधीन दी जा सकती है।

ये विशेषताएं केवल यह कहने के लिए उदाहरणात्मक हैं कि "अवशिष्ट संदेह" का सिद्धांत जो विकसित हुआ वह प्रक्रिया में विशिष्टता का परिणाम था। अपनाया गया। फिर भी, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सिद्धांत को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार खारिज कर दिया गया है और जैसा कि शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम ने कहा है।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर: - " हमारे मामलों में कुछ भी अधिरोपित नहीं था

मृत्युदंड की सजा पर सबूत के इस बढ़े हुए बोझ का "।

50. (ए) अशोक देबबर्मा 1 8 में, कैलिफोर्निया बनाम ब्राउन 9 0 90 और फ्रैंकलिन बनाम फ्रैंकलिन में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नोटिस करने के बाद।

तथ्यों पर, हालांकि यह देखा गया कि न्यायालय ने "लंबे समय से संदेह" को स्वीकार किया कि "क्या केवल अपीलार्थी ही ऐसा कर सकता था अपराध को अकेले अंजाम दिया, विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष

स्वयं कहता है कि यह लोगों के एक बड़े समूह का काम था। इस प्रकार, जिस संदेह पर विचार किया गया, वह अभियुक्त सरलीकरणकर्ता के अपराध या अपराध में उसकी संलिप्तता के बारे में नहीं था, बल्कि यह था कि क्या केवल अपीलार्थी ही उस अपराध को कर सकता था जिसके परिणामस्वरूप 35 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और इस तरह का संदेह न्यायालय के समक्ष भारी पड़ गया।

मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना।

यह यहाँ कहा जाना चाहिए कि पैराग्राफ में क्या व्याख्या की गई थी

33 फ्रैंकलिन बनाम में न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर की राय से निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा था। लिनॉघ "और कैलिफोर्निया बनाम में निर्णय से नहीं। ब्राउन 9 0 90।

(ख) सुदाम उर्फ राहुल कनीराम जाधव बनाम। महाराष्ट्र राज्य ", पैराग्राफ 19.1 में यह उल्लेख किया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर मामलों में मौत की सजा देने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके बाद, अशोक देबबर्मा 1 8 के फैसले पर विचार किया गया और अदालत ने कहा कि कई मामलों में, मौत की अपरिवर्तनीय सजा पारित करने के लिए "उच्च मानक के साक्षय की गुणवत्ता" पर जोर दिया गया था और मोहम्मद के फैसले पर भरोसा किया गया था। मन्नान बनाम बिहार राज्य। पैराग्राफ 21 में कटौती अन्य बातों के साथ-साथ इस पहलू पर आधारित थी कि "इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्षय की प्रकृति एक ऐसी परिस्थिति के बराबर है जो उत्तेजना के संतुलन को झुकाने के लिए पर्याप्त है।

और याचिकाकर्ता के पक्ष में परिस्थितियों को कम करना।

(सी) रविशंकर 2 0 में यह देखा गया था कि "मौत की सजा के उद्देश्यों के लिए सबूत के एक उच्च मानक को लागू करना।

आपराधिक दोषसिद्धि के लिए आवश्यक उचित संदेह से परे अशोक देबबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य 1. में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए अवशिष्ट संदेह मीट्रिक के समान है। इस मामले में, निर्णय के पैराग्राफ 10 के अनुसार, छह संदिग्धों के रक्त के नमूने डीएनए विश्लेषण के लिए भेजे गए थे, लेकिन केवल [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के रक्त से डीएनए प्रोफ़ाइल मृतक की योनि स्लाइड से मेल खाती है। इसके अतिरिक्त, निर्भरता द्वारा रखा गया था पैराग्राफ 17 और 18 में उल्लिखित पीडब्लू 5,6 और 7 की गवाही पर अभियोजन। पी. डब्ल्यू. 5,6 और 7 से आने वाला संस्करण पूर्ण विश्वास को प्रेरित नहीं कर सका, इसका कारण पैराग्राफ 61 में बताया गया था। यह भी देखा गया कि एक अन्य संदिग्ध बाबा उर्फ अशोक कौरव जांच के दौरान फरार हो गया था, जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना थी, जिससे अशोक देबबर्मा 18 में अपनाए गए सुरक्षा फिल्टर को जन्म मिला।

51. इन मामलों से इस प्रकार पता चलता है कि मामलों पर व्यक्तिगत तथ्य स्थिति के दृष्टिकोण से विचार किया गया था, जहां, उच्च या उच्च स्तर पर जा रहा है।

मौत की सजा के लिए सख्त मानक, मौत की सजा का विकल्प उचित पाया गया।

52. जब हमारे न्यायशास्त्र में परिस्थितिजन्य साक्षय पर आधारित मामलों की बात आती है, तो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में अपनाया गया मानक, जैसा कि शरद बर्डहिचंद सारदा 3 4 और उसके बाद के निर्णयों में देखा गया है, यह है कि परिस्थितियों को केवल व्यक्तिगत रूप से साबित नहीं किया जाना चाहिए

या स्थापित, लेकिन उन्हें एक सुसंगत श्रृंखला बनानी चाहिए, ताकि निर्णायक हो कि अभियुक्त के अपराध को छोड़कर किसी अन्य परिकल्पना की संभावना को खारिज किया जा सके। इन सिद्धांतों के बल पर, ऐसे मामलों में बोझ पहले से ही अधिक है। एक बार जब वह बोझ हटा दिया जाता है, तो यह है

हालाँकि, जैसा कि कालू खान में संक्षेप में कहा गया है ", परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर मामलों से निपटने के दौरान, मौत की सजा देने के लिए, उच्च या सख्त मानक पर जोर दिया जाना चाहिए। अतः मृत्युदंड से संबंधित मामलों में अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण होना चाहिए -

ऊपर पैराग्राफ 41 में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप

और इसलिए तत्काल मामले पर उन सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।

53. यदि वर्तमान मामले पर इस प्रकार विचार किया जाता है, तो चर्चा को व्यापक रूप से निम्नलिखित दो शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए:

शत्रुघन बाबन मेशराम बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [उदय उमेश ललित, जे.]

(क) क्या वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्षय दोष को स्थापित करने में निर्विवाद चरित्र का है

अपीलार्थी या एक अपवादात्मक मामले की ओर ले जाता है। क्या अभिलेख पर साक्षय इतना मजबूत और विश्वसनीय है

(बी)

कि मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प बंद कर दिया गया है।

अभिलेख पर सिद्ध परिस्थितियों और विशेष रूप से पैराग्राफ 19 में विस्तृत पहलुओं के साथ-साथ निर्धारित कानून को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में, अभिलेख पर स्थित परिस्थितियाँ अपीलार्थी की निर्दोषता की किसी भी परिकल्पना को खारिज करती हैं। परिस्थितियाँ स्पष्ट, सुसंगत और निर्णायक प्रकृति की हैं और अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने में निर्विवाद चरित्र की हैं। अभिलेख पर साक्षय एक असाधारण मामले को भी दर्शाता है जहाँ ढाई साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था। हमला पीड़ित के शरीर पर काटने के साथ किया गया था। बलात्कार इतनी तीव्रता का था कि पीड़ित की योनि और गुदा छिद्रों का विलय हो रहा था। पीड़ित की उम्र, यह तथ्य

कि अपीलार्थी पीड़ित का मामा था और हमले की तीव्रता वर्तमान मामले को एक असाधारण मामला बनाती है।

हालांकि, अगर मामले पर दूसरे शीर्ष के खिलाफ विचार किया जाता है, तो हम यह नहीं पाते हैं कि मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प है पूरी तरह से बंद। यह सच है कि यौन हमला बहुत गंभीर था और अपीलार्थी के आचरण को विकृत और अनुचित कहा जा सकता है।

पीड़ित के जीवन को बुझा दें। हालाँकि सभी चोटें उनके कारण लगी हैं और यह चोट आई. डी. 1 थी जो मृत्यु का कारण थी, आई. पी. सी. की धारा 30 के तहत उनकी दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 300 के पहले तीन खंडों में से किसी के तहत नहीं है। जिन मामलों में आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत चौथे खंड की सहायता से दोषसिद्धि दर्ज की जाती है, यह बहुत दुर्लभ है कि मृत्युदंड दिया जाता है। मामलों में क्रमिक संख्या में। 10 , 11 , 16 , 24 , 40 , 45 और चार्ट के 64 को यहाँ ऊपर पैराग्राफ 30 में सारणीबद्ध किया गया है, जहाँ पीड़ितों की उम्र 16 साल से कम थी और उन पर यौन हमले के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, अधिकतम सजा आजीवन थी

वाक्य। यह पहलू इस बात पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण है कि क्या

मृत्युदंड से कम सजा का विकल्प बंद कर दिया गया है या नहीं।

54. इसलिए हम पाते हैं कि हालाँकि अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इरादा जो मामले को [2020] 13 एस. सी. आर. के पहले तीन खंडों में से किसी के तहत लाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 300, वर्तमान मामले में अपराध मौत की सजा के योग्य नहीं है।

55. दूसरी गणना जिस पर मौत की सजा सुनाई गई है, वह आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपराध 11.02.2013 पर किया गया था और इस तरह के अपराध से कुछ दिन पहले, अध्यादेश द्वारा आई. पी. सी. में धारा 376 ए डाली गई थी। जैसा कि हम पैराग्राफ में निष्कर्ष निकालते हैं 16 इसके अलावा, संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई धारा 376 ए को दिया गया पूर्व-कार्योत्तर प्रभाव किसी भी तरह से उप-धाराओं के साथ असंगत नहीं होगा।

संविधान के अनुच्छेद 20 का अनुच्छेद (1)। इस प्रकार अपीलार्थी निश्चित रूप से आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है। लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि क्या मौत की सजा से कम की सजा को खारिज किया जाता है या नहीं। आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत मामलों से निपटने के दौरान आई. पी. सी. की धारा302 के खिलाफ, अदालतों द्वारा दिए जाने वाले दंड के रूप में

विचार करने के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उचित सजा पर विचार करते समय हमें जिन पहलुओं पर विचार करना पड़ा, उनके आधार पर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आई. पी. सी. की धारा 376 ए को कानून की पुस्तक में कुछ दिन पहले लाया गया था।

अपराध के लिए, अपीलार्थी उक्त अपराध के लिए मृत्युदंड का हकदार नहीं है।

साथ ही, अपराध की प्रकृति और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जाना चाहिए कि अपराध के लिए उचित सजा

57. नतीजतन, आई. पी. सी. की धारा302 और आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि दर्ज करने में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, हम आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा को आजीवन कारावास में और आई. पी. सी. की धारा 376 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए 25 साल के कठोर कारावास में परिवर्तित करते हैं। द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और सजा आई. पी. सी. की धारा 376 (1), (2) (एफ), (आई) और (एम) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए नीचे दिए गए न्यायालयों की पुष्टि की जाती है।

58. इन अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।

अंकित ज्ञान

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।